खण्ड-180, अंक-2
मंगलवार, 1 कार्तिक, शक संवत् 1878
(23 अक्टूबर, 1956 ई0)

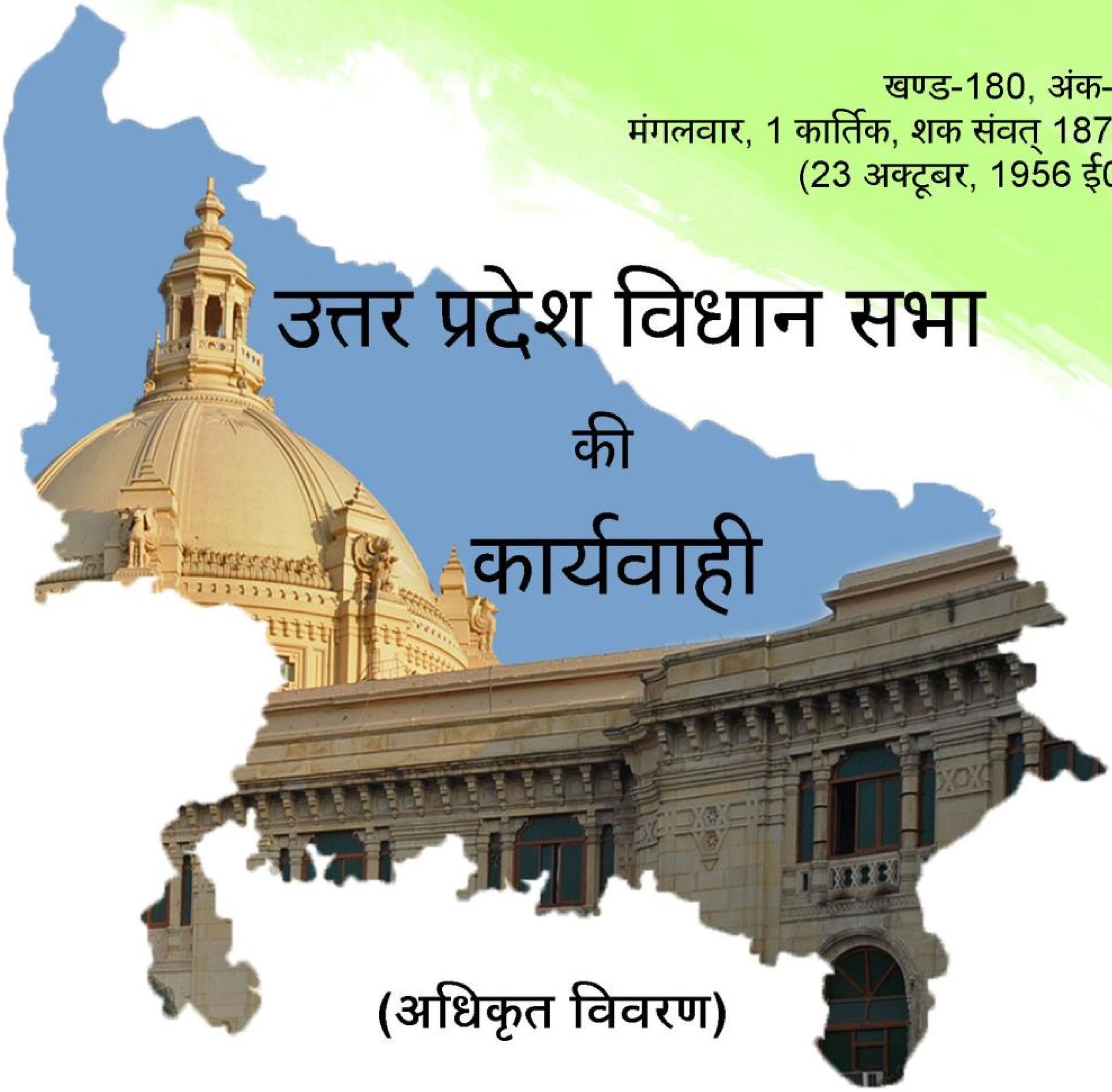

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

खण्ड 180 में 0 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ , उत्तर प्रदेश (भारत)
१९५६

मूल्य : बिना महसूल 25 पैसे, महसूल सहित 31 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 10 रुपये, महसूल सहित 12 रुपये |

उत्तर प्रदेश विधान सभा

मंगलवार, २३ अक्तूबर, १९५६

विधान सभा की बैठक सभा-मण्डप, लखनऊ में ११ बजे दिन में अध्यक्ष, श्री आत्माराम गोविन्द खेर की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

उपस्थित सदस्यों की सूची (३०१)

अक्षयवर सिंह, श्री
अजीज इमाम, श्री
अनन्तस्वरुप सिंह, श्री
अब्दुल मुईज खां, श्री
अमृतनाथ मिश्र, श्री
अली जहीर, श्री सैयद
अवधेशचन्द्रसिंह, श्री
अशरफ अली खां, श्री
आशालता व्यास, श्रीमती
इरतजा हुसैन, श्री
इसरारुल हक, श्री
इस्तफा हुसैन, श्री
उदयभान सिंह, श्री
उमाशंकर, श्री
उमाशंकर तिवारी, श्री
उमाशंकर मिश्र, श्री
उल्फतसिंह चौहान निर्भय, श्री
ऐजाज रसूल, श्री
ओंकारसिंह, श्री
कन्हैयालाल वाल्मीकि, श्री
कमलापति त्रिपाठी, श्री
कमलासिंह, श्री
करनसिंह, श्री
कल्याणचन्द मोहिले उपनाम छुन्नगुरू, श्री
कल्याणराय, श्री
कामताप्रसाद विद्यार्थी, श्री
कालीचरण टंडन, श्री
काशीप्रसाद पाण्डेय, श्री
किशनस्वरूप भटनागर, श्री
कुंवरकृष्ण वर्मा, श्री
कृपाशंकर, श्री
कृष्णचन्द्र गुप्त, श्री
केशभान राय, श्री
केशव पाण्डेय, श्री
कैलाशप्रकाश, श्री
खयालीराम, श्री
खुशीराम, श्री
गंगाधर जाटव, श्री
गंगाधर मैठाणी, श्री
गंगाधर शर्मा, श्री
गंगाप्रसाद, श्री
गंगाप्रसादसिंह, श्री
गज्जूराम, श्री
गणेशचन्द्र काछी, श्री
गणेशप्रसाद जायसवाल, श्री
गणेशप्रसाद पाण्डेय, श्री
गिरजारमण शुक्ल, श्री
गिरधारीलाल, श्री
गुरुप्रसाद पाण्डेय, श्री
गुरुप्रसादसिंह, श्री
गुलजार, श्री
गेंदासिंह, श्री
गोवर्धन तिवारी, श्री
गौरीराम, श्री
घनश्यामदास, श्री
घासीराम जाटव, श्री
चतुर्भुज शर्मा, श्री
चन्द्रवती, श्रीमती
चन्द्रसिंह रावत, श्री
चन्द्रहास, श्री
चिरंजीलाल जाटव, श्री
चिरंजीलाल पालीवाल, श्री
छेदालाल, श्री
छेदालाल चौधरी, श्री

जगदीशप्रसाद, श्री
जगदीशसरन, श्री
जगदीश सरन रस्तोगी, श्री
जगनप्रसाद रावत, श्री
जगन्नाथ प्रसाद, श्री
जगन्नाथबख्श, श्री
जगन्नाथ सिंह, श्री
जगपतिसिंह, श्री
जगमोहनसिंह नेगी, श्री
जयपालसिंह, श्री
जयराम वर्मा, श्री
जयेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
जोरावर वर्मा, श्री
टीकाराम, श्री (बदायूं)
टीकाराम, श्री (हरदोई)
डल्लाराम, श्री
डालचन्द, श्री
तिरमल सिंह, श्री
तुलाराम, श्री
तुलाराम रावत, श्री
तेजप्रतापसिंह, श्री
तेजबहादुर, श्री
त्रिलोकीनाथ कौल, श्री
दयालदास भगत, श्री
दर्शनराम, श्री
दाऊदयाल खन्ना, श्री
दातारराम, श्री
दीनदयालु शास्त्री, श्री
दीपनारायण वर्मा, श्री
देवदत्त मिश्र, श्री
देवदत्त शर्मा, श्री
देवनन्दन शुक्ल, श्री
देवराम, श्री
द्वारकाप्रसाद मौर्य, श्री
धनुषधारी पाण्डेय, श्री
धर्मदत्त वैद्य, श्री
नत्थूसिंह, श्री
नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ, श्री
नरदेव शास्त्री, श्री
नरेन्द्रसिंह विष्ट, श्री
नरोत्तमसिंह, श्री
नवलकिशोर, श्री
नाजिमअली, श्री
नारायणदत्त तिवारी, श्री
नारायणदास, श्री
नारायणदीन वाल्मीकि, श्री
निरंजनसिंह, श्री
नेकराम शर्मा, श्री
नेत्रपालसिंह, श्री
नौरंगलाल, श्री
परमानन्द सिन्हा, श्री
परिपूर्णानन्द वर्मा, श्री
पहलवानसिंह चौधरी, श्री
पुत्तूलाल, श्री
पुट्टनराम, श्री
पुलिनविहारी बनर्जी, श्री
प्रतिपालसिंह, श्री
प्रभाकर शुक्ल, श्री
प्रेमकिशन खन्ना, श्री
फजलुल हक, श्री
बद्रीनारायणमिश्र, श्री
बनारसीदास, श्री
बलदेवसिंह, श्री (गोंडा)
बलदेवसिंह, श्री (बनारस)
बलदेवसिंह आर्य, श्री
बलवीरसिंह, श्री
बलभद्रप्रसाद शुक्ल, श्री
बसन्तलाल शर्मा, श्री
बाबूराम गुप्त, श्री
बाबूलाल कुसुमेश, श्री
बालेन्दुशाह, महाराजकुमार
बिशम्बरसिंह, श्री
बेचनराम, श्री
बेचनराम गुप्त, श्री
बैजनाथप्रसादसिंह, श्री
बैजूराम, श्री
भगवतीप्रसाद दुबे, श्री
भगवतीप्रसाद शुक्ल, श्री
भगवानदीन वाल्मीकि, श्री
भगवानसहाय, श्री
भीमसेन, श्री
भुवर जी, श्री
भूपालसिंह खाती, श्री
भृगुनाथ चतुर्वेदी, श्री
मकसूद आलम खां, श्री
मथुराप्रसाद त्रिपाठी, श्री
मदनगोपाल वैद्य, श्री
मदनमोहन उपाध्याय, श्री
मन्नीलाल गुरुदेव, श्री
मलखानसिंह, श्री
महमूद अली खां, श्री (रामपुर)
महमूद अली खां, श्री (सहारनपुर)

महादेवप्रसाद, श्री
महावीर प्रसाद शुक्ल, श्री
महावीरप्रसाद श्रीवास्तव, श्री
मान्धातासिंह, श्री
मिजाजीलाल, श्री
मिहरबानसिंह, श्री
मुजफ्फरहसन, श्री
मुन्नूलाल, श्री
मुरलीधर कुरील, श्री
मुश्ताक अली खां, श्री
मुहम्मद नबी, श्री
मुहम्मद नसीर, श्री
मुहम्मद मंजूरुल नबी, श्री
मुहम्मद शाहिद फाखरी, श्री
मुहम्मद सुलेमान अधमी, श्री
मोहनलाल, श्री
मोहनलाल गौतम, श्री
मोहनलाल वर्मा, श्री
मोहन सिंह, श्री
मोहनसिंह शाक्य, श्री
यमुनासिंह, श्री
यशोदादेवी, श्रीमती
रघुनाथप्रसाद, श्री
रघुवीर सिंह, श्री
रणंजयसिंह, श्री
रतनलाल जैन, श्री
रमानाथ खैरा, श्री
रमेश वर्मा, श्री
राजकिशोर राव, श्री
राजकुमार शर्मा, श्री
राजनारायण, श्री
राजनारायण सिंह, श्री
राजवंशी, श्री
राजाराम किसान, श्री
राजाराम मिश्र, श्री
राजाराम शर्मा, श्री
राधामोहन सिंह, श्री
रामअधार तिवारी, श्री
रामअधीनसिंह यादव, श्री
रामअनन्त पाण्डेय, श्री
राम आसरे वर्मा, श्री
रामकिंकर, श्री
रामकुमार शास्त्री, श्री
रामकृष्ण जैसवार, श्री
रामचन्द्र विकल, श्री
रामजीलाल सहायक, श्री
रामदास रविदास, श्री
रामदुलारे मिश्र, श्री
रामप्रसाद, श्री
रामप्रसाद देशमुख, श्री
रामप्रसाद नौटियाल, श्री
रामप्रसाद सिंह, श्री
रामबली मिश्र, श्री
राममूर्ति, श्री
रामरतन प्रसाद, श्री
रामराजशुक्ल, श्री
रामलाल, श्री
रामवचन यादव, श्री
रामशंकर द्विवेदी, श्री
रामसनेही भारतीय, श्री
रामसहाय शर्मा, श्री
रामसुन्दर पाण्डेय, श्री
रामसुन्दरराम, श्री
रामसुभग वर्मा, श्री
रामसुमेर, श्री
रामसेवक यादव, श्री
रामस्वरूप, श्री
रामस्वरूप भारतीय, श्री
रामस्वरूप मिश्र विशारद, श्री
रामहेतसिंह, श्री
रामेश्वरलाल, श्री
लक्ष्मणदत्त भट्ट, श्री
लक्ष्मणराव कदम, श्री
लक्ष्मीदेवी, श्रीमती
लक्ष्मीरमण आचार्य, श्री
लक्ष्मीशंकर यादव, श्री
लताफत हुसैन, श्री
लालबहादुरसिंह कश्यप, श्री
लुत्फअली खां, श्री
लेखराज सिंह, श्री
वंशनारायणसिंह, श्री
वंशीधर मिश्र, श्री
वशिष्ठनारायण शर्मा, श्री
विचित्रनारायण शर्मा, श्री
विजयशंकर प्रसाद, श्री
विश्रामराय, श्री
विश्वनाथ सिंह गौतम, श्री
विष्णुशरण दुब्लिश, श्री
वीरसेन, श्री
वीरेन्द्रशाह, राजा
व्रजभूषण मिश्र, श्री
व्रजरानी मिश्र, श्रीमती

ब्रजवासीलाल, श्री
ब्रजविहारी मेहरोत्रा, श्री
शंकरलाल, श्री
शम्भूनाथ चतुर्वेदी, श्री
शान्तिप्रपन्न शर्मा, श्री
शिवदानसिंह, श्री
शिवनारायण, श्री
शिवप्रसाद, श्री
शिवमंगलसिंह, श्री
शिवमंगलसिंह कपूर, श्री
शिवराजबलीसिंह, श्री
शिवराजसिंह यादव, श्री
शिवराम पाण्डेय, श्री
शिवराम राय, श्री
शिववक्षसिंह राठौर, श्री
शिववचनराव, श्री
शुकदेवप्रसाद, श्री
शुगनचन्द, श्री
श्याममनोहर मिश्र, श्री
श्यामलाल, श्री
श्यामाचरण वाजपेयी शास्त्री, श्री
श्रीकृष्ण दत्त पालीवाल, श्री
श्रीनाथराम, श्री
श्रीनिवास, श्री
श्रीपतिसहाय, श्री
सईदजहां मखफी शेरवानी, श्रीमती
संग्रामसिंह, श्री
सज्जनदेवी महनोत, श्रीमती
सफिया अब्दुलवाजिद, श्रीमती
सम्पूर्णानन्द, डाक्टर
सहदेवसिंह, श्री
सावित्रीदेवी, श्रीमती
सीताराम, डाक्टर
सुन्दरदास, श्री दीवान
सुन्दरलाल, श्री
सुरजूराम, श्री
सुरेन्द्रदत्त वाजपेयी, श्री
सुरेशप्रकाश सिंह, श्री
सुल्तान आलम खां, श्री
सूर्य्यप्रसाद अवस्थी, श्री
सेवाराम, श्री
हबीबुर्रहमान अंसारी, श्री
हबीबुर्रहमान आजमी, श्री
हबीबुर्रहमान खां हकीम, श्री
हमीद खां, श्री
हरखयाल सिंह, श्री
हरगोविन्द पन्त, श्री
हरदयालसिंह पिपल, श्री
हरदेवसिंह, श्री
हरसहाय गुप्त, श्री
हरिप्रसाद, श्री
हरिसिंह, श्री
हुकुमसिंह, श्री

प्रश्नोत्तर

मंगलवार, २३ अक्तूबर, १९५६

तारांकित प्रश्न

जालौन जिले में कौंच म्युनिसिपल बोर्ड के दो सदस्यों का निलम्बन

*१—**श्री कल्याणचन्द मोहिले** (जिला इलाहाबाद)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि कौंच, जिला जालौन के वर्तमान म्युनिसिपल बोर्ड के कौन-कौन सदस्य किस इल्जाम में मुअत्तल हुए और यह इल्जाम किन लोगों की ओर से लगे हैं ?

स्वशासन उपमंत्री (श्री कैलाश प्रकाश)—नगरपालिका कौंच के दो सदस्य सर्वश्री घनश्याम सिंह वर्मा और राम दयाल यादव को अपने पद का दुरुपयोग करने तथा धोखादेही और जालसाजी के आरोप में निलम्बित किया गया था। यह आरोप श्री महन्त चतुर्भुज दास के शिकायती प्रार्थना-पत्र पर जांच होने के उपरान्त लगाये गये थे।

*२—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या सरकार बतायेगी कि इस नगरपालिका के अन्य सदस्यों के प्रति भी लोगों ने इल्जाम लगाये हैं? यदि हां, तो वह इल्जाम क्या हैं और किन लोगों ने लगाये हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—नगरपालिका कौंच के अन्य सदस्यों के विरुद्ध भी शिकायतें आई थीं। सरकार इन शिकायतों का विवरण अति वृहत् होने के कारण तथा जनहित की दृष्टि से देना उचित नहीं समझती।

*३—श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या यह सच है कि यहां का सभापति पद पिछले जुलाई से खाली है और दो बार चुनाव तिथि आगे बढ़ा दी गई है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, अध्यक्ष पद के रिक्त स्थान के चुनाव के लिये प्रथम बार तारीख १४ सितम्बर, १९५५ निर्धारित की गई थी परन्तु इस तिथि को सूर्य ग्रहण के कारण जन अवकाश घोषित हो जाने से चुनाव स्थगित कर दिया गया था। पुनः द्वितीय बार चुनाव हेतु तारीख २२ फरवरी, १९५६ निर्धारित हुई थी परन्तु इस बार श्री घनश्याम सिंह वर्मा की रिट पिटीशन पर माननीय हाई कोर्ट के आज्ञानुसार चुनाव रोक दिया गया था।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—क्या माननीय मंत्री जी बतलायेंगे कि जांच कराने के बाद यह मामला पुलिस को दिया गया या नहीं?

न्याय मंत्री (श्री सैयद अली जहीर)—यह तो मैं नहीं कह सकता। जिलाधीश ने अगर जरूरी समझा होगा तो पुलिस को दिया होगा।

श्री कल्याणचन्द मोहिले—यह जांच किसके द्वारा कराई गई?

श्री सैयद अली जहीर—जिले के अधिकारियों के द्वारा।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)—क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्मा जी ने अपने पत्र में किन-किन बातों का उल्लेख किया?

श्री सैयद अली जहीर—उसकी तफसील तो यहां बतलाना उचित नहीं है।

श्री राम सेवक यादव (जिला बाराबंकी)—जो सदस्य मुअत्तल किये गये हैं उनका किसी पार्टी से संबंध है?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार को इसकी सूचना नहीं है।

श्री गेंदा सिंह (जिला देवरिया)—क्या सरकार को जानकारी है कि इस म्युनिसिपल बोर्ड के चेयरमैन प्रजा समाजवादी पार्टी के सदस्य थे और उन्हें भी मुअत्तल किया गया है?

श्री सैयद अली जहीर—हो सकता है लेकिन सरकार इस आधार पर कोई काम नहीं करती है कि कौन किस पार्टी का आदमी है।

श्री तेजप्रताप सिंह (जिला हमीरपुर)—क्या माननीय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिन अन्य सदस्यों की शिकायतें आई हैं उनकी कोई जांच सरकार करा रही है या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर—उनकी जांच हुई भी होगी और हो भी रही होगी।

श्री गेंदा सिंह—यह शिकायत जिसकी जांच हुई भी होगी और हो रही भी होगी, वह कितने दिन बाद आयी थी?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे ख्याल में वहां की शिकायतें तो बराबर आती रही हैं कोई साल दो साल से और उन्हीं में यह भी रही होगी।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि यह जो तारीख रखी गयी थी सूर्यग्रहण के बाद चुनाव कराने के लिये ६ महीने के बाद तारीख क्यों रखी गयी ?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे ख्याल में १४ दिसम्बर, ५५ से २२ फरवरी, ५६ तक ६ महीने तो नहीं हुये।

श्री कल्याणचन्द मोहिले---क्या माननीय मंत्री महोदय बतलाने की कृपा करेंगे कि ५ महीने के बाद तारीख क्यों रखी गयी थी ?

श्री सैयद अली जहीर---यह तो जो जिलाधीश होता है वह बहुत सी बातें देख कर कोई तारीख मुकर्रर करता है। मुझे ठीक नहीं मालूम है कि क्या वजूहात थे लेकिन गालिबन जरूर कोई जरूरी बात रही होगी जिसकी वजह से उनको मुल्तवी करना पड़ा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय (जिला अल्मोड़ा)---क्या यह बात सही है कि इस चुनाव की तारीख को मुल्तवी करने के बाद ही ये जो यहां के सदस्य थे उनको मुअत्तल किया गया ?

श्री सैयद अली जहीर---तारीख तो मुझे नहीं मालूम है इस वक्त कि किस वक्त मुअत्तल किया गया।

*४---श्री रामसुन्दर पांडेय---[२० नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

मधुबन-बिल्थरा रोड पर यातायात में असुविधा

*५---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मधुवन, जिला आजमगढ़ से बिल्थरा रोड, जिला बलिया को जाने वाली पक्की सड़क रेलवे क्रासिंग पर न बनने के कारण यातायात में विशेष असुविधा होती है ?

निर्माण उपमंत्री (श्री लक्ष्मीरमण आचार्य)---यातायात में अवश्य असुविधा होती है।

*६---श्री रामसुन्दर पांडेय---यदि हां, तो क्या निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त अवशिष्ट भाग कब तक बन जायेगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---चूंकि इस स्थान पर सड़क रेलवे विभाग द्वारा बनाई जाने वाली है सरकार ने उक्त विभाग से निवेदन किया है कि वे इस सड़क को शीघ्र पक्का बनाने का प्रयत्न करें और रेलवे ने यह आश्वासन दिया है कि वे इस कार्य को शीघ्र ही आरम्भ कर देंगे।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि इस मधुबन-बिल्थरा रोड का निर्माण किस सन् में हुआ था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सन् १९५४ के लगभग हुआ था।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या निर्माण मंत्री बतलाने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार के रेलवे विभाग को अंतिम पत्र प्रादेशिक सरकार की ओर से कब लिखा गया था ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---तभी से बराबर लिखा जा रहा है।

श्री गेंदा सिंह---क्या सरकार इस काम में जल्दी हो सके इस वजह से बजाय केंद्रीय सरकार को लिखने के जिस रेलवे से उसका संबंध है उसके मैनेजमेंट को लिखने की मेहरबानी करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--केंद्रीय सरकार के रेलवे विभाग को ही इस संबंध में लिखा गया है।

श्री तेजप्रताप सिंह--क्या माननीय मंत्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि केंद्रीय सरकार के रेलवे विभाग ने क्या कोई ऐसा पत्र लिखा था प्रादेशिक सरकार को कि इतना-इतना धन वह इस रेलवे क्रॉसिंग की सड़क बनाने के लिये जब दे देगी तभी से सड़क पर कार्य शुरू हो जायगा ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--यह सही है कि दो बार धन मांगा था और दोनों बार जितना धन केंद्रीय सरकार ने मांगा उतना धन उनको दे भी दिया गया और आगे के लिये आश्वासन भी दे दिया गया है।

*७-८--श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)--[हटा दिये गये।]

*९--श्री नारायणदत्त तिवारी--[इस प्रश्न का उत्तर ५ सितम्बर, १९५६ को प्रश्न ६६ के अन्तर्गत दिया गया।]

अलीगढ़ जेल में विचाराधीन अभियुक्त तथा मामले

*१०--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ (जिला अलीगढ़)--क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जेल में कितने विचाराधीन अभियुक्त हैं और किस-किस मैजिस्ट्रेट के पास पचास से अधिक मामले अभी तक विचाराधीन पड़े हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--१ सितम्बर, १९५६ को अलीगढ़ जेल में ३६६ विचाराधीन अभियुक्त थे और किसी भी मैजिस्ट्रेट के पास ५० से अधिक मुकदमे विचाराधीन नहीं थे।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या माननीय मंत्री महोदय यह बतलाने की कृपा करेंगे कि यह संख्या जो जेल में विचाराधीन कैदी हैं उनके संबंध में बतलायी गयी है या बाहर जिन लोगों पर मुकदमे चल रहे हैं, वे भी शामिल हैं ?

श्री सैयद अली जहीर--यह तो जेल में जो विचाराधीन कैदी है उनकी संख्या ३६६ है।

हाथरस-जलेसर रोड के निर्माण को प्राथमिकता

*११--श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या यह सही है कि अलीगढ़ जिला नियोजन समिति ने सार्वजनिक निर्माण विभाग के उप-सचिव की उपस्थिति में हाथरस--जलेसर रोड को प्राथमिकता देने का सर्वसम्मति से निर्णय किया था ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उसे स्वीकार कर लिया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य--प्रथम भाग--अलीगढ़ जिला नियोजन समिति ने हाथरस-जलेसर सड़क की पांचवीं प्राथमिकता निश्चित की थी।

द्वितीय भाग--जी नहीं।

तृतीय भाग--स्थानीय जनता के सुझावों पर टेक्निकल दृष्टिकोण से छानबीन की गई थी और अन्तिम रूप से वही सड़कें चुनी गई हैं जो नियोजन के सर्वमान्य सिद्धांतों पर पूरी उतरती हैं और जिनसे जिले की आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ--क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि प्राथमिकता जो निश्चित की गई वह किस प्रकार की गई और क्या निकट भविष्य में हाथरस-जलेसर रोड को पी० डब्ल्यू० डी० लेने वाली है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---प्राथमिकता जो जिला नियोजन समिति ने रखी थी उस पर विचार किया गया और उस के पश्चात् जब कि सारे प्रदेश की सड़कों के निर्माण के बारे में विचार किया गया तो उस समय कुछ सिद्धांत निर्धारित किये गये जिनका मैं पहले विवरण बता चुका हूं और फिर उसी आधार पर निश्चित हुआ कि कौन सड़कें ली जायं। जहां तक सड़क के निकट भविष्य में लेने का प्रश्न है जब तक कि उसके लिये आगे अनुदान उपलब्ध न हो तब तक प्रश्न नहीं उठता।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---मैंने मंत्री जी से पूछा था कि जो प्राथमिकता निश्चित हुई वह किस प्रकार थी?

श्री अध्यक्ष---प्रश्न स्पष्ट नहीं है क्या आप नाम जानना चाहते हैं? वह मंत्री जी बता दें।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---वह क्रम इस प्रकार है। १---इगलास-गोंडा, २---दादों-संकरा, ३---विजयगढ़-अक्राबाद, ४---साधुआश्रम-तलबनगर-बरौली, ५---हाथरस जलेसर (जिले की सीमा तक) इस तरह से यह एक बड़ी सूची है, यदि माननीय सदस्य चाहेंगे तो मैं उनको बता दूंगा।

श्री मदनमोहन उपाध्याय---क्या यह सही है कि जिला प्लानिंग समिति के सामने जब प्राथमिकता का प्रश्न आया तो विभाग के द्वारा भी कोई लिस्ट प्लानिंग कमेटी के सामने रखी गई थी इससे पहले कि कोई फैसला प्लानिंग कमेटी ने किया हो?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---जी नहीं, उस समय तो केवल उसकी राय ली गई थी।

अलीगढ़ जिले में नानऊ से जाऊ के पुल तक नहर खारजा की पटरी पक्की करने की योजना

*१२---श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ जिले में नानऊ और जाऊ के पुल के बीच जो नहर खारजा पड़ी है उसकी पटरी पर पक्की सड़क बनाने की योजना कब तक पूरी हो जायेगी?

सिंचाई उपमंत्री (श्री राममूर्ति)---नानऊ से जाऊ के बीच खारजा नहर (इटावा स्टम्प) की पटरी को पक्का करने की योजना सरकार के विचाराधीन है। अतः कार्य के निर्माण के विषय में अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पक्की सड़क के बनाने में क्या कठिनाई है और क्या निकट भविष्य में उसके बन जाने की आशा की जा सकती है?

श्री राममूर्ति---मैंने अर्ज किया कि अभी उसके बनने में कोई बड़ी देर नहीं हुई है इसलिये अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ---क्या माननीय मंत्री महोदय बतला सकते हैं कि साल, दो साल या तीन साल में वह सड़क बनना शुरू हो जायगी?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)---यह तो पैसा मिलने पर निर्भर करता है। यदि कहीं से पैसा बनाने के लिये मिल सका तो बहुत जल्दी बनाई जा सकती है वर्ना कुछ दिन रुक सकते हैं।

हरदोई जिले में पानी के निकास के लिए सर्वे

*१३—श्री मोहन लाल वर्मा (जिला हरदोई) (अनुपस्थित)—क्या सरकार को यह मालूम है कि जिला हरदोई में वाटर लागिंग (water logging) की बहुत बड़ी समस्या है जिससे अधिकतर किसानों के खेत बरबाद जाते हैं ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। हरदोई जिले में वाटर लागिंग की कोई समस्या नहीं है। फिर भी साइं बेसिन तक पानी के निकास के संबंध में सर्वे के लिये एक सब-डिवीजन खोला गया है और सर्वे का कार्य हो रहा है।

*१४—श्री मोहन लाल वर्मा (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री के पास इस प्रकार के प्रार्थना-पत्र आये हैं ? यदि हां, तो उन पर क्या हो रहा है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां। इस सम्बन्ध में एक प्रार्थना-पत्र प्राप्त हुआ है और उस पर सम्बन्धित इक्जीक्यूटिव इंजीनियर जांच कर रहे हैं।

बनगांव ग्राम, जिला आजमगढ़ में दोहरी घाट पंप नहर पर पुल बनाने की प्रार्थना

*१५—श्री झारखंडे राय (जिला आजमगढ़) (अनुपस्थित)—क्या सिंचाई मन्त्री बतायेंगे कि बनगांव ग्राम (थाना घोसी, जिला आजमगढ़) के निवासियों की ओर से जिला नहर इंजीनियर को ऐसे आवेदन-पत्र प्राप्त हुये हैं कि दोहरीघाट पंप नहर पर उनके ग्राम के सम्मुख आने जाने के लिये रास्ता बना दिया जाय, परन्तु अब तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—बनगांव गांव के पास दोहरी घाट नहर पर पुल बनाने के निमित्त एक प्रार्थना-पत्र सदस्य महोदय से प्राप्त हुआ था तथा उनको सूचित भी कर दिया गया था कि उक्त पुल का बनना पहले से ही निश्चित था। पुल के बनने का कार्य वर्षा समाप्त होने पर आरम्भ कर दिया जायगा।

*१६—श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)—यदि हां, तो क्यों ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—यह प्रश्न नहीं उठता।

खीरी-ईसानगर सड़क पर घघोवा नदी के काष्ठ-सेतु का धंस जाना

*१७—श्री जगन्नाथ प्रसाद (जिला खीरी)—क्या यह सत्य है कि जिला खीरी में खीरी-ईसानगर सड़क पर घघोवा नदी पर पुल पिछली वर्षा में धंस गया है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—जी हां। घघोवा नदी पर काष्ठ सेतु (wooden pile bridge) गत वर्षा में [illegible] इंच धंस गया है।

*१८—श्री जगन्नाथ प्रसाद—यदि यह सत्य है, तो क्या सरकार उसको आने वाली वर्षा के पहले बनवाने की व्यवस्था के ऊपर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—इस समय यातायात घघोवा नदी पर जो पुराना काष्ठ सेतु है उसी में पार हो रहा है और वह भली भांति काम दे रहा है। अतः कोई दूसरा पुल बनाने की योजना नहीं है। सन् १९५४ की बाढ़ के बाद से शारदा नदी लखीमपुर की ओर बढ़ती चली आ रही है और चार फर्लांग मार्ग अब तक काट चुकी है। घघोवा नदी भी सड़क की ओर बढ़ती आ रही है और इस समय यह ११० फीट की दूरी पर रह गई है। अतः यह अनुमान लगाया गया है कि दूसरी बार इस पुल का निर्माण बेकार होगा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार को यह सूचना है कि इस वर्ष की बाढ़ ने इस पुल को नदी से काट दिया है और दोनों सिरों को काट कर धार बन गई है ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---सूचना सम्भवतः माननीय सदस्य के पास आ गई हो। जैसा माननीय सदस्य कह रहे हैं वह ठीक ही होगा।

श्री जगन्नाथ प्रसाद---क्या सरकार इस पुल को बनाने और बढ़ाने के ऊपर विचार करेगी ?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य---यह तो इस बात पर निर्भर करेगा कि यह घघोवा जो पिछली बाढ़ में अलग हो गई है और अपना कोर्स बदलने लगी वह इस बार अपना कोर्स कैसा रखती है और वह जैसा कि इस समय देखा जा रहा है यदि वह उसी ओर को जाती है जैसे कि पिछली बाढ़ के समय गई थी तो सम्भवतः इसकी आवश्यकता न पड़े।

*१९-२०---श्री विश्रामराय (जिला आजमगढ़)---[१३ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*२१---श्री विश्रामराय---[२० नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

*२२---श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---[१३ नवम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ७३ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में चंवर ताल से पानी के निकास की योजना

*२३---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि घोसी तहसील जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत चंवर ताल से पानी निकालने की विचाराधीन योजना का तख़मीना तैयार हो गया है ? यदि हां, तो वह कितना है ?

श्री राममूर्ति---घोसी तहसील में जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत चंवर ताल से पानी निकालने की योजना तैयार हो चुकी है, जिसका अनुमानित व्यय केवल २२,५९२ रुपये है।

*२४---श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि इस विचाराधीन योजना की रूप रेखा क्या है ?

श्री राममूर्ति---कनकुडीह, बघेला, लाशा, चंवर, कंवलडीह आदि तालों से फालतू (surplus) पानी निकालने की योजना है। तालों के ऊपर रेगुलेटर बनाने का भी प्रस्ताव है जिससे वर्षा ऋतु के अन्त में पर्याप्त मात्रा में सिंचाई के हेतु पानी रोका जा सके। इस प्रकार इस योजना के दो कार्य होंगे। पहला क्षेत्र को बाढ़ से बचाना तथा दूसरा आस पास के क्षेत्रों के लिये सिंचाई की सुविधा प्रदान करना।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि सन् ५५ के किसी प्रश्न के उत्तर में माननीय सिंचाई मंत्री ने यह वायदा किया था कि बरसात आने के पहले इसका निर्माण हो जायगा ?

श्री राममूर्ति---मैं सही तो नहीं कह सकता। हो सकता है कि ऐसा वायदा किया हो। आप जानते हैं कि अक्सर काम करने में दिक्कतें हो जाती हैं जिसकी वजह से देर हो गई हो।

श्री रामसुन्दर पांडेय---क्या यह सही है कि २२,५९२ रु० का तखमीना व्यय का किया गया है वह पानी के निकास का है, रेगुलेटर लगाने का नहीं है ?

श्री राममूर्ति---यह पानी के निकास के लिये ही है ?

श्री रामेश्वर लाल (जिला देवरिया)—क्या यह सही है प्रान्त के समस्त तालों के सम्बन्ध में कि किसानों की खेती को वहां पानी के जमाव से नुक्सान होता है, यदि हां, तो क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है जिसमें समस्त तालों की ऐसी व्यवस्था हो सके जिससे वह नुकसान न हो ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी हां, ऐसी योजना है। जहां-जहां से शिकायत आती है उसकी भी, जहां जहां वाटरलागिंग हो जाती है बरसात की वजह से उसकी भी बराबर जांच पड़ताल हो रही है बहुत सी ड्रेन्स बनायी भी गयी हैं जिनसे पानी निकाला भी गया है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार फिर से चंवर ताल में रेगुलेटर लगाने की व्यवस्था पर विचार करेगी ?

श्री राममूर्ति—अगर इसकी जरूरत समझी जायगी तो जरूर उसको कर लिया जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मन्त्री जी बतलाने की कृपा करेंगे कि चंवर ताल से जो पानी निकालने की योजना है और सिंचाई की भी योजना है, जैसा कि उन्होंने अभी बतलाया है, तो उससे कितने एकड़ जमीन की सिंचाई हो सकेगी और उसका रेट क्या होगा ?

श्री राममूर्ति—अभी रेट के बारे में तो कहना मुश्किल है। लेकिन पंद्रह हजार एकड़ जमीन को उससे फायदा पहुंचेगा।

आजमगढ़ जिले की घोसी तहसील में बसनही नाले से फसलों को हानि

*२५—श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सरकार को ज्ञात है कि घोसी तहसील, जिला आजमगढ़ के अन्तर्गत बसनही नाले से पानी का निकास ठीक न होने के कारण प्रतिवर्ष सैकड़ों एकड़ फसल का नुकसान होता है ?

श्री राममूर्ति—बसनहीं नाले से जिला आजमगढ़ की घोसी तहसील में लगभग ५,००० एकड़ धान की फसल की हानि होती है, जबकि अधिक वर्षा होती है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या यह सही है कि बसनही नाले के पास बलिया जिले में जो रेलवे का पुल है वह बहुत कम चौड़ा है जिससे पानी का निकास कम होता है जिससे पांच हजार एकड़ का नुकसान होता है ?

श्री राममूर्ति—हो सकता है।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि रेलवे विभाग से कोई इस प्रकार का पत्र व्यवहार करने की व्यवस्था करेंगे जिससे बरसात आने के पहले यह पुल और चौड़ा किया जा सके ?

श्री राममूर्ति—अगर माननीय सदस्य इसको लिख कर देंगे और सरकार का ध्यान आकर्षित करेंगे तो उसमें देख लिया जायगा।

श्री रामसुन्दर पांडेय—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बसनहीं नाले से पानी के निकास की व्यवस्था प्रदेशीय सरकार द्वारा क्या की जा रही है ?

श्री राममूर्ति—उसकी भी एक योजना बन गयी है। एक लाख के लगभग उसमें खर्चा होगा। उम्मीद की जाती है कि अगली वर्षा ऋतु से पहले उसके ऊपर काम भी लग जायगा।

मिर्जापुर जिले में चोपन के निकट सोन के पुल को क्षति

*२६—श्री भगवान सहाय (जिला शाहजहांपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि मिर्जापुर जिले में चोपन के पास सोन नदी पर जो पुल सरकार ने बनवाया था वह अभी हाल में बह गया ?

श्री राममूर्ति—पुल नहीं बहा। उसका आखिरी स्पान (span) जो बनाया जा रहा था, सेंटरिंग और सहारे के लिये लगाई गई बल्लियों के [illegible] बाढ़ आजाने के कारण बह जाने से टूट गया।

*२७—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि यह पुल ठेके पर बनवाया गया था या सरकार द्वारा और इसकी लागत कितनी थी ?

श्री राममूर्ति—पुल ठेके द्वारा बनाया जा रहा है। इसकी अनुमानित लागत ५० लाख रुपया है।

*२८—श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि इस पुल के बह जाने के क्या कारण हैं ? और इसमें कितने रुपये की हानि हुई है ?

श्री राममूर्ति—प्रश्न नहीं उठता।

श्री भगवान सहाय—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह जो सपोर्टिंग बल्ली वगैरह लगायी गयीं थीं वह बह गयी हैं और उसमें जो नुक्सान हो गया वह सरकार का हुआ या ठेकेदार का ?

श्री राममूर्ति—ठेकेदार का ही नुक्सान हुआ।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या यह सही है कि यह पुल बन गया है और अक्तूबर से गाड़ियां मोटरें वगैरह चलने लगी हैं ?

श्री राममूर्ति—यह बात सही है कि पुल बह गया था। लेकिन उसके बाद बना दिया गया है और उसका काम खत्म हो जाने के बाद इस्तेमाल में आ रहा है।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—क्या यह सही है कि इस पुल पर से तो मोटरें चल रही हैं लेकिन आदमियों को इसलिये मना किया गया है कि उस पर बोझा बढ़ जायगा ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं। यह गलत है। अभी पब्लिक के लिये वह खोला नहीं गया है। वह एक विशेष प्रकार से इस बरसात के वक्त में बनाया गया है जो अपने देश में एक नया प्रयोग है और कदाचित इतना लम्बा पुल इस ढंग से सारी दुनिया में नहीं बनाया गया है। उस पर अभी ऐक्सपेरीमेंट हो रहा है। लोगों को नहीं जाने दे रहे हैं इस विचार से कि उसकी टेस्टिंग हो जाय। नहीं तो फिर कहीं कोई खतरा हो जाय और माननीय सदस्य विचित्र प्रकार के सवाल यहां करेंगे।

श्री तेज प्रताप सिंह—क्या यह सही है कि जो नया हिस्सा पुल का बह गया था वह इस कारण से बह गया था कि उसमें मैटीरियल अच्छा नहीं था ? ऐसी कोई बात सरकार के सामने आयी है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—जी नहीं यह बात भी गलत है। वह बह गया इसलिये कि जिस दिन सेंटरिंग खड़ी की उसी दिन बाढ़ आ गई। रात के ११ बजे तक बाढ़ नहीं आयी और तीन बजे आयी बाढ़ और सोन नदी को नद कहा जाता है इसीलिये कि उसमें बाढ़ जब आती है तो एकाएक आती है। इसी प्रकार बाढ़ उसमें आयी और वह बल्लियां बह गईं।

श्री भगवान सहाय—क्या सरकार बतायेगी कि इस पुल की टेस्टिंग कब तक खत्म हो जायगी और वह कब तक यातायात के लिये खोल दिया जायगा।

श्री राममूर्ति—कोशिश तो यही है कि जल्द से जल्द काम खत्म हो जाय ताकि लोग इस्तेमाल कर सकें।

श्री रामकृष्ण जैसवार (जिला मिर्जापुर)—इस पुल पर आदमियों की यातायात के लिये कब तक दिया जायगा जायगी ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—आदमी अब भी आते जाते हैं और जानवर भी आते जाते हैं, मोटर गाड़ियां भी उसके ऊपर चल रही हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र—क्या मंत्री जी को ज्ञात है कि आदमियों और मवेशियों के आने जाने के लिये वहां पर नाव का दूसरा पुल बनाया जायगा और उसका ठेका हुआ है और उस पर आदमियों को टैक्स देना पड़ता है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुमकिन है इस पुल पर भी आने-जाने के लिये टैक्स देना पड़े।

अलीगढ़ जिले की नशेबी जमीन के लिए योजनायें

*२९—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ जिले की नशेब की जमीन के संबंध में कमिश्नर, आगरा डिवीजन तथा इंजीनियर के स्तर की कमेटी ने नाले बनवाने तथा उनका कार्य आरम्भ कराने के संबंध में क्या निर्णय किया है ?

श्री राममूर्ति—आगरा मंडल के कमिश्नर व सिंचाई विभाग के इंजीनियरों की एक मांडलिक बैठक में यह निश्चय किया गया कि जिलाधीश अपने प्रस्ताव भेजने से पूर्व सिंचाई विभाग के इंजीनियरों से विचार विनमय कर लें, उसी के अनुसार अलीगढ़ जिले में जलमग्न क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिये २७ योजनायें, जिनकी सूची (संख्या १) संलग्न है, प्रस्तावित है। इनकी जांच पड़ताल की जा चुकी।

इन योजनाओं पर कार्य, वर्तमान वित्तीय वर्ष में, आरम्भ कर दिया गया है।

(देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ १७९ पर)

*३०—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सिंचाई मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उक्त नशेब की जमीन के पानी के बहाव के नाले बनाने में तहसीलवार अलीगढ़ जिले में कितना व्यय होगा और ये नाले कब तक तैयार हो जायेंगे ?

श्री राममूर्ति—ड्रेनेज योजनाओं पर तहसीलवार व्यय की सूची (नं० २) संलग्न है। केवल क्रमांक १६ को छोड़ कर, जो अलीगढ़ ड्रेन की विशेष मरम्मत के सम्बध में है, दूसरी सभी योजनाओं (सूची संख्या २) के वर्तमान वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूर्ण हो जाने की आशा की जाती है।

(देखिये नत्थी 'ख' आगे पृष्ठ १८०-१८१ पर)

*३१—**श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ**—क्या सिंचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हाथरस में किन-किन नालों को बनाने में प्राथमिकता दी जायेगी ?

श्री राममूर्ति—हाथरस में बनने वाली उन ड्रेन्स को, जिनको महत्व दिया गया है उनके नाम सूची संख्या ३ में उल्लिखित हैं।

(देखिये नत्थी 'ग' आगे पृष्ठ १८२ पर)

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जो उत्तर सूची १ में दिया हुआ है इसमें से ७,२१,२२,२३ और २६ में से किन-किन नालों पर कार्य आरम्भ हो गया है ?

श्री राममूर्ति—गालिबन काम सभी पर थोड़ा-थोड़ा शुरू हो रहा है।

श्री नन्दकुमारदेव वाशिष्ठ—क्या सरकार के पास इस तरह की सूचना है कि किस-किस नाले पर कितना-कितना काम हो चुका है, इसका कुछ अन्दाज मिल सकेगा ?

श्री राममूर्ति—अब इस प्रकार की कोई सप्ताहिक रिपोर्ट हमारे यहां आया नहीं करती।

श्री गेंदा सिंह—जिस प्रकार अलीगढ़ के जिले में कमिश्नर, कलेक्टर और सिंचाई विभाग के सब लोग मिल करके सारे जिले की योजना पानी निकालने की बना रहे हैं उस तरह से सारे सूबे के जिलों को कोई हिदायत मंत्री जी भेजने की कृपा करेंगे ताकि वहां भी ऐसी योजना बना ली जाय ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—ऐसा तो किया है कि जिन जिन इलाकों में अब की बाढ़ आयी है वहां कलेक्टर्स को यह लिखा गया कि वह अपने यहां प्लानिंग कमेटी की मीटिंग कर दें और यह स्कीम बना डालें कि किन-किन जगहों पर वह समझते हैं कि पानी के निकास के लिए या नाले खोदने के लिए आवश्यकता है, इसके बारे में प्रतिनिधियों से राय वहां ले लें ताकि उस पर तुरन्त कार्यवाही शुरू की जा सके।

श्री नेकराम शर्मा (जिला अलीगढ़)—क्या माननीय मंत्री जी बतलाने का कष्ट करेंगे कि तहसील सिकन्दराराउ में यह ड्रेनेज योजना चालू हो गई है। यदि हां, तो कहां-कहां और क्या २ स्कीम्स हैं ? सिकन्दराराउ तहसील के लिए ?

श्री राममूर्ति—अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जो सूची है वह संलग्न है उसमें सब योजनायें दी हुई हैं। माननीय सदस्य कृपया उसको देखें।

सेरिया, जिला झांसी में सेरिया नाले की बाढ़ से मकानों को नुकसान

*३२—श्री रामसहाय शर्मा (जिला झांसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि ग्राम सेरिया, तहसील गरौठा (झांसी) में नहर का बांध बनने के कारण, वर्षा के प्रारम्भ में ही लगभग १०० मकान वहां के निवासियों के गिर पड़े हैं ?

श्री राममूर्ति—दिनांक १ जुलाई, ५६ व २ जुलाई, ५६ के बीच की रात्रि को उस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा होने के कारण सेरिया नाले में अचानक बाढ़ आ गई, फलस्वरूप नाले के किनारे नीचे बसे हुए लगभग एक दर्जन कच्चे मकानों के कुछ भाग गिर गये।

*३३—श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार तुरन्त ही आर्थिक सहायता देकर वहां जनता को सहयोग देगी ?

श्री राममूर्ति—क्षति की जांच मौके पर करके मुआवजे की सूची तैयार की गई है। मुआवजा ४९२ रु० (चार सौ बानवे रुपये) हैं जो शीघ्र ही बांट दिया जावेगा।

श्री रामसहाय शर्मा—क्या सरकार के पास इस प्रकार की सूचना आयी है कि नगर विभाग के अधिकारियों के गलत नहर बनाने की वजह से उस गांव में क्षति हुई है, पानी बरसने से नहीं ?

श्री राममूर्ति—नहर विभाग के इंजीनियर्स कभी जान बूझकर तो ऐसी कोशिश करते नहीं कि किसी गांव को नुकसान पहुंच सके। अगर उसके बाद भी कोई गलती हो गई हो तो उसको संभाला भी जाता है।

फैजाबाद जिले में अकबरपुर के पंचायत मंत्रियों का बकाया वेतन

*३४—श्री जयराम वर्मा (जिला फैजाबाद)—क्या सरकार कृपया बतलायेगी कि फैजाबाद जिले में पंचायत निरीक्षक क्षेत्र, अकबरपुर के पंचायत मंत्रियों का सन् १९५२ ई० का वेतन कुछ अब भी शेष है? यदि हां, तो क्यों?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, १ जनवरी से ३० जून सन् १९५२ तक का वेतन अवशेष है जिसके भुगतान का भार गांव पंचायतों पर ही था और उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी इस कारण उसका भुगतान न हो सका।

*३५—श्री जयराम वर्मा—क्या फैजाबाद जिले के अन्य पंचायत निरीक्षक क्षेत्र के पंचायत मंत्रियों का भी पिछला वेतन बाकी है? यदि हां, तो कब का और कितना-कितना?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, १९५१ का २,०५९ रु० २ आ० तथा १, जनवरी १९५२ से जून ३०, १९५२ तक का ३७, ४१२ रु० वेतन का अवशेष है।

श्री जयराम वर्मा—क्या यह सही है कि पंचायत मंत्रियों के बकाया वेतन के भुगतान के लिए सरकार की ओर से भी कुछ रुपया दिया गया था?

श्री सैयद अली जहीर—जी हां, सन् ५२ के बाद से तो फिर सरकार ही सारा रुपया दे रही है वेतन का।

श्री जयराम वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि यह रुपया जो सरकार की ओर से दिया गया वह कितना रुपया था और वह किन-किन पंचायत निरीक्षकों के सर्किलों में किस किस समय के लिए बकाया वेतन की अदायगी के लिए इस्तेमाल किया गया?

श्री अध्यक्ष—मैं इजाजत नहीं देता हूं। आपने कई प्रश्न एक साथ कर दिए। कुछ तोड़ के एक प्रश्न कीजिए।

श्री जयराम वर्मा—क्या माननीय मन्त्री जी कृपया बतलायेंगे कि सरकार की ओर से कितना रुपया दिया गया और कब?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने तो यह अर्ज किया कि सन् ५२ के बाद से जो कुछ वेतन होता है वह सब सरकार अपने पास से देती है। लेकिन इस प्रकार का जो बाकी है वह अभी जहां का बाकी है उसका अभी आखिरी फैसला नहीं हुआ कि वह कब अदा होगा और क्या होगा। उसकी जांच पड़ताल हो रही है।

श्री जयराम वर्मा—मैंने यह जानना चाहा था कि जो बकाया वेतन था पंचायत मंत्रियों का उसकी अदायगी के लिए कुछ रुपया दिया गया था या नहीं? यदि दिया गया तो कितना दिया गया?

श्री सैयद अली जहीर—अभी तक तो जहां तक मुझे इत्तिला है वह नहीं अदा किया गया है। उसके तो अभी हम सब जगह से आंकड़े जमा कर रहे हैं। मालूम हो जाय कि कहां का कितना रुपया बाकी है तो उस सबको देखकर तय किया जायगा।

श्री जयराम वर्मा—श्रीमान् जी, मेरे प्रश्न का उत्तर तो यह है नहीं, मैं तो.....

श्री अध्यक्ष—इसका तो उन्होंने जवाब दे दिया। आपको समझ लेना चाहिये कि कोई रुपया नहीं दिया। जब नहीं दिया तो वह कैसे बतायेंगे?

श्री जयराम वर्मा—क्या माननीय मंत्री जी कृपया बतावेंगे कि इस बकाया वेतन के के भुगतान के लिए सरकार की ओर से कोई प्रबन्ध हो रहा है या नहीं?

श्री अध्यक्ष—इसका जवाब दिया जा चुका है ।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि यह सन् ५२ की जो रकम मंत्रियों की जो बकाया है, इसके आंकड़े सरकार कब से जुटा रही है ?

श्री सैयदअली जहीर—मैंने तो यही कोशिश की, मगर उसके आंकड़े अभी पूरे तौर से जमा नहीं हुए ।

श्री अध्यक्ष—प्रश्न यह है कि आंकड़े कब से इकट्ठे हो रहे हैं ?

श्री सैयदअली जहीर—जब से वह बकाया रह गया उसी के बाद से हमने जो पहले करेंट था वह देना शुरू कर दिया और यह दरयाफ्त करना शुरू कर दिया कि कितना बकाया है । वह सब फिगर्स जमा हो रहे हैं सब जगह से ।

श्री बलदेव सिंह (जिला गोंडा)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि और कितने कितने दिन आंकड़ा बटोरने में लगेंगे ?

श्री सैयदअली जहीर—उम्मीद है कि बहुत जल्दी यह मामला तय हो जायगा ।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार ने कोई ऐसा बन्दोबस्त कर रखा है कि पंचायतों के मंत्रियों की तनख्वाह किस वर्ष में दी गयी और कितनी दी गयी और कितनी बकाया है, सरकार को इसकी खबर हो जाय ?

श्री सैयदअली जहीर—सन् ५२ के बाद से तो बकाया नहीं है । वह तो महीने के महीने अदा हो रहा है । उसके पहले कहीं कहीं बकाया रह गया, उसके लिए पंचायतों से आंकड़े जमा किये जा रहे हैं और वह अभी नहीं हुए ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि किन साधनों से सरकार यह आंकड़े एकत्रित करवा रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—मेरे खयाल में माननीय सदस्य जानते हैं कि पंचायत राज का बहुत बड़ा विभाग है । उसी के जरिये से जमा हो रहे हैं ।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सही है कि सन् ५२ का जो बकाया वेतन पड़ा हुआ है उस सम्बन्ध में एक दिक्कत यह भी सरकार के सामने आ रही है कि वह आंकड़े इसलिए इकट्ठा नहीं कर पा रही है कि रेकार्ड नहीं है ?

श्री सैयद अली जहीर—मुमकिन है बहुत सी जगह रेकार्ड न हो, लेकिन मुझे उसकी तफसील मालूम नहीं है ।

श्री गेंदा सिंह—क्या सरकार पंचायतराज के उन अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी जिन्होंने सन् ५२ की तनख्वाह का हिसाब-किताब अब तक सरकार के सामने नहीं रखा ?

श्री सैयद अली जहीर—माननीय सदस्य शायद यह जानते हैं कि जैसा कि मैंने जवाब में कहा कि उसकी तो जिम्मेदारी पंचायतों की थी कि तनख्वाहें दें और उन्होंने नहीं दी । जब से जिम्मेदारी सरकार ने ली, न तो तनख्वाह बाकी है और न हिसाब में गड़बड़ी है ।

जिला बोर्ड, देवरिया के अध्यापकों का कथित बकाया वेतन

*३६—श्री रामेश्वर लाल—क्या सरकार कृपा कर बतायेगी कि जिला बोर्ड देवरिया के कितने अध्यापकों की तनख्वाह गत ३ माह से अधिक से नहीं दी गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—अध्यक्ष जिला बोर्ड, देवरिया द्वारा आश्वासन मिला है कि ऐसा कोई केस नहीं है, जिसे ३ माह से अधिक से तनख्वाह न मिली हो ।

श्री रामेश्वर लाल—क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या यह सही है कि देवरिया जिला बोर्ड में काम करने वाले अध्यापक जो उक्त कारणों से सस्पेंड हैं या इस्तीफा दे दिये हैं उनकी तनख्वाहें सस्पेंशन काल की भी और उसके पहले तीन महीने की बकाया हैं ?

श्री कैलाश प्रकाश—इसकी कोई सूचना उपलब्ध नहीं । माननीय सदस्य किसी विशेष का नाम देंगे तो उसके बारे में पूछा जा सकता है ।

*३७—श्री रामेश्वरलाल—[६ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया ।]

देवरिया जिला बोर्ड के भटपार निर्वाचन क्षेत्र के उप-निर्वाचन के सम्बन्ध में जानकारी

*३८—श्री रामेश्वरलाल—क्या स्वायत्त शासन मंत्री कृपा कर बतायेंगे कि देवरिया जिला बोर्ड के कितने सदस्यों का स्थान रिक्त है और उनके उप-चुनाव कब तक हो जावेंगे ?

श्री कैलाश प्रकाश—देवरिया जिला बोर्ड के भटपार निर्वाचन क्षेत्र में एक सदस्य का स्थान रिक्त है । इस स्थान को भरने का सवाल राज्य के जिला बोर्डों के रिक्त स्थानों को भरने के आम सवाल से ताल्लुक रखता है । जब और जिला बोर्डों के रिक्त स्थानों के लिए उप-निर्वाचन होंगे उसी समय देवरिया जिला बोर्ड के इस रिक्त स्थान के लिए भी उपनिर्वाचन होगा ।

श्री रामसुभग वर्मा—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि इन रिक्त स्थानों के चुनाव की कब तक अवधि है ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार की तो यही कोशिश थी कि जल्द से जल्द इनका चुनाव हो जाय । लेकिन जब तक कानून वगैरह पास हो और इस सदन से मंजूर हो उस वक्त तक और अब आम चुनाव करीब आ गया है, लिहाजा सोचा गया है कि इससे पहले कोई ऐसा चुनाव, जिसमें तकरीबन १२५–१३० आदमियों का चुनाव होगा, करना मुनासिब नहीं होगा । लिहाजा खयाल यह है कि यह चुनाव आम चुनावों के बाद होगा ।

श्री नारायणदत्त तिवारी—क्या यह सही है कि इसके लिये एक विधेयक मार्च अप्रैल में पास कर दिया गया था और मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था कि अक्तूबर तक चुनाव हो जायगा ?

श्री सैयद अली जहीर—मैंने जरूर कहा था कि कोशिश की जायगी कि चुनाव हो जाय । लेकिन इतना ज्यादा काम निकला, फेहरिस्तों वगैरह के बनाने में और नई कांस्टीटुएंसी के तैयार होने में यह काम मुमकिन नहीं हो सका ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार आम चुनावों की तिथि की अनिश्चितता को देखते हुये कोई घोषणा करेगी कि रिक्त स्थानों की पूर्ति जनवरी, फरवरी में चुनाव के द्वारा करा दी जायगी ?

श्री सैयद अली जहीर—आम चुनाव तो असेम्बली के लिये होंगे, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स के लिये नहीं होंगे ।

श्री राजनारायण—क्या सरकार को पता है कि आम निर्वाचन होने वाला है, उसकी कोई तारीख निश्चित रूप से घोषित नहीं की गई है?

श्री सैयद अली जहीर—यह तो जो देश भर को मालूम है, मुझे भी मालूम है।

श्री गेंदासिंह—आम निर्वाचन की तारीख को ध्यान में रखते हुये, अप्रैल में बोर्ड का चुनाव कराने की मेहरबानी मंत्री जी करेंगे?

श्री सैयद अली जहीर—आम चुनाव के बाद मालूम नहीं कि सरकार कौन की होगी और जो उस वक्त हुकूमत होगी वही इंतजाम करेगी। मैं पहले से नहीं बतला सकता हूं।

अलीगढ़ नगरपालिका में हरिजन कर्मचारियों का न होना

*३९—श्री रामप्रसाद देशमुख (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि अलीगढ़ नगरपालिका में कितने हरिजन क्लर्क्स हैं और कितने चपरासी हैं?

श्री कैलाश प्रकाश—इस नगरपालिका में कोई हरिजन क्लर्क या चपरासी नहीं है।

श्री रामप्रसाद देशमुख—क्या मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि जब से यह नगरपालिका सुपरसीड हुई है, उस समय से कितने नये कर्मचारी रखे गये हैं?

श्री सैयदअली जहीर—मेरे पास इस वक्त संख्या नहीं है। लेकिन यह जरूर काबिले अफसोस है और अगर किसी जगह पर ऐसे लोग हुये जो नहीं होने चाहिए थे तो मैं उसके लिए दरियाफ्त करूंगा।

श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य (जिला जौनपुर)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो हरिजन और अनुसूचित जातियों के लिये १८ प्रतिशत का संरक्षण है, उसके आदेश सरकार द्वारा इस नगरपालिका को भेज दिये गये हैं?

श्री सैयद अली जहीर—बात यह है कि नगरपालिकायें तो खुदमुख्तार बाडीज हैं और उनको अख्तियार है कि जिनको चाहें रखें। बहरहाल, सलाह हमने उनको दी है कि सरकार की यह नीति है, इस पर उनको भी अमल करना चाहिए।

अलीगढ़ नगरपालिका में ड्रेनेज के कार्य पर व्यय

*४०—श्री नेत्रपाल सिंह (जिला अलीगढ़)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि नगरपालिका अलीगढ़ में जो ड्रेनेज (Drainage) का कार्य चल रहा है उस पर सरकार कितना रुपया खर्च कर रही है और वह कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री कैलाश प्रकाश—नगरपालिका, अलीगढ़ में जो ड्रेनेज का काम चल रहा है उसका अनुमानित व्यय ११,४०,००० रुपया है। आशा की जाती है कि यह काम नवम्बर १९५६ तक पूरा हो जावेगा।

इस कार्य पर जो व्यय हो रहा है वह नगरपालिका सरकार से ऋण तथा अनुदान के रूप में आर्थिक सहायता लेकर कर रही है।

श्री नेत्रपाल सिंह—क्या मंत्री जी कृपा करके बतायेंगे कि सरकार ऋण और अनुदान के रूप में कितना-कितना रुपया दे रही है?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार ने ४ लाख १२ हजार रुपये तो अनुदान दिये हैं और ७ लाख २८ हजार रुपये ऋण में दिये हैं।

श्री नेत्रपाल सिंह--क्या सरकार अब तक पूरे चार लाख रुपये दे चुकी है या नहीं?

श्री सैयद अली जहीर--इस वक्त तक ८,८२,६९० रुपये खर्च हो चुके हैं।

श्री अध्यक्ष- नीय नेत्रपाल सिंह जी, आप अपने प्रश्न को स्पष्ट कर दें।

श्री नेत्रपाल सिंह--मेरे अर्ज करने का मतलब यह था कि माननीय मंत्री जी कृपा कर बतायेंगे कि वे अब तक सरकारी खजाने से कितना रुपया नगरपालिका अलीगढ़ को दे चुके हैं?

श्री सैयदअली जहीर--मैंने यही तो अर्ज किया कि ८,८२,६९० रुपये का काम वहां हो चुका है और यह रकम गालिबन दी जा चुकी है।

श्री रामप्रसाद देशमुख--क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि अलीगढ़ में जो ड्रेनेज का कार्य चल रहा है वह इतना धीमा चल रहा है कि वह नवम्बर तक पूरा नहीं हो पायेगा?

श्री सैयदअली जहीर--हमें तो आशा यही है कि हो जायगा। अब आप कह रहे हैं, मालूम नहीं क्या सूरत होगी।

श्री नेत्रपाल सिंह--मैंने जैसा अर्ज किया और जैसा मंत्री महोदय ने फरमाया उससे तो यह स्पष्ट हुआ कि ८ लाख रुपये का कुल खर्चा हुआ है.....

श्री अध्यक्ष--आप अपना प्रश्न जरा स्पष्ट करके पूछें तो पता लग जायगा। ऋण और अनुदान का अलग-अलग पूछिये।

श्री रामप्रसाद देशमुख--अलीगढ़ ड्रेनेज स्कीम पर ११ लाख ४० हजार रुपये खर्च होने का अनुमान है। तो मेरा सवाल यह है कि क्या सरकार कृपा करके बतायेगी कि उसने अपने खजाने से इसके लिये कितना रुपया ऋण और कितना रुपया अनुदान में दिया है?

श्री कैलाश प्रकाश--सरकार अनुदान और ऋण, दोनों का रुपया दे चुकी है और उसका सालवार ब्योरा इस प्रकार है:--

वर्ष		अनुदान
१९५२-५३ में	..	१,४०,००० रुपये
१९५३-५४ में	..	१,००,००० रुपये
१९५४-५५ में	..	१,७२,००० रुपये।

इस तरह से जितना अनुदान दिया गया वह सन् १९५५ तक दिया जा चुका यानी ४ लाख १२ हजार रुपये। प्रश्न ऋण का रहता है। वह भी १९५५-५६ में ७ लाख २८ हजार रुपये दिये जा चुके हैं।

श्री नेत्रपाल सिंह--क्या मंत्री महोदय बताने की कृपा करेंगे कि जो रुपया अब तक दिया जा चुका है उसमें कितना काम पूरा हो गया है और कितना बाकी है?

श्री कैलाश प्रकाश--यह बताया जा चुका है कि जो रुपया दिया जा चुका है उसमें ८,८२,६९० रुपये तो खर्च हो चुके हैं। ९० फीसदी काम समाप्त हो चुका है और नवम्बर तक पूरा काम समाप्त हो जाने की आशा है और जब पूरा काम समाप्त हो जायगा तो पूरा रुपया खर्च हो जायगा।

जालौन जिले की इमिलिया बुजुर्ग गांव सभा के चुनाव में अनियमितता की शिकायत

*४१—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या सरकारके पास ग्राम इमिलिया बुजुर्ग, जिला जालौन की गांव सभा के चुनाव में हुई अनियमितताओं के बारे में शिकायत आई है ? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां, फरवरी १९५६ में लोगों ने मौखिक शिकायत की थी। जिलाधीश की रिपोर्ट मांगी गई जिससे विदित हुआ कि चुनाव याचिका दाखिल की जा चुकी है अतः आगे कोई कार्यवाही नहीं की गई।

*४२—श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सत्य है कि जिला जालौन की इमिलिया बुजुर्ग गांव सभा का प्रधान का चुनाव फल घोषित किया जा चुका है ? यदि हां, तो किसके द्वारा और कब ?

श्री कैलाश प्रकाश—इस गांव सभा के प्रधान का चुनाव फल २३ जनवरी, १९५६ को रिटर्निंग अफसर (जिला सहायक पंचायत अधिकारी) द्वारा घोषित किया जा चुका है।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सही है कि मौखिक शिकायतों के अलावा १३-१-५६ को कुछ लोगों ने एक लिखित शिकायत माननीय मंत्री जी को दी है ?

श्री कैलाश प्रकाश—जो सामग्री उपलब्ध है उसके अनुसार तो जो उत्तर दिया गया है वही सही प्रतीत होता है। मुमकिन है कोई दरख्वास्त किसी वक्त आयी हो। माननीय सदस्य ध्यान दिलावेंगे तो उसका पता लगाया जायगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि यह चुनाव किस तारीख को हुआ ?

श्री कैलाश प्रकाश—चुनाव की ठीक तारीख तो मालूम नहीं है किन्तु नवम्बर दिसम्बर में चुनाव हुये थे उसी समय हुआ होगा।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी बताने की कृपा करेंगे कि २३ जनवरी, सन् १९५६ को इतनी देर बाद चुनाव फल की घोषणा रिटर्निंग आफिसर ने क्यों की ?

श्री कैलाश प्रकाश—जब यह चुनाव हो चुका उसकी शिकायत गालिबन जिले में भी की गई कि इस चुनाव फल में कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की जा रही है तो वहां के रिटर्निंग आफिसर ने कागजात मंगवाये और उनको देखने के बाद वहां का चुनाव फल घोषित कर दिया।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या यह सही है कि उस मौके पर जब चुनाव हो रहा था उसके बाद जो चुनाव फल रिटर्निंग आफिसर ने घोषित किया उसके बिलकुल विपरीत २३ जनवरी को यह चुनाव फल घोषित किया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—जी नहीं, जो रिपोर्ट प्रेसाइडिंग आफिसर की आयी और जितने मत उस रिपोर्ट में प्रेसाइडिंग आफिसर द्वारा लिखे गये थे उन्हीं के अनुसार यह चुनाव फल घोषित किया गया।

श्री तेजप्रताप सिंह—क्या माननीय मंत्री जी इन गम्भीर आरोपों को देखते हुये इसकी जांच करवाने की कृपा करेंगे कि इस तरह से अवैधानिक रूप से और पक्षपातपूर्ण तरीके से यह चुनाव फल दूसरे प्रकार से क्यों घोषित किया गया और बदल दिया गया ?

श्री कैलाश प्रकाश—जैसा मैं निवेदन कर चुका हूं कि चुनाव के विषय में कोई भी बात यदि होती है तो वह तो चुनाव याचिका में चला जाता है और चुनाव याचिका में यह सब बातें आ सकती हैं। चुनाव याचिका दाखिल है। वह अदालत में मौजूद है। यह सब चीजें वहां हैं। उन पर निर्णय होगा और उस निर्णय के पश्चात् यदि कोई चीज लिखी जायगी तो उस पर कार्यवाही होगी।

जालौन जिले में बंगरा-रामपुर सड़क बनाने की योजना

*४३—राजा वीरेन्द्रशाह (जिला जालौन)—क्या यह सही है कि जिला जालौन में बंगरा-रामपुरा की सड़क द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित कर ली गई है? यदि हां, तो इस सड़क के निर्माण के लिये कुल कितना रुपया व्यय करने का सरकार ने निश्चय किया है।

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—प्रथम भाग—जी हां।

द्वितीय भाग—इस सड़क का आगणन बन जाने के बाद इस पर रुपये के व्यय के सम्बन्ध में निश्चय किया जायगा।

राजा वीरेन्द्र शाह—क्या सरकार को मालूम है कि यह सड़क वही है जिस पर श्रमदान होने के बाद करीब ४५ हजार रुपया जमा है?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—बंगरा-रामपुर और बंगरा-माधोपुर वाली सड़कों में से बंगरा-माधोपुर सड़क सेल्फ-हेल्प स्कीम के अन्तर्गत हाथ में वहां ली जा चुकी है। इसमें पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में ५०,२९४ रुपये के लगभग जमा है और अभी कुछ जमा होना शेष है। उसमें चीफ इंजीनियर द्वारा ५६,५०० रुपये का आगणन स्वीकृत हो चुका है और उसके लिए जब शेष धन प्राप्त हो जायगा तो कार्य प्रारम्भ हो जायगा।

राजा वीरेन्द्रशाह—क्या सरकार यह उचित समझती है कि जब ५६,५०० रुपया श्रमदान और कांट्रीब्यूशन द्वारा जमा हो चुका है तो क्या वजह है कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सड़क आने पर भी काम शुरू नहीं किया गया?

श्री लक्ष्मीरमण आचार्य—और आवश्यक कार्य भी जिले में हो रहे हैं और जैसा मैंने अभी निवेदन किया था अभी ६,२०६ रुपया जमा होना शेष है। वह जमा हो जाय तो उधर भी कार्य प्रारम्भ हो सकेगा।

*४४—४५—श्री यमुनासिंह (जिला गाजीपुर)—[२० नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

पवित्र नदियों में मलमूत्र गिरने से रोकने की योजना

*४६—श्री गणेशचन्द्र काछी (जिला मैनपुरी)—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि जो शहरों का गन्दा पानी और पाखाना नालों के द्वारा बहकर गंगा या यमुना आदि नदियों में जाता है उसको रोक कर कहीं दूसरी जगहों पर गिराने का वह प्रबन्ध कर रही है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*४७—श्री गणेशचन्द्र काछी—यदि हां, तो कब तक? नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री कैलाश प्रकाश—प्रथम पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत उत्तर प्रदेश के बड़े-बड़े नगरों में, विशेष कर कानपुर, आगरा, वाराणसी, इलाहाबाद और लखनऊ में ऐसी योजनायें कार्यान्वित की जा रही हैं जिसके द्वारा गंदा पानी और मलमूत्र इत्यादि जो नालियों द्वारा गंगा, यमुना तथा अन्य नदियों में बह कर जाता था उसको अब रोक कर कृषि इत्यादि के कार्य में लाया जायगा।

[श्री कैलाश प्रकाश]

प्रदेश के और शहरों में भी इस प्रकार की योजनाओं को चलाने की समस्या पर द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के सिलसिले में सरकार प्रयत्न कर रही है। यदि आवश्यक आर्थिक सहायता केन्द्र से मिल सकी तो इन योजनाओं के पूरा हो जाने पर, अर्थात् द्वितीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक नदियों का इस प्रकार से दूषित होना बहुत हद तक कम हो जायगा।

श्री गणेशचन्द्र काछी---क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि प्रथम पंचवर्षीय योजना के मुताबिक शहरों का गन्दा पानी गंगा यमुना आदि नदियों में न पहुंच सके इसके लिये कोशिश करने में वह कहां तक कामयाब हो सकी है?

श्री कैलाशप्रकाश---काफी हद तक कामयाब हो चुकी है। कुल शहरों में योजना पूरी हो चुकी है और वहां पर अब वह पानी नदियों में नहीं पड़ता है और जो शहर लिखे गये हैं, जहाँ वह अभी पूरी हुई है वहां वह शीघ्र ही पूरी होने वाली है।

श्री तेजप्रताप सिंह---क्या सरकार के पास ऐसे कोई सुझाव आये हैं कानपुर से कि जहां मल-मूत्र इत्यादि रोक कर कृषि के लिये पानी दिया जाता है, वहां उससे फसल जल जाती है और उसके लिये दूसरे साफ पानी देने की व्यवस्था भी होनी चाहिये?

श्री सैयद अली जहीर---जी नहीं, ऐसे तो सुझाव नहीं आये हैं। पानी जो दिया जाता है उसमें बहुत ज्यादा साफ पानी मिला दिया जाता है और तब वह खेतों में बांटा जाता है। उसमें न किसी किस्म की बदबू होती है और न मैलापन होता है। बहरहाल, अगर कोई ऐसी शिकायत आयेगी तो उस पर विचार किया जायगा।

श्री देवकीनन्दन विभव---क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने की कृपा करेंगे कि आगरे में जो ड्रेनेज स्कीम है वह किस सन् में प्रारम्भ हुई थी और कबतक खत्म होगी?

श्री सैयद अली जहीर---इस वक्त यह सूचना मेरे पास नहीं है।

श्री रतनलाल जैन (जिला बिजनौर)---क्या माननीय मंत्री जी कृपा कर बतलायेंगे कि क्या इस योजना को लखनऊ में भी वह जारी करने का इरादा रखते हैं और अगर रखते हैं तो कब तक?

श्री सैयद अली जहीर---मेरे ख़याल में यहां इस योजना पर काम हो रहा है।

*४८-५०---श्री सत्यसिंह राणा (जिला टेहरी गढ़वाल)---[६ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

*५१-५२---श्री झारखंडे राय (अनुपस्थित)---[६ नवम्बर, १९५६ के लिये प्रश्न ७१-७२ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

*५३-५४---श्री जगपति सिंह (जिला बांदा)---[३१ अक्तूबर, १९५६ के लिये प्रश्न ६६-६७ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किये गये।]

मुरादाबाद ज़िले की विभिन्न अदालतों में विचाराधीन मुकदमे

*५५---श्री महीलाल (जिला मुरादाबाद) (अनुपस्थित)---क्या न्याय मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जिला मुरादाबाद की अलग-अलग अदालतों में कितने-कितने मुकदमे कितने-कितने समय से विचाराधीन हैं?

श्री सैयद अली जहीर---जिला मुरादाबाद की अलग-अलग अदालतों में बकाया मुकदमों की संख्या संलग्न है।

(देखिये नत्थी 'घ' आगे पृष्ठ १८३ पर)

*५६—श्री टीकाराम (जिला बदायूं)—[२१ अक्तूबर, १९५६ के लिये प्रश्न ५९ के अन्तर्गत स्थानान्तरित किया गया।]

*५७-५९—श्री कल्याणचन्द मोहिले—[स्थगित किये गये।]

*६०—श्री कमलासिंह (जिला गाजीपुर) (अनुपस्थित)—[६ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

सैदपुर-वहरियाबाद रोड को पी० डब्लू०डी० के अन्तर्गत लेने की प्रार्थना

*६१—श्री कमलासिंह (अनुपस्थित)—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि गाजीपुर जिले की पश्चिमी भाग के यातायात की समस्या को देखते हुये सैदपुर-वहरियाबाद रोड को पी० डब्ल्यू० डी० के अन्तर्गत सरकार कब लेने जा रही है?

निर्माण मंत्री (श्री विचित्रनारायण शर्मा)—ऐसी कोई योजना सरकार के विचाराधीन नहीं है।

*६२—श्री कमलासिंह (अनुपस्थित)—[६ नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किया गया।]

मध्यवर्गीय-गृह योजना के सम्बन्ध में जानकारी

*६३—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या न्याय मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि मध्यवर्गीय-गृह-योजना के अन्तर्गत कितना रुपया सहयोग समितियों द्वारा गृह-निर्माण के लिये अब तक दिया जा चुका है और कितना स्वायत्त संस्थाओं द्वारा?

श्री कैलाशप्रकाश—मध्य वर्गीय गृह योजना के अन्तर्गत कोई धनराशि गृह-निर्माण के लिये सहयोग समितियों अथवा स्वायत्त संस्थाओं द्वारा नहीं दी गई है।

*६४—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या न्याय मंत्री को यह विदित है कि गृह-निर्माण के लिये आवश्यक सामान न मिलने के कारण प्रगति में विलम्ब हो रहा है?

श्री कैलाश प्रकाश—जी हां।

*६५—श्री देवकीनन्दन विभव—क्या सरकार बतायेगी कि गृह-निर्माण की सरकार की भावी योजना क्या है?

श्री कैलाश प्रकाश—सरकार की भावी योजना में पहले अल्पायी गृह-निर्माण योजना तथा औद्योगिक आवास योजना के अपूर्ण कार्यों को पूरा करने तथा गृह-निर्माण के इच्छुक लोगों के लिये भूमि का विकास करने पर ध्यान दिया जायेगा। सरकार का इरादा द्वितीय पंचवर्षीय योजना में अल्पायी गृह-निर्माण—योजना के अन्तर्गत ५,६७५ तथा औद्योगिक आवास योजना के अन्तर्गत १७,५५० मकान निर्माण कराने का है। भारत सरकार की sum clearance योजना के अन्तर्गत भी शायद कुछ काम किया जावे इस सम्बन्ध में भारत सरकार से लिखा पढ़ी हो रही है।

श्री देवकीनन्दन विभव—क्या माननीय मंत्री जी यह बतलाने का कष्ट करेंगे कि अल्प-आय योजना में उन्होंने भारत सरकार के नौकरों को सुविधा देना क्यों नहीं निश्चित किया?

श्री सैयद अली जहीर—जहां तक मैं जानता हूं कि इसमें इस किस्म की तकसीम नहीं है। वैसे भारत सरकार बहुत से शहरों में अपने रुपये से अपने मुलाजमीन के लिये, जो वहां पर उनके दफ्तर हैं उनके लिये इमारतें बनवा रही है और उनको सब सुविधायें जो जरूरी हैं वह दी जा रही हैं।

नोट—तारांकित प्रश्न ६५ के उपरान्त प्रश्नोत्तर का समय समाप्त हो गया।

चीफ़ इंजीनियर सिंचाई विभाग के कार्य

*६६—श्री शिवकुमार शर्मा (जिला बिजनौर)—क्या सरकार बतलायेगी कि सिंचाई विभाग के चीफ इंजीनियर को किन-किन उप-विभागों अथवा कार्यों का भार सौंपा गया है ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मुख्य इंजीनियर, सिंचाई विभाग को निम्नलिखित कार्यों का भार सौंपा गया है :—

१—रिहन्द डाम सर्किल, इलाहाबाद।

२—रिहन्द डाम डिजाइन एवं प्लानिंग डाइरेक्टोरेट, इलाहाबाद।

३—यमुना सेर्किल, देहरादून।

४—विभाग का सामान्य प्रशासन।

५—इसके उपरान्त निम्न विषयों पर मुख्य इंजीनियर की स्वीकृति के बिना न तो कोई आदेश जारी होंगे और न सरकार को ही लिखा जायेगा—

(१) पचास लाख या अधिक की लागत की सभी ऐसी योजनायें (projects) जिनके लिये शासन की स्वीकृति आवश्यक हो।

(२) नीति सम्बन्धी प्रश्न तथा सामान्य प्रकृति के मामले जिनका सम्बन्ध ऐसे विभिन्न सर्किलों से है जो एक से अधिक अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर के अधीन हों।

(३) बजट और अनुपूरक मांग नये व्यय की मांग तथा अतिरिक्त स्टाफ की मांगों से संबंधी मामले।

(४) अन्य प्रश्न जो अतिरिक्त मुख्य इंजीनियरों की राय में इतने महत्वपूर्ण हैं कि मुख्य इंजीनियर की अनुमति वांछनीय हो।

६—अतिरिक्त मुख्य इंजीनियर (पश्चिम) श्री आर० सी० सहाय के अवकाश ग्रहण कर लेने पर, उनके कार्य का आंशिक भार मुख्य इंजीनियर को ऐसे काल तक के लिये सौंप दिया गया है, जब तक कि कोई स्थायी प्रबन्ध न हो जाये।

गृह-समस्या को हल करने के लिए हाउसिंग बोर्ड स्थापित करने का विचार

*६७—श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—क्या यह सही है कि सरकार हाउसिंग समस्या को हल करने के सम्बन्ध में (१) कोई विधेयक पेश करने और (२) स्टेट हाउसिंग बोर्ड बनाने पर विचार कर रही है ?

श्री सैयद अली जहीर—सरकार इस सम्बन्ध में—

(१) कोई विधेयक पेश नहीं कर रही है, पर

(२) हाउसिंग बोर्ड बनाने का प्रश्न विचाराधीन है।

*६८-६९—श्री गणेशप्रसाद जायसवाल (जिला इलाहाबाद)—[२० नवम्बर, १९५६ के लिये स्थगित किये गये।]

कानपुर में दीवानी के मुकदमों को बिला तारीख मुल्तवी करने की शिकायत

*७०—श्री त्रिलोकीनाथ कौल (जिला बहराइच)—क्या सरकार को ज्ञात है कि कानपुर में सन् १९५४, १९५५ व १९५६ के दीवानी के मुकदमे बिला तारीख मुल्तवी किये जा रहे हैं और सिर्फ १९५३ के दायर किये हुये मुकदमों में ही सुनवाई व दीगर कार्यवाही की जाती है ?

श्री सैयद अली जहीर—जी नहीं।

*७१—श्री त्रिलोकीनाथ कौल—क्या सरकार १९५४, १९५५ व १९५६ के बिलातारीख मुल्तवीशुदा मुकदमों की तादाद बताने की कृपा करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—कानपुर में सन् १९५४ और १९५५ ई० के बिना तारीख दीवानी मुकदमों की संख्या क्रमशः २०४ और १०९२ हैं। सन् १९५६ का कोई मुकदमा बिना तारीख नहीं है।

*७२—श्री त्रिलोकी नाथ कौल—अगर यह सही है, तो जनता को इस परेशानी को दूर करने के लिए क्या सरकार शीघ्र ही कोई बन्दोबस्त करेगी ?

श्री सैयद अली जहीर—यह प्रश्न ही नहीं उठता।

जौनपुर जिले के गुलजारगंज बाजार का ठेका

*७३—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि बाजार गुलजारगंज, तहसील मड़ियाहूं, जिला जौनपुर की बाजार का ठेका ग्राम सभा के अधीन है या जिला बोर्ड के, और वह इस वर्ष किसके द्वारा नीलाम किया गया तथा कितने रुपये में ?

श्री सैयद अली जहीर—जिला जौनपुर, तहसील मड़ियाहूं की बाजार गुलजारगंज का प्रबन्ध जिला बोर्ड, जौनपुर के अधिकार में है और वह इस वर्ष ३३० रुपये में जिला बोर्ड द्वारा नीलाम किया गया है।

बुद्ध जयन्ती के अवसर पर कुशीनगर के मेले का आय-व्यय

*७४—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि २,५०० वीं बुद्ध जयन्ती के अवसर पर कुशीनगर, जिला देवरिया के मेला के आयोजन में कुल कितना आय और व्यय हुआ और किस-किस मद में ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—२,५०० वीं बुद्ध जयन्ती के अवसर पर कुशीनगर जिला देवरिया में मेले के सम्बन्ध में सरकार द्वारा ५,००० रु० का अनुदान आकस्मिक व्यय के लिए तथा रु० ३,०९७ आ० २ चन्दा के रूप में प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल आय रु० ८,०९७ आ० २ हुई और व्यय रु० ४,२४१ आ० ७ हुआ।

*७५—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार को ज्ञात है कि उक्त मेले में दूकानदारों को दूकान लगाने के लिये कुछ मकानों का निर्माण किया गया था ? यदि हां, तो कितना और कितनी लगान का ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—दूकानदारों को दुकानें लगाने के लिए ५० अस्थायी दूकानें बनवायी गयीं जिन पर कुल मिला कर १,७०० रु० का व्यय हुआ।

*७६—श्री रामसुभग वर्मा—क्या सरकार बतलाने की कृपा करेगी कि उक्त दूकानों में से कितने दूकानदारों ने कितने दिनों के लिये मकान लिया था और कुल मकानों से क्या आय हुई ?

श्री कमलापति त्रिपाठी—इनमें से १० दूकानें पूरे मेला काल के लिए किराये पर दी गयी थीं जिन से कुल ५०० रु० की आय हुई।

हरद्वार बाई-पास के निर्माण के सम्बन्ध में पूछ-ताछ

*७७—श्री दीनदयालु शास्त्री (जिला सहारनपुर)— क्या सरकार को ज्ञात है कि हरद्वार के पहाड़ पर बन रही सड़क के पुश्तों तथा पुलों के निर्माण में बजरी तथा सीमेंट के स्थान पर पहाड़ी मिट्टी का प्रयोग किया जा रहा है ? यदि हां, तो ऐसा करने का क्या कारण है ?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—प्रथम भाग—जी नहीं।

द्वितीय भाग—प्रश्न नहीं उठता।

*७८—श्री दीनदयालु शास्त्री—क्या सरकार बतायेगी कि इस सड़क के निर्माण के लिए टेन्डर मांगे गये थे? यदि हां, तो सब से अधिक और सब से कम राशियों के टेन्डर किन के थे और वर्तमान ठेकेदार का टेन्डर कितने का था?

श्री विचित्रनारायण शर्मा—हरिद्वार बाई-पास का कार्य दो भागों में विभाजित था। पुल और पुश्तों का काम तथा पहाड़ की कटाई का काम। पुल और पुश्तों के लिये टेन्डर मांगे गये थे और केवल एक टेन्डर श्री रत्न-चन्द्र का प्राप्त हुआ था जिसका दाम १,३९,४८८ रुपये था। पहाड़ की कटाई के लिये टेन्डर्स नहीं मांगे गये, किन्तु १२ कोटेशन लिये गये थे जो सब शरहनामे के रेट (sheduled rates) से ज्यादा थे इसलिये समझौता करके शरह-नामे के रेट पर यह काम २९ ठेकेदारों को बांट दिया गया। सबसे अधिक रेट श्री मनसा-राम एण्ड सन्स का था और सबसे कम श्री रामप्रकाश का था।

दीवानी अदालत जौनपुर में मुन्सिफों की कमी

*७९—श्री द्वारकाप्रसाद मौर्य—क्या सरकार यह बताने की कृपा करेगी कि दीवानी अदालत जौनपुर में उसने मुंसिफों की तादाद बजाय बढ़ाने के घटा दी है जब कि उसने एक पिछले प्रश्न के उत्तर में बढ़ाने का वायदा किया था? यदि हां, तो क्यों?

श्री सैयद अली ज़हीर—जी नहीं, दीवानी अदालत जौनपुर के मुंसिफों की साधारण तादाद (usual number) में किसी प्रकार की कमी नहीं की गई है।

---

*सदन में अनधिकृत रूप से कविता बांटने के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना—(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—मेरे पास विशेषाधिकार की अवहेलना के सम्बन्ध में श्री केशव गुप्त तथा श्री व्रजभूषण मिश्र ने एक ही विषय पर सूचना दी थी। श्री केशव गुप्त ने यह कहा था कि "आज ९ अक्तूबर, १९५६ को विधान सभा का अधिवेशन प्रारम्भ होते समय श्री राजनारायण जी सदस्य विधान सभा तथा नेता सोशलिस्ट पार्टी ने कुछ कविताओं की साइक्लोस्टाइल्ड प्रतियां सरकारी कर्मचारी द्वारा सदस्यों की मेज पर रखायीं जिसके लिये उन्होंने आपसे कोई अनुमति नहीं प्राप्त की थी और जिनको वह स्वयं कानपुर पुलिस द्वारा जब्त समझे हुये थे। उनका यह कार्य विधान सभा की मान प्रतिष्ठा तथा व्यवस्था के प्रतिकूल है। यह महत्व का प्रश्न है और इससे विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित हो गया है। मुझे आशा है कि आप इसको विशेषाधिकार समिति को निर्णयार्थ भेजने की कृपा करेंगे। कविताओं की प्रतिलिपि संलग्न है।"

श्री व्रजभूषण जी मिश्र ने यह लिखा है कि "आज सुबह ११ बजे के पहले सदन की मेज पर एक सरकारी चपरासी द्वारा साइक्लोस्टाइल की हुई कुछ कविताओं का संग्रह रखा गया। प्रतियां लगभग सभी मेजों पर पड़ गयी थीं, किन्तु फिर न जाने क्यों उसी चपरासी द्वारा वह उठा ली गयीं। किन्तु इसी बीच माननीय अध्यक्ष सभास्थल में पधारे। अतः वह सब प्रतियां उठायी न जा सकीं। जांच से पता चला कि वह प्रतियां सोशलिस्ट पार्टी उत्तर प्रदेश, पान दरीबा, लखनऊ के राज्य मंत्री श्री चन्द्रिका सिंह 'करुणेश' द्वारा प्रचारित की गयी थीं और सदन की मेज पर श्री राजनारायण (सोशलिस्ट पार्टी) सदस्य, विधान सभा द्वारा वितरित करायी

---

* ९ अक्तूबर की कार्यवाही से।

गयी थीं। यह साहित्य विधान सभा के साहित्य का कोई अंग नहीं था। किसी सदस्य द्वारा अपनी पार्टी विशेष का साहित्य बिना अध्यक्ष की अनुमति के सदन की मेज पर रखना, जब कि वह विषय विवादास्पद था, सदन के नियमों का उल्लंघन करना है तथा सदन का अपमान करना भी है। अतः इस पत्र द्वारा मैं आपका ध्यान आकर्षित करते हुए आपकी अनुमति से विशेषाधिकार का प्रश्न उपस्थित करता हूं तथा आपसे प्रार्थना करता हूं कि इस सम्बन्ध में अविलम्ब शीघ्र कार्यवाई की जाय"।

इस प्रकार मरी अनुमति के लिये यह प्रश्न मेरे सामने आया। मैंने इसके ऊपर काफी गौर किया और जहां तक वाकयात का सवाल है हमारे दपतर की जानकारी यह हुई कि यह जो कविताएं बांटी गयीं वे श्री राजनारायण द्वारा नहीं बल्कि श्री रामसेवक यादव द्वारा भेजी गयी थीं। उन्होंने किसी चपरासी को बांटने के लिये दी थीं। यह हो सकता है कि राजनारायण जी ने संकेत किया हो। यह प्रश्न इस आदरणीय सदन में जब उस रोज उठा था तो मैंने यह कहा था कि किसी भी तरफ से लिटरेचर इस प्रकार का इस सदन में नहीं बंटना चाहिये। एक दफा और भी किसी दूसरे बाहर के व्यक्ति ने इसी तरह से कुछ कागजात को सदन की मेज पर रखवाया था। उस वक्त भी मैंने यह जिक्र किया था। कि "यह सदन की प्रथा है कि बगैर अध्यक्ष की अनुमति के इस तरह की कोई चीजें सदन की मेज पर न रखी जावें, और न किसी सदस्य की मेज पर।" सब लोगों की मेजों पर रखना तो और भी अनुचित है। यह बात मैंने पहले भी स्पष्ट कर दी थी दिसम्बर १९५२ में और उस समय मैंने इस तरह की कार्यवाही को अवैध करार दिया था। यह भी सूचना दी थी कि अगर ऐसी बात भविष्य में फिर हुई तो उसके ऊपर कोई उचित कार्यवाही होगी।

जहां तक विशेषाधिकार का प्रश्न है, कोई भी नियम या प्रथा का तोड़ना जिसमें कि सदन की प्रतिष्ठा या कार्य में बाधा पड़े, विशेषाधिकार का प्रश्न हो जाता है। अब प्रश्न यह विचारणीय होता है कि कोई घटना कितने महत्व की है। बहुत सी बातें ऐसी हैं जिनमें नियम के तोड़ने से विशेषाधिकार की अवहेलना होती है, लेकिन वह मेंटीनेन्स आफ आर्डर यानी व्यवस्था कायम रखने का एक भाग बन जाती है और जब वह यहां की व्यवस्था कायम रखने का भाग बन जाती है तो अध्यक्ष की व्यवस्था दे देने पर वहीं पर खत्म कर दी जाती है। सिर्फ अध्यक्ष एक आदेश दे देते हैं कि यह अनुचित है और यह नहीं होना चाहिये और उसे माननीय सदस्य स्वीकार कर लेते हैं। हर एक नियम वाह्य कार्य पर विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न सदन में उठाने से विशेषाधिकार की प्रतिष्ठा स्वयं टूट सकती है। यह सिद्धांत आम तौर पर हर पार्लियामेंटरी संस्था में, पार्लियामेंट्स और विधान सभाओं में स्वीकार किया हुआ है। विशेषाधिकार के प्रश्नों की अधिकता हो जाने से उसका महत्व भी घट सकता है। जब मैंने एक आदेश पहले दे दिया था और जब उसकी बार-बार अवहेलना न हुई और न करने की मुझे किसी माननीय सदस्य की इच्छा प्रतीत हुई बल्कि जो मैंने आदेश दिया उसे सभी ने स्वीकार किया, किसी ने उसका विरोध नहीं किया, तो ऐसी अवस्था में मैं यह उचित नहीं समझता हूं कि मैं अनुमति दूं कि विशेषाधिकार का प्रश्न अकस्मात् यह घटना होने पर उठाया जाय। जो आदेश है उसका पालन, मैं आशा करता हूं, सभी सदस्य भविष्य में करेंगे। परन्तु बार-बार अगर ऐसी बात की जायगी तो उसका महत्व अवश्य बढ़ जायगा और फिर उस पर विशेषाधिकार का प्रश्न उठाकर विचार कर लिया जाना आवश्यक होगा। लेकिन मैं कोई ऐसी घटनाओं का रिपीटीशन नहीं देखता हूं। बार-बार ऐसी बातें सदन में नहीं होती हैं। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता हूं कि इस प्रश्न को विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न बनाया जाय।

श्री रामेश्वरलाल की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न उठाने की सूचना (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष--दूसरे, श्री रामेश्वरलाल जी ने एक विशेषाधिकार का प्रश्न उठाया है। उसके शब्द इस प्रकार हैं "मुझे ३० सितम्बर को गिरफ्तार कर देवरिया जेल में रखा गया था। देवरिया के जुडिशल मैजिस्ट्रेट, श्री सिन्हा ने मेरी रिहाई का आदेश ५ तारीख को दिया। यह आदेश-पत्र जेल में करीब ५ बजे ही पहुंच गया था। ५ ही तारीख को रिहाई का आदेश देने वाले मैजिस्ट्रेट, श्री सिन्हा भी किसी कार्यवश उस समय जेल के भीतर गये। उन्हें भी मालूम हुआ कि रिहाई का आर्डर जेल में आ चुका है मगर अभी तक श्री रामेश्वर-लाल जी छोड़े नहीं गये हैं। इस पर उन्होंने जेलर से कहा कि आपको रामेश्वरलाल जी को आज ही छोड़ देना चाहिये। इस पर जेलर ने मैजिस्ट्रेट साहब से कहा कि मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा और अब तो यह कल ही छोड़े जा सकेंगे। मुझे दूसरे दिन ६ अक्तूबर को जेल से करीब बारह बजे दिन छोड़ा। जिला जेल देवरिया के जेलर ने जानबूझकर द्वेषभाव से परिपूर्ण होकर मुझे करीब १८ घंटे अनधिकारपूर्ण ढंग से बिना किसी कोर्ट के आदेश के जेल में बन्द रखा। जेलर महोदय का यह कार्य गैरकानूनी तो था ही साथ ही साथ इस आदरणीय सदन का भी अपमान था, क्योंकि उन्होंने बिना किसी कारण और बिना किसी कोर्ट के आदेश के मुझे १८ घंटा जेल में रखकर मुझे सदन की समुचित सेवा करने तथा दस्य की हैसियत से अपनी जिम्मेदारी पूरी करने से रोका। जेलर साहब का उपर्युक्त काम विशेषाधिकार की अवहेलना का प्रश्न है, अतः मैं उनके विरुद्ध यह प्रश्न उठाने के लिये प्रार्थी हूं।"

इस संबंध में जो नियम जेल मैन्युअल में दिया हुआ है, उसको भी मैंने अध्ययन किया उन वाकआत के संबंध में। रामेश्वरलाल जी ने स्वयं अपने पत्र में यह कहा है कि पांच बजे वह हुक्म जेल में पहुंचा। जेल मैन्युअल के नियम में यह दिया हुआ है कि जाड़े में साढ़े चार बजे 'लाकअप' होगा और गर्मी में साढ़े पांच बजे। जेल मैन्युअल के हिसाब से जाड़ा १ अक्तूबर से शुरू होता है। अब यह वाकया ५ अक्तूबर का है। साढ़े चार बजे 'लाकअप' का समय है और पांच बजे हुक्म पहुंचता है। तो जहां तक जेल मैन्युअल का नियम है उसी के अनुसार जेलर ने कार्य किया है, यह उस दफा से स्पष्ट होता है। अब ऐसी अवस्था में ऐसा कहना कि उसने ईर्षावश ऐसा किया ठीक नहीं समझा जा सकता। ऐसी अवस्था में जब कि कार्य नियमों के अनुसार ही हुआ है, इस प्रश्न को उठाने में भी महत्व नहीं रह जाता।

दूसरी बात उन्होंने यह कही कि सदन की सेवा से वंचित रक्खा। आम तौर से सदन की सेवा यहां के अतिरिक्त बाहर भी होती है और आदरणीय सदस्यगण बाहर भी कार्य करते हैं, यह उनका विचार हो तो ठीक है लेकिन जहां तक यहां की सेवा का प्रश्न है, यह सदन ८ तारीख को शुरू हुआ और माननीय रामेश्वर लाल जी ८ तारीख को यहां मौजूद थे। लेकिन आपका यह कहना सही है कि बाहर भी सेवा की जाती है। अगर ऐसी किसी सेवा से वंचित रक्खा गया होता और नाजायज तौर पर रखना सिद्ध हो जाता तथा यह सिद्ध हो जाता कि 'मैलीशशली' उसने ऐसा किया तब तो प्रश्न उठाना ठीक भी था। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें कुछ 'मैलीशश मोटिव' दिखायी नहीं पड़ता। ऐसी हालत में मैं यह इजाजत नहीं देता कि इसको उपस्थित किया जाय।

---

*८ अक्तूबर, १९५६ की कार्यवाही से।

दोहरीघाट पम्प नहर से नथूपुर जाने वाली शाखाओं से हुई क्षति से उत्पन्न परिस्थिति पर विवाद के लिये कार्य-स्थगन प्रस्ताव की सूचना (क्रमागत)*

श्री अध्यक्ष--श्री रामसुन्दर पांडेय जी का एक कामरोको प्रस्ताव है। इसके बारे में कल मैंने कहा था कि यह अनिश्चित सा है, क्योंकि उन्होंने कहा था कि उन्होंने कुछ भाग देखा जहां अरहर और लाल मिर्च की फसल काटी जा रही है और नहर का कार्य चल रहा है। उन्होंने बहुत सी नहरों के बारे में प्रस्ताव में जिक्र किया था। लेकिन आज उन्होंने एक नये प्रस्ताव में जो जो बातें आंखों देखी हैं उनके बारे में लिखा है। इसलिए मैं उन्हें यह इजाजत देता हूं कि वह उस प्रश्न को उपस्थित कर सकते हैं। यह काम रोको प्रस्ताव इस प्रकार है—

"दोहरीघाट जिला आजमगढ़ पम्प नहर से निकलने वाली उपशाखा जो अकोल्ही से इटौरा, कैथोली, लड़पुर तथा अहरौली होकर मधुबन की ओर जाने वाली है, उसके निर्माण के लिये इटौरा, कैथोली तथा लड़पुर में अरहर, लाल मिर्च आदि फसलें ओवरसियर ठेकेदार पुलिस के बल से उखड़वा करके निर्माण करा रहे हैं। इस अवैधानिक कार्य के कारण लगभग एक लाख जनता में असंतोष एवं रोष फैल रहा है जिससे संकटापन्न एवं शांति भंग की स्थिति उत्पन्न हो गयी है। ऐसी विषम परिस्थिति पर विचार करने हेतु सदन अपना आज का कार्य स्थगित करता है।"

मैं इसको अब वैध करार देता हूं और श्री रामसुन्दर जी पांडेय से यह कहूंगा कि वे अनुमति के लिये सदन के सामने प्रार्थना करें।

श्री रामसुन्दर पांडेय (जिला आजमगढ़)--माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कामरोको प्रस्ताव निश्चित है। मैं समझता हूं कि यह लगभग १ लाख जनता से संबंधित है, इसलिए इस प्रस्ताव की बहुत जरूरत है। दूसरे यह नहर बहुत लम्बी है और इस नहर के बीच हजारों एकड़ खेत पड़ते हैं। मैं यह मानता हूं कि नहर एक निर्माण का कार्य है और उसको होना चाहिये लेकिन वह जनता की राय के मुताबिक होना चाहिये। आज इस बाढ़ के जमाने में जब कि फसलें मारी गयी हैं . . . . . .।

श्री अध्यक्ष--आप सिर्फ वाकआत बयान करें। आप इसका जस्टीफिकेशन बतायें कि आप इसको क्यों लाना चाहते हैं?

श्री रामसुन्दर पांडेय--मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि यह नहर अकोला से मधुबन की ओर जाती है। सैकड़ों एकड़ जमीन उसमें आयगी। यह जमीन बिना किसानों की राय के और बिना एक्वायर किये हुये और बिना मुआवजा दिये हुये ली जा रही है इसलिये यह कार्यवाही गैरकानूनी है। ऐसी अवस्था में अगर यह काम गैर कानूनी तरीके से होता है और पुलिस के बल पर होता है तो मैं समझता हूं कि अवश्य ही उस पर विचार होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष--मैं यह चाहता हूं कि आप यह बतायें कि आपने वहां जाकर क्या-क्या देखा?

श्री रामसुन्दर पांडेय--अध्यक्ष महोदय, यह सब काम अकोल्ही से इटौरा, कैथोली, लड़पुर तथा अहरोली जानेवाली शाखा पर हुआ है। ४ मील के एरिया में घूम कर मैंने स्वयं देखा है कि इन चार स्थानों से होकर नहर निकाली जा रही है, फसल को उखाड़ कर बनायी जा रही है। इसलिये मैं समझता हूं कि इस सवाल को सदन के सामने विचारार्थ आना चाहिये। ताकि इस तरह की परिपाटी जो सरकार की ओर से हो रही है वह न हो पाये। सरकार

*२२ अक्तुबर, १९५६ की कार्यवाही से।

[श्री रामसुन्दर पाण्डेय]
निर्माण के कार्य कराती है, किसानों के खेतों पर कब्जा भी कर लेती है। लेकिन किसानों को ४-४, ५-५ साल तक मालगुजारी देनी पड़ती है। ऐसी अवस्था में आवश्यक है कि सदन ने जो कानून बनाया और जो रीति रिवाज है उन के विपरीत किसानों के हक को जो छीनने की कोशिश हो रही है उसके विरुद्ध सदन आवाज उठाये। ऐसी हालत में मैं सदन से प्रार्थना करूंगा कि वह ऐसे कार्य पर विचार करे और हमारा साथ दे।

श्री अध्यक्ष--सिंचाई मंत्री जी बतायेंगे कि क्या उन्हें कोई आपत्ति है?

सूचना मंत्री (श्री कमलापति त्रिपाठी)--अध्यक्ष महोदय, आपकी आज्ञा से मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि कल माननीय सदस्य ने इस सदन में जिन गांवों का उल्लेख किया उसी वक्त मैंने इस बात की कोशिश की कि इस विषय में सूचना मंगा लूं। फिर आपकी कृपा से यह जो कामरोको प्रस्ताव आया उसकी सूचना भी मुझे समय से मिल गयी। मैंने इसकी कुछ जांच भी करा ली है। मेरे पास जो सूचना आयी है उसी के आधार पर मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि यह बात सही है कि मधुबन माइनर के निर्माण का काम शुरू किया गया, लेकिन यह गलत है कि कोई फसल काटी गयी और यह भी गलत है कि पुलिस का प्रयोग करके किसी की फसल को उखड़वाया गया। दोहरीघाट पंप कैनाल से यह माइनर निकाली जा रही है जो इन गांवों में होकर जायगी। इस पर जुलाई अगस्त में काम शुरू किया गया, उस वक्त फसल भी नहीं थी। लेकिन जब काम शुरू किया गया तो निर्माण के विरुद्ध पत्र आये जिनमें कहा गया था कि इस माइनर से हमारे खेत निकल जायेंगे। इस पर चीफ इंजीनियर ने सितम्बर के शुरू में काम बन्द कर दिया।

इसके पश्चात् अभी हाल में एक्जीक्यूटिव इंजीनियर के पास दोहरीघाट माइनर के ऊपर के तीन मील के किसान आये और उन्होंने यह कहा कि हमारे यहां काम शुरू कर दिया जाय तो माइनर से हमको फायदा भी होगा और इस वक्त बाढ़ के कारण बहुत से लोग बेकार हो गये हैं उनको कुछ काम भी मिल जायगा। इसी बिना पर इसी अक्तूबर में उस माइनर पर काम शुरू कर दिया गया। उसके दो तीन दिन बाद ही १६ अक्तूबर को कुछ लोग जिनका सम्बन्ध उन खेतों से नहीं था जिनमें नहर खोदी जा रही थी, आये और नहर के खोदने पर उन्होंने आपत्ति की। उनकी आपत्ति करने पर फिर वह खोदाई काम बन्द कर दिया गया। अब वहां १६ या १७ अक्तूबर के बाद कोई काम नहीं किया जा रहा है। अब इस माइनर पर खुदाई का काम जमीन के एक्वायर करने के बाद ही किया जायगा जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा था। वहां के लोगों के कहने पर ही उस काम को शुरू किया था और जब बाद में आपत्ति की गयी तो उस काम को बन्द कर दिया गया। अब तो कानूनी ढंग से एक्वीजिशन के बाद ही उस नहर पर काम शुरू किया जायगा। अब इसकी कोई अर्जेन्सी भी नहीं है क्योंकि जो स्थिति थी वह समाप्त हो चुकी है। न तो वहां पर किसी के साथ जबरदस्ती की गयी और न वहां कोई पुलिस का प्रयोग किया गया, न किसी का खेत जबरदस्ती काटा गया, ऐसी स्थिति में मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य स्वयं अपने इस ऐडजर्नमेंट मोशन को प्रेस नहीं करेंगे।

श्री अध्यक्ष--(श्री रामसुन्दर पांडेय से) आप प्रेस कर रहे हैं? आप कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं।

श्री रामसुन्दर पांडेय--श्रीमन्, यह जो कहा गया कि वहां पुलिस नहीं गयी तो मैं बताना चाहता हूं कि १६ अक्तूबर को मधुबन थाना के चार पुलिस प्रहरी गांव में गये जहां नहर खोदी जा रही थी और जिनकी रवानगी भी थाने के रजिस्टर में लिखी हुई है और इंस्पेक्टर ने भी थाने में रिपोर्ट लिखायी है, अगर यह बात सही साबित हो जाय तो क्या माननीय सिंचाई मंत्री जी उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे जिन्होंने गलत तरीके से रिपोर्ट दी है?

श्री कमलापति त्रिपाठी—मान्यवर, मैं और कुछ नहीं कह सकता लेकिन मेरी रिपोर्ट है कि कोई पुलिस नहीं गयी। कहीं पुलिस ले जाकर इस तरह से नहर की खुदाई का काम हम करते भी नहीं हैं। यह एक असाधारण बात हो जाती है। इतनी नहर की खुदाई हजारों मील की की गई। मैं नहीं जानता कि इस तरह से कहीं पुलिस का प्रयोग किया गया, क्योंकि उसकी शिकायत पहले कभी नहीं हुई और मैं समझता हूं कि जो मेरी रिपोर्ट है वह साधार है। मैंने एक्जीक्यूटिव इंजीनियर से रिपोर्ट मांगी है और एक प्रमाणित रिपोर्ट आयी है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—श्रीमन्, इस सिलसिले में मैं एक सेकेंड कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—सवाल यह है कि मैं जानना चाहता हूं कि इसके लिये सदन की अनुमति है या नहीं है? मैं इस पर और किसी को बोलने की इजाजत नहीं दूंगा।

(कुछ क्षण पश्चात्)

जो इस पक्ष में हों कि इस पर विवाद करने के लिये अनुमति दी जाय वे कृपा करके अपने-अपने स्थानों पर खड़े हो जायं।

(१८ सदस्य खड़े हुए।)

खड़े होने वालों की संख्या १८ है और यह पर्याप्त न होने की वजह से सदन की अनुमति इसके लिये नहीं है।

श्री उमाशंकर (जिला आजमगढ़)—श्रीमन्, मैं एक चीज जानना चाहता हूं। जैसा कि पंडित रामसुन्दर पांडेय जी ने बतलाया कि ठेकेदार ने पुलिस के आफिस में रिपोर्ट की है और वहां ४ कांस्टेबिलों की रवानगी भी लिखी हुई है तो अगर यह किसी तरह से सही साबित हो जाय तो क्या माननीय मंत्री जी उन पर कोई कार्यवाही करने के लिये तैयार हैं जिन्होंने गलत रिपोर्ट दी है?

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसको आपको खुद ही मान लेना चाहिये कि यदि लिखित शिकायत होती है उस पर अलग से मंत्रीगण कार्यवाही करते ही हैं। उसके ऊपर सदन में कोई कार्यवाही नहीं हो सकती।

कार्यक्रम परिवर्तन के सम्बन्ध में जानकारी की मांग

श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)—श्रीमन्, यहां सरकारी कार्य के सम्बन्ध में जो नोटिस हमको बांटी गयी है उसमें लिखा है कि २३, २४ अक्तूबर को तो असरकारी कार्य होगा और २५ को औद्योगिक झगड़ा विधेयक लिया जायगा। लेकिन अभी तो कोआपरेटिव सोसाइटीज विधेयक ही चल रहा है।

श्री अध्यक्ष—आप कल मौजूद नहीं थे। उस वक्त यह सूचना दे दी गयी थी सदन को कि उस विधेयक पर विचार स्थगित रहेगा और इसके ऊपर विचार चलेगा जिसकी यहां सूचना दी गयी है यानी कोआपरेटिव सोसाइटीज विधेयक के ऊपर सिर्फ जनरल डिस्कशन कल हो जाने पर, खंडों पर विचार स्थगित रहेगा और औद्योगिक झगड़ा विधेयक के ऊपर विवाद प्रारम्भ होगा, क्योंकि कोआपरेटिव वाले विधेयक में सरकार को इतनी जल्दी नहीं है और सरकार चाहती है कि औद्योगिक झगड़ों का विधेयक जल्दी से ले लिया जाय, क्योंकि इसमें कोई आवश्यक बातें कराना जरूरी हैं। इसलिये इसको पहले लेने की बात कही गई थी।

श्री अध्यक्ष के निर्णयों के विरुद्ध श्री राजनारायण का असहमति प्रकट करना

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)---अध्यक्ष महोदय, मैं ३ विषयों के बारे में आप से निवेदन करूंगा। पहले तो यह कि कल जैसे ही माननीय मुख्य मंत्री जी चले गये थे मैंने निवेदन किया था कि २६ तारीख को सदन क्यों स्थगित हो रहा है? क्योंकि अब आप स्वयं इस बात से अवगत हैं कि शनिवार और रविवार को सरकार ने स्पेशल रिजोल्यूशन लाकर सदन की कार्यवाही चलाई तो अब २६, २७ और २८, ३ दिन का गैप देकर ३ दिन का पैसा व्यर्थ क्यों व्यय किया जाता है जब कि एक एक सदस्य को ३०-३० रुपया व्यर्थ जायगा और जैसा कि श्री मदन मोहन जी ने भी उस समय कहा था कि शनिवार, इतवार के बैठने में यह रुपया बच जायगा, तो मैं समझता हूं ३ दिन का गैप करने से हमारा पैसा नष्ट होगा और बिना कार्य किये हम उसको लेने के अधिकारी नहीं हैं, मैं जानना चाहूंगा कि यह ३ दिन का गैप किस कारण हो रहा है?

दूसरा प्रश्न यह है कि हमारे सम्बन्ध में जो विशेषाधिकार का प्रश्न ग्रामवासी जी ने उठाया, उस विषय में वस्तुस्थिति का ठीक से विवरण...

श्री अध्यक्ष---आप मेरे निर्णय के बारे में अब कुछ नहीं कह सकते।

श्री राजनारायण---मैं चाहूंगा कि आप मुझे सूचना दें क्योंकि यह घटना इन दि आई आफ दि हाउस हुई है और सारी घटना सदन के सामने हुई है इसलिये मैं कहूंगा कि श्री केशव गुप्त ने . . . . . .

श्री अध्यक्ष---आप कृपया बैठ जायं, यह अजीब तरीका है कि कोई सदस्य काम रोको प्रस्ताव दे दे उसमें कुछ त्रुटि रह जाय तो विशेषाधिकार का प्रश्न उस सदस्य पर उठा दिया जाय या उसमें कोई बात गलत लिखी गयी हो तो विशेषाधिकार की अवहेलना का आरोप उस पर आ जाय। अगर बात बात पर विशेषाधिकार की अवहेलना होने लगे तो सदन का काम सिवा विशेषाधिकार के प्रश्न पर विचार करने के और कुछ न रह जाय।

श्री राजनारायण---तीसरी बात मैं श्री रामेश्वरलाल जी के सम्बन्ध में जो विशेषाधिकार का सम्बन्ध है उसके बारे में निवेदन करना चाहता हूं . . . .

श्री अध्यक्ष---अब मैं उसके ऊपर फैसला दे चुका हूं, मैं उस प्रश्न पर पूछताछ की इजाजत नहीं दूंगा।

श्री राजनारायण---मैंने आपका निर्णय तो सुन लिया लेकिन मैं यह कह कर अपना स्थान ग्रहण करता हूं कि आपके फैसले से मैं सहमत नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष---आप बार-बार यही चीज कहते हैं। आपने यह नियम बना लिया है कि अध्यक्ष जो फैसला दे उसके ऊपर आप कह देते हैं कि 'इससे मेरी सहमति नहीं है। यदि ऐसा कह कर बार-बार निर्णय को चैलेंज किया जायगा तो इसमें अध्यक्ष की प्रतिष्ठा और इस सदन की प्रतिष्ठा भंग होती है, एक दो बार कह दिया जाय तो बात और है लेकिन बार-बार कहने का आपने तरीका सा बना लिया है। कई बार ऐसा हो चुका है परन्तु यदि आइन्दा भी ऐसा होगा तो मैं इस प्रश्न को विशेषाधिकार समिति के पास भेजने के लिये बाध्य हो जाऊंगा।

श्री-राजनारायण---आप मेरा एक निवेदन सुन लें?

श्री अध्यक्ष—आप कृपा कर के बैठ जायं।

श्री राजनारायण—मैं अपने अधिकार की रक्षा अन्त तक करूंगा, इतना मेरा निवेदन आप सुन लीजिये।

*उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा विधान सभा सचिवालय (नियुक्ति व सेवा उपबन्ध विनियमन) विधेयक, १९५६ †

(क्रमागत)

श्री अध्यक्ष—अब श्री रामसुमेर जी के प्रस्ताव पर कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा विधान सभा सचिवालय (नियुक्ति व सेवा उपबन्ध विनियमन) विधेयक, १९५६ पर विचार किया जाय, विवाद जारी रहेगा।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल (जिला आगरा)—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने उस दिन जो कठिनाइयाँ बताई थीं, मैं मानता हूं कि निस्सन्देह कुछ कठिनाइयां हैं। लेकिन हम यहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि की हैसियत से इस सदन में इसी लिये आये हैं कि जनतंत्र की प्रगति के मार्ग में जो भी कठिनाइयां हों उन कठिनाइयों का हल निकालें और यदि हल निकल सकता है तो उन कठिनाइयों पर पार पाकर उस काम को पूरा करें। यही प्रार्थना मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से आपके द्वारा करना चाहता हूं कि हम यह देखें कि जिन कठिनाइयों का उन्होंने उल्लेख किया क्या वे अपरिहार्य हैं, क्या उनका हल नहीं ढूंढा जा सकता है, क्या उन कठिनाइयों को बाईपास करके और समुचित कोई हल निकाल करके हम इस विधेयक को समुचित संशोधनों के साथ स्वीकार नहीं कर सकते हैं? इन बातों पर विचार करने की आवश्यकता है। माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह कहा था कि इंग्लैन्ड में इस संबंध में जो नियम बने हैं, जो परम्परा प्रचलित हुई है वह एक दिन में नहीं हुई थी, बहुत वर्ष लगे थे उसे बनने में। अभी जनतंत्र यहां शैशवावस्था में है और इतनी जल्दी हमारे यहां यह नहीं हो सकता। उनके शब्द यह थे कि "वह सूरत हमारे यहां नहीं है।" मैं मानता हूं कि हर बात में हम इंग्लैन्ड की हुबहू नकल नहीं कर सकते और इसलिए मैं यह कहता भी नहीं कि जैसा इंगलैन्ड में है यहां अवस्था भिन्न होने पर भी बिल्कुल वैसा ही किया जाय। लेकिन मैं आपके द्वारा माननीय मुख्य मंत्री जी की सेवा में यह निवेदन करना चाहता हूं कि इंगलैन्ड की सूरत यहां हो या न हो जो बात सेंट्रल असेम्बली में आज से २७,२८ साल पहले हो चुकी है वह आज इस समय यहां क्यों नहीं की जा सकती? उसकी दशा तो इतनी भिन्न नहीं है। इंगलैन्ड की सूरत यहां न हो लेकिन दिल्ली की सूरत तो यहां है। मैं याद दिलाना चाहता हूं कि जब माननीय विट्ठल भाई पटेल सेंट्रल असेम्बली के स्पीकर थे तब उन्होंने यह प्रश्न उठाया था कि लोक सभा का सेक्रेटेरियट इंडिपेंडेंट होना चाहिये, स्वतंत्र होना चाहिये और उस अंग्रेजी नौकरशाही और साम्राज्यशाही के काफी विरोध के बावजूद १९२८ या १९२९ में उन्होंने इस बात में सफलता प्राप्त कर ली थी।

**श्री अब्दुल मुईज़ खां (जिला बस्ती)—प्वाइन्ट आफ आर्डर। अध्यक्ष महोदय, दुर्भाग्यवश जिस समय यह विधेयक यहां उपस्थित हुआ था मैं यहां मौजूद नहीं था। मुझे जो

---

* २७ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही में छापा गया।

† २७ अगस्त, १९५६ की कार्यवाही से।

**वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

[श्री अब्दुल मुईज खां]

प्वाइन्ट आफ आर्डर रेज करना है वह इसके संबंध में है और इसमें कई बातें हमारे संविधान के खिलाफ हैं जिस सूरत में यह वायड हो जायगा। श्रीमन्, आप देखेंगे कि इस विधेयक के खंड ४, उपखंड (२) में जो बात कही गई है उसमें किसी एक सर्विस के बारे में कुछ खास रियायतें रखने के लिये और उनको प्रिफरेंशियल राइट्स देने के लिये यही उपखंड है जो हमारे कांस्टिट्यूशन आफ इंडिया के आर्टिकिल १६ और १३ के खिलाफ पड़ता है यानी सर्विसेज में डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिये। उनके बारे में एक तरह के यूनीफार्म राइट्स व प्रिविलेजेज होना चाहिये।

श्री अध्यक्ष—यह कौन सी बात आप कह रहे हैं?

श्री अब्दुल मुईज खां—खंड ४ के बारे में। उसमें अध्यक्ष को यह अधिकार होगा कि वित्त विभाग की परामर्श से अपने सचिवालय से संबंधित किसी पद के लिये कोई विशेष वेतनक्रम निर्धारित कर सके या किसी विशेष पदाधिकारी के लिये उसके साधारण वेतन-क्रम के अतिरिक्त किसी प्रकार का विशेष.....'

श्री अध्यक्ष—यानी खंडों के विषय में आपको आपत्ति है?

श्री अब्दुल मुईज खां—कई खंडों पर मुझे कहना है। इस तरह पूरे विधेयक के बारे में वह चीज आ जाती है? आर्टिकिल १६ इसी तरह से है—

"There shall be equality of opportunity for all citizens in matters relating to employment or appointment to any office under the State."

और अगर इस आर्टिकिल के विरुद्ध पड़ता है तो आर्टिकिल १३ देखेंगे, श्रीमन्।

"13 (2) The State shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by this Part and any law made in contravention of this clause shall, to the extent of the contravention, be void."

दूसरी बात जो मुझे कहनी है वह खंड ५ के पहले प्राविजो के बारे में है। "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या अध्यक्ष को अधिकार होगा कि समय-समय पर आदेशों द्वारा निर्धारित कर सके कि संबंधित सचिवालयों में किसी विशेष श्रेणी या प्रकार की नियुक्ति के लिए लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाना आवश्यक न होगा।" यह आर्टिकिल १२०, क्लाज (सी) के विरुद्ध पड़ता है। उसको मैं आपकी इजाजत से पढ़ देना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैं सिर्फ इतना जानना चाहता हूं कि कौन-कौन से खंड हैं जिन पर आपको आपत्ति है।

श्री अब्दुल मुईज खां—पहला प्रतिबन्ध आर्टिकिल १२० के विरुद्ध पड़ता है और दूसरा प्रतिबन्ध जो है आर्टिकिल ३१६ के विरुद्ध पड़ता है।

एक में यह बात कही गयी है कि पब्लिक सर्विस कमीशन से परामर्श करने की जरूरत ही नहीं होगी किसी विशेष मौके पर।

श्री अध्यक्ष—आप कृपा करके जरा बैठें। चूंकि पूरे विधेयक के संबंध में कोई आपत्ति नहीं उठायी गयी। माननीय सदस्य केवल कुछ खंड आपत्तिजनक समझते हैं, चाहे वह तीन चार खंड ही क्यों न हों, लेकिन पूरा विधेयक नियम वाह्य नहीं है। इसकी तो मैंने जांच पहले ही करा ली थी कि पूरा विधेयक नियम वाह्य है या नहीं। कुछ खंडों में आपत्ति हो सकती है। जिस समय खंडों का विचार हो उस समय आप यह आपत्ति उठायें। कुछ खंड अगर अवैधानिक भी हो जायं, तो उससे पूरा विधेयक अवैधानिक हो जाता है यह बात सिद्ध नहीं होती। इस सदन को पूर्ण अधिकार है कि जो अवैधानिक चीज हो उसको

खंडों पर विचार करते समय निकाल दे। यह आपत्ति इस वक्त नहीं उठायी जा सकती। माननीय सदस्य ने कोई ऐसी आपत्ति नहीं उठायी है जिससे पूरा विधेयक अवैधानिक सिद्ध हो सके। कोई आपत्ति आपकी ऐसी है ?

श्री अब्दुल मुईज खां—मेरा श्रीमन्, यही निवेदन था कि इन तमाम आपत्तियों का क्युमुलेटिव इफेक्ट यह होता है कि पूरा विधेयक वायड होता है।

श्री अध्यक्ष—खंडों के संबंध से जो नतीजा हो सकता है उस पर मैंने निर्णय दे दिया है।

श्री गेंदासिंह (जिला देवरिया)—इस संबंध में मैं कुछ निवेदन आप से करना चाह रहा हूं और वह यह है कि माननीय सदस्य ने जो आपत्ति उठायी है उसके सिलसिले में उनसे कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष—मैंने उनकी आपत्ति पर फैसला दे दिया। अब आप उस पर कुछ नहीं कह सकते।

श्री गेंदासिंह—संयोग ऐसा है . . . .।

श्री अध्यक्ष—आपका प्वाइन्ट आफ आर्डर नहीं है। मैं आपको इजाजत नहीं दूंगा। माननीय पालीवाल जी भाषण दे रहे हैं। वह जारी रखें।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रथम वाचन पर हम सिद्धांत पर बहस कर रहे हैं। इसलिये मैं आपके इस निर्णय, इस अनुज्ञा के लिये आभारी हूं कि प्रथम वाचन में अगर किसी खंड पर आपत्ति आये तो वह नहीं हो सकती जब तक कि खंडों पर विचार न हो और समस्त विधेयक के अवैधानिक होने का सवाल नहीं उठता।

मैं अपनी बात जारी रखता हूं। मैं कह रहा था कि इंग्लैन्ड की सूरत भले ही न हो हमारे यहां लेकिन जो काम १९२८–२९ में सेंट्रल असेम्बली में हो चुका है, भारत में हो चुका है, वह हमारे यहां २७ वर्ष बाद स्वाधीन भारत में क्यों नहीं हो सकता है ? उतनी स्वाधीनता यहां क्यों नहीं मिल सकती है ? इसका कोई कारण मेरी समझ में नहीं आता। मैं समझता हूं कि ऐसा हो सकता है और इसी बात की आशंका को दूर करने के लिये इस तरह की कोई अड़चन न पड़े, हमारे संविधान में भी इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है कि विभिन्न सचिवालयों के लिये, विधान सभा, विधान परिषद् के सचिवालयों के लिये इस प्रकार का विधेयक लाया जा सकता है, अधिनियम बनाया जा सकता है। इतना ही नहीं अधिनियमों के अभाव में इस बात की व्यवस्था कर दी गई है कि लोक सभा में और राज्य सभा में राष्ट्रपति जी वहां के स्पीकर की सलाह लेकर और यहां राज्यपाल महोदय स्पीकर महोदय की सलाह लेकर इस सम्बन्ध में नियम बना सकते हैं। तो जब यह बात वहां हो सकती है और उसके अनुसार राष्ट्रपति लोक सभा और राज्य सभा के सम्बन्ध में इस प्रकार के नियम बनाते हैं तब वह बात हमारे यहां अवश्य हो सकती है। यह बात इंगलैण्ड की नहीं भारत की है जो १९२८–२९ में हो गई थी और राष्ट्रपति ने जो नियम बनाये वह १ अक्तूबर, १९५५ के गजट में प्रकाशित हो चुके हैं। जब वहां हो सकता है तो इस प्रकार का नियम यहां भी बनाया जा सकता है। यह बात मान सकता हूं जो कठिनाइयां माननीय मुख्य मंत्री जी ने व्यावहारिक और खास तौर पर वैधानिक बतायीं तो पहला रास्ता तो यह है कि मैं माननीय गौतम जी के इस सुझाव से सहमत हूं और जहां तक मुझे याद पड़ता है मैंने इस तरह का एक संशोधन भी भेजा था कि यह विधेयक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। मुझे आज थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि इसमें क्यों नहीं आया या तो मेरी गलती हो, या डाक की गलती हो या विभाग में रह गया हो . . . . . .

श्री अध्यक्ष—मेरे पास तो नहीं आया।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—सम्भव है, मेरी ही गलती हो, मैं सचिवालय पर कोई आक्षेप नहीं करता। लेकिन मुझे याद पड़ता है कि मैंने इस सम्बन्ध में भेजा था और इस सम्बन्ध में यही अपील मुख्य मंत्री से करने वाला था कि इस बात में क़तई कोई हानि होती नहीं। या तो, जैसा मैं प्रार्थना करने वाला था, अगर सरकार यह आश्वासन दे कि जैसा वहां हो सकता है वैसे ही यहां भी राज्यपाल से प्रार्थना करे कि वह स्पीकर महोदय से कंसल्ट करके इस सम्बन्ध में आवश्यक नियम बना दें, तब एक बात हो सकती है। उससे हमें कुछ संतोष हो सकता है। लेकिन बेहतर तो यही होगा कि, उस हालत में हो जब कि दूसरी बात जो कही है वह न हो सके। इसको प्रवर समिति के सुपुर्द करके उसमें जहां २ वैधानिक कठिनाइयां हों, जिनको हम दूर कर सकते हैं, उनको दूर कर दिया जाय और जिनको हम दूर नहीं कर सकते हैं, उनको छोड़ दिया जाय, ऐसा किया जा सकता है। इसलिये अगर आप आज्ञा दें तो मैं अब भी यह प्रस्ताव पेश कर दूं कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय...

श्री अध्यक्ष—तो आप उसे अब भी पेश कर सकते हैं।

श्री श्रीकृष्णदत्त पालीवाल—तो मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह विधेयक एक प्रवर समिति को सुपुर्द कर दिया जाय जो अपनी रिपोर्ट ४ नवम्बर, १९५६ तक दे दे और उसके बाद फिर प्रवर समिति की रिपोर्ट आने पर इस पर विचार हो जाय।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि अब जो बात रह गई प्रवर समिति के सुपुर्द करने की, एक बात और हमारे मुख्य मंत्री जी ने कही थी और वह यह थी कि यह विधेयक सरकार की तरफ से आना चाहिये था। मैं इस बात को मानता हूं कि अगर सरकार की ओर से यह विधेयक आता तो मुझे और हर्ष होता और उसका और जोरों से स्वागत करता और सरकार को उसके लिये दिल से बधाई देता। लेकिन आज भी मैं एक बात कहना चाहता हूं कि यह विधेयक असरकारी तो है, लेकिन असरकारी के माने सरकार विरोधी नहीं होते "Non-official does not necessarily mean anti-official." तो असरकारी होने से ही इसमें कोई ऐसी बात नहीं मान लेनी चाहिये कि चूंकि यह असरकारी है और सरकार की ओर से नहीं है इसलिये हम इसे स्वीकार नहीं करते। बल्कि जैसा मैंने निवेदन किया कि प्रवर समिति में इस पर विचार किया जाय और सरकार उसे संशोधनों के बाद मान ले तो सब कोई यह जानता है कि उसका श्रेय सरकार को ही मिलेगा। सरकार की सहमति के बिना कोई विधेयक पास नहीं हो सकता और अगर सरकार चाहे तो, मुझे तो अपनी ओर से ही नहीं माननीय गेंदा सिंह जी की तरफ से भी और माननीय राजनारायण सिंह जी की तरफ से भी, आशा है कि उसका समस्त श्रेय हम सरकार को देने के लिए तैयार हैं और सर्वसम्मति से इस विधेयक को हर्ष-ध्वनि के साथ पास किया जा सकता है। इसलिए मैं समझता हूं कि सरकार को प्रवर समिति के मेरे इस प्रस्ताव को स्वीकार करने की कृपा करनी चाहिए। मैंने जैसा कहा असरकारी के माने सरकार विरोधी नहीं होते। लेकिन वैसे सच बात तो यह है कि हमारी जो सनातन संस्कृति हिंसात्मक युद्ध के समय में भी रही है वह तो यह रही है कि हम धर्म युद्ध लड़ते थे। धर्म युद्ध में हमने देखा कि महाभारत में भीम और जरासिन्धु दिन में भीषण मल्ल युद्ध करते थे मगर रात में जाकर एक साथ सोते थे। महाभारत में हमने यह भी देखा कि अर्जुन भीष्म पितामह से लड़े, द्रोण से लड़े, लेकिन शील को, संयम को, उनके प्रति आदर और सम्मान की भावना को कभी नहीं छोड़ा। तो हिंसात्मक युद्ध काल में जब यह हमारी प्रवृत्ति रही है तो अब तो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के समय में तो हमारी इस संस्कृति को और भी ऊंची भावनाओं की ओर प्रेरित करना चाहिए।

अभी कल लार्ड एटली यहां आये थे। आपने हम सबकी तरफ से उनका स्वागत किया था। उनके यहां जो परम्परा है वह तो यह है कि डेमोक्रेसी में जैसे मंत्रिमंडल को हिज मैजेस्टीज गवर्नमेंट कहा जाता है वैसे ही विरोधी दल को भी हिज मैजेस्टीज अपोजीशन कहा जाता है। दोनों ही, विरोधी दल और सरकारी दल, सरकार के अंग हैं और जैसे कोई भी गाड़ी बिना दो पहियों के नहीं चल सकती वैसे ही जनतंत्र की गाड़ी भी बिना दो पहियों के, विरोधी दल के और सरकारी दल के, नहीं चल सकती। जब हम विरोधी दल की बात करते हैं, कम से कम मैं जब सबल विरोधी दल की बात करता हूं, तब यह समझता हूं कि कांग्रेस पार्टी का विरोध मैं इसलिये नहीं करता कि वह कांग्रेस पार्टी है बल्कि इसलिए करता हूं कि वह पार्टी-इन-पावर है और पार्टी-इन-पावर का मुकाबिला करने के लिए, उसका विरोध करने के लिए, जनतंत्र की सफलता के लिए, विरोधी दल होना चाहिए। अगर उसके बजाय पी० एस० पी० इन-पावर होती, एस० पी० इन-पावर होती तो उसका विरोध करता। यह विरोध जनतंत्र के सिद्धान्त के आधार पर है। सबल विरोधी दल जनतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है, स्वयं सरकार की सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए विरोध को शत्रुता के माने में नहीं लेना चाहिए। मैंने अपने यहां की संस्कृति की बात कही। अपने यहां की संस्कृति तो यह है—'शत्रोरपि गुणावाच्या, दोषावाच्या गुरोरपि'। अर्थात् अपने शत्रुओं के गुणों को भी स्वीकार करना चाहिए और अपने गुरु के दोषों की तरफ भी ध्यान दिलाने में किसी तरह का संकोच नहीं करना चाहिए। यह हमारी सनातन संस्कृति रही है। इसके होते हुए हमें इंगलैण्ड या किसी दूसरे देश में जनतन्त्र की परम्परा सीखने के लिए नहीं जाना है बल्कि सच बात तो यह है कि अगर हम अपनी संस्कृति के अनुसार चलें तो हम दूसरे देशों को जनतंत्र के क्या माने होते हैं, उदारता के क्या माने होते हैं, सहिष्णुता के क्या माने होते हैं, यह हम सिखा सकते हैं क्योंकि अध्यक्ष महोदय, हमारे यहां विरोध भक्ति को नवधा भक्ति में माना है। नौ प्रकार की जो भक्ति मानी जाती है उसमें विरोध भक्ति भी एक भक्ति है। तो इस विरोध को शत्रुता या इस तरह की बात मानना कतई गलत है। गोस्वामी तुलसीदास जी ने एक बड़ा सुन्दर दोहा कहा है। मथुरा में भगवान कृष्ण की मूर्ति को देख कर उन्होंने कहा—

कहा कहौं छबि आज की, भले बने हो नाथ।
तुलसी मस्तक तब नवे, धनुष बाण लो हाथ।।

इस दोहे के अनुसार कोई यह तो नहीं कह सकता कि तुलसीदास जी नास्तिक थे या कृष्ण विरोधी थे। उन्होंने एक भक्त की हैसियत से भगवान को देख कर यह कहा था कि आपका यह मुरलीधारी सुन्दर रूप मोहक तो अवश्य है लेकिन यह मस्तक तो तब नवैगा जब आपके हाथ में धनुषबाण हो, आप राम के स्वरूप को धारण करें। तो मैं आपसे यह निवेदन कर रहा हूं कि मैं विरोध करता हूं तो मेरी वह विरोध भक्ति ही है। विरोध जो मेरा है वह महात्मा गांधी के आदर्शों के अनुसार बुराइयों का विरोध है, बुरों का विरोध नहीं है, कांग्रेस की बुराइयों का विरोध है, कांग्रेस का विरोध नहीं है। बुराइयों के विरोध करने में मैं कभी संकोच नहीं करूंगा, निर्भयतापूर्वक उसका विरोध करूंगा। लेकिन जैसा कि महात्मा गांधी ने खुद अपने अंतिम दिनों में कहा था कि या तो कांग्रेस को भंग हो जाना चाहिये और अगर रहती है तो उसे सरकार का आलोचक होकर रहना चाहिये। तो मैं वही कहता हूं कि उसकी आलोचना जब हम करते हैं, वह विरोध के लिये नहीं करते हैं, बल्कि जनतंत्र की सफलता के लिये, सरकार की सहायता के लिये करते हैं और मैं आशा करता हूं कि सरकार भी कम से कम यह जो विधेयक है, जो किसी विरोधी दल की ओर से भी नहीं लाया गया, माननीय रामसुमेर जी, जिन्होंने इस विधेयक को पेश किया है वह तो कांग्रेसी दल के एक माननीय सदस्य हैं, तो इसमें तो विरोध की कोई बात और भी नहीं आनी चाहिये। इसलिए विरोध और पार्टी का सवाल आता नहीं और यदि आता है तो कुछ विषय ऐसे माने जाते

[श्री कृष्णदत्त पालीवाल]

हैं जिनमें यह समझते हैं कि यह विषय इतने राष्ट्रीय महत्व के हैं, इतने बड़े पुण्य कार्य के हैं, जनहित के हैं, कि इनको पार्टी बन्दी से ऊपर मानना चाहिये, इनमें पार्टीबन्दी की भावना नहीं आनी चाहिये।

यह विधेयक भी ऐसा है जो पार्टी से परे माना जाना चाहिये। इसमें पार्टी का कोई सवाल नहीं आना चाहिये। इसलिये मैं आशा करता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय इस बात को स्वीकार कर लेंगे कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और प्रवर समिति के सुपुर्द करने के बाद इसमें जिन संशोधनों की आवश्यकता हो वह कर लिये जायं और यदि वहां सरकार चाहे तो ऐसा भी कर सकती है, प्रवर समिति में जाने के बाद नवम्बर में अपनी ओर से एक विधेयक इस संबंध में प्रस्तुत कर दे और मैं समझता हूं सदन के सभी दल इस बात में सहयोग करेंगे कि इसको सर्वसम्मति से हम एक दिन में पास कर दें। तो सरकार की एक इच्छा भी पूरी हो सकती है कि सरकारी विधेयक होना चाहिये और यह भी पूरी हो सकती है कि इसमें जो वैधानिक आपत्ति हैं उनको दूर कर लिया जाय। जब यह सब बातें हो सकती हैं तो मैं कोई कारण नहीं समझता कि इस प्रवर समिति के सुझाव को, प्रस्ताव को क्यों न सरकार स्वीकार करे। मैं समझता हूं कि सरकार इतनी उदारता दिखलायेगी कि इस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले।

*श्री गेंदासिंह—माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं रामसुमेर जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिस काम को करना चाहिये उसको उन्होंने किया। हम आवश्यक समझते हैं कि विधान सभा का सचिवालय जो है उसका स्वरूप ऐसा हो कि विधान सभा के सारे सदस्यों का उस पर पूर्णतया विश्वास हो। मैं ऐसा नहीं कहता हूं, जब मैं यह कहता हूं कि पूर्णतया विश्वास हो तो उसका अर्थ यह हो कि आज का जो विधान सचिवालय है उसके ऊपर हम पूरी तरह से यकीन नहीं करते हैं, लेकिन सवाल यह नहीं है। सवाल यह है कि वह बहुत ही ईमानदारी से काम करता है, लेकिन फिर भी आप लोगों को संदेह करने की गुंजाइश रहती है। ऐसे मौके आये हैं और जिसकी सूचना कभी-कभी हम लोगों को हुई है। तो मैं ऐसा समझता हूं कि जो विधान सचिवालय बाद को होगा, इस विधेयक के द्वारा, उसमें सरकार को कोई परेशानी की बात होती नहीं। इस विधेयक में चेयरमैन महोदय और अध्यक्ष महोदय को पूरी तरह से ताकत दी गयी है और न सिर्फ चेयरमैन महोदय और अध्यक्ष महोदय को ताकत दी गयी है बल्कि उनको इस विधेयक के द्वारा यह भी गुंजाइश है कि वह लोकसेवा आयोग से सलाह लिया करें। एक बात की इसमें जरूर गुंजाइश की गयी है कि उनको एक विशेषाधिकार दिया गया कि लोकसेवा आयोग की सलाह न भी मानें। तो मैं तो देखता आ रहा हूं कि सरकार भी लोकसेवा आयोग की सलाह अनेक बार नहीं मानती है। लोकसेवा आयोग बार-बार आग्रह करता रहता है कि अमुक व्यक्ति की नियुक्ति मत करो, उसको प्रमोट मत करो, फिर भी सरकार ने किया, ऐसे कई उदाहरण हैं। मैं शुक्रगुजार हूं कि इस बात को स्पष्ट तरीके से माननीय मुख्य मंत्री जी ने, जब लोक सेवा आयोग की रिपोर्ट पर बहस हुई थी, स्वीकार किया कि हम लोकसेवा आयोग की सारी बातों को मानने के लिये बाध्य नहीं हैं, तो मैं यह कहना चाहूंगा कि मुख्य मंत्री की जी इस युक्ति को देखकर.....

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि आपको कुछ गलतफहमी है। उनका यह कहना नहीं था कि लोकसेवा आयोग की सलाह को अध्यक्ष माने या न माने बल्कि प्रश्न यह है कि लोक सेवा आयोग की सलाह लेने की आवश्यकता न पड़े, ऐसा भी निर्णय हो सकता है। यह बात इस विधेयक में है कि कोई ऐसा विषय भी हो सकता है जिसमें आयोग की सलाह न लेना पड़े।

श्री गेंदासिंह—अध्यक्ष महोदय, दोनों का अर्थ करीब-करीब एक ही होता है। खैर, इस बात को मैं छोड़े देता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि यदि सरकार को यह अधिकार है कि

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

वह लोकसेवा आयोग की बात को न माने तो हमारे अध्यक्ष या चेयरमैन यह अधिकार ले लें कि किसी विशेष अवसर पर वह लोकसेवा आयोग की बात को न मानें तो इसमें कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

मैं इंगलैंड की प्रथा पर, सोलह आने उसके चरण चिन्हों पर, चलना आवश्यक नहीं समझता हूं। दो घटनायें मुझे याद हैं जब इंगलैन्ड में डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई थी। एक दुर्घटना के बाद उसकी स्थापना की गई थी। लेकिन हमारे यहां ऐसी कोई बात नहीं हुई, न कोई व्यक्ति कत्ल किया गया और न कोई राजा ही कत्ल किया गया। इसके बाद कांस्टीट्यूशनल गवर्नमेंट की स्थापना हुई, डैमोक्रेटिक गवर्नमेंट की स्थापना हुई, तो उसका असर पड़ेगा ही।

दूसरी बात यह है इंगलैंड में, जहां आठ आने से ज्यादा महिलायें हिस्सेदार हैं, मालूम नहीं कितने वर्षों तक उनको अधिकार नहीं दिये गये थे कि वह पार्लियामेंट में आ सके। उनको युद्ध करना पड़ा और बहुत दिनों के बाद उनको अधिकार मिला। यह बहुत ही अनडैमोक्रेटिक था यहां सोचा जाता है कि एक खास संख्या में हमारी बहिनें पार्लियामेंट और असेम्बली में आयें। हमारे यहां इतनी उदारता बरती गई, महिलाओं के साथ और बरती जानी चाहिये थी। मैं मानता हूं कि बहुत सी बातों में हम इंगलैंड से बेहतर हैं। हमारी यह आदत नहीं है कि हम यह कहें कि हम किसी से आगे हैं। मैं विधान सभा सचिवालय के लिये चाहता हूं कि इसको पूरा अधिकार दिया जाय। यह संयोग है कि मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं। लेकिन मैं कहा करता हूं कि शंकर जी की छोटी गोली और बड़ी गोली दोनों बराबर काम करती हैं और कोई भी मुक्ति दे सकती है। कृषि मंत्री जी यहां मौजूद हैं, वह विचार करें। मैं यह कहना चाहता हूं कि इंगलैंड की सारी परम्पराओं का हमें अनुसरण नहीं करना चाहिये। अच्छी बात है तो अनुसरण किया जाय लेकिन यदि खराब बात है तो क्यों उसका अनुसरण किया जाय। हो सकता है कोई बात ऐसी हो जो खराब हो। मैं खराब समझता हूं कि विधान सभा सचिवालय सरकार के अधीन रहे।

हमारे देश में जो विरोधी दल है, जैसा कि एटली ने कहा, कि वह नगण्य संख्या में है। हमें याद नहीं है कि ४-५ वर्षों के जीवन में सरकार को हमने इस तरह से प्रभावित किया हो कि सरकार ने उसे खुले दिल से स्वीकार किया हो कि विरोधी दल की बात मानने लायक है। इन ४-५ सालों में जितनी बातें हमने कहीं वह सब बेवकूफी की कहीं तो यहां बैठना उचित नहीं है और इसको कौन कहेगा कि जितनी बातें हमने कही हैं वह सारी की सारी लगो और बेवकूफी की कहीं है और अगर कुछ बातें भी हमने सही कही हों तो सरकार को इसका श्रेय हमें देना चाहिये कि अमुक बात तुमने सही कही और उस पर हमने अमल किया। तो आप एक यही बात सही मान लें और ऐसा मानने में कोई धरती उलटने नहीं जा रही है।

मैं अध्यक्ष और चेयरमैन के स्थान की चर्चा नहीं करूंगा। आज भी हमारे देश में यह दुर्भाग्य की बात है कि अध्यक्ष और चेयरमैन भी किसी पार्टी के टिकट पर चुन कर आते हैं। मेरी यह महत्वाकांक्षा है कि अध्यक्ष और चेयरमैन बिना किसी पार्टी के टिकट पर चुनकर यहां आयें। लेकिन इसकी शुरुआत कौन करेगा। हम तो दुर्बल हैं। हम जो कोई बात कहते हैं उसे मुल्क दुर्बलता का द्योतक समझता है। इसलिये अगर इसकी शुरुआत उधर से हो तो हमें उसका स्वागत करने में जरा भी संकोच नहीं होगा। फिर हमारा चरित्र ऊंचा उठेगा और इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो इस सदन की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिये हम कुर्बानी करना चाहते हैं। हम सदन में जो व्यवहार करते हैं वह बहुत सोच समझ कर करते हैं। हम खूब कटु आलोचना करके सस्ती नेतागिरी प्राप्त कर सकते हैं। उस सस्ती नेतागिरी को छोड़ कर हम महंगी नेतागिरी के चक्कर में हैं। फिर अध्यक्ष महोदय, यह विरोधी दल की अकेले इच्छा तो है नहीं, रामसुमेर जी का प्रस्ताव है। दुर्भाग्यवश मैं गोस्वामी तुलसीदास जी जैसे भक्तों में नहीं

[श्री गेंदा सिंह]

हूं। वे रामचन्द्र जी के किसी अवगुण को देखते ही नहीं थे, वे उनके गुण ही देखते थे। मैं ऐसे लोगों में हूं जो गुण और अवगुण दोनों को देखते हैं और वैसा ही कहता हूं। इसीलिये हमारे ऊपर मार पड़ती है कि अगर कोई गुण देखते हो तो उसे मत कहो। तो वह मार मैं बर्दाश्त कर लेता हूं।

मैंने कई बार यह कहा है कि नादान दोस्त से दाना दुश्मन अच्छा है। मैं दाना दुश्मन की हैसियत से कह रहा हूं कि विधान सभा सचिवालय को आजाद किया जाय और अध्यक्ष और चेयरमैन को आंख मूंद कर अधिकार दिया जाय। एक मर्तबा अधिकार दे कर के देखिये कि विधान सभा का सचिवालय किस तरह से दूसरों की सेवा करता है। मुझे विश्वास है कि विधान सभा का सचिवालय सरकार का विश्वास भाजक, विरोधी दल का विश्वास भाजक और माननीय अध्यक्ष का विश्वास भाजक, एक ही तरीके से बन सकेगा अगर उसको आजाद कर दिया जाय।

मैं और बातें नहीं कहना चाहता। यह अच्छा अवसर है कि कल इत्तफाक से एटली साहब आये थे और आज यह गैरसरकारी प्रस्ताव आ गया। एटली साहब ने जो हम लोगों के बीच में चर्चा की वह भी बिल्कुल ताजी होगी हमारे दिमाग में और उसके अलावा जो उन्होंने दो दिन गवायें हैं और उन दो दिनों में हमारे कैबिनट के मित्रों से, गवर्नर महोदय से, जो बातें उनकी हुई होंगी वह मैं समझता हूं कि जो कुछ उन्होंने हमसे कहा उससे अधिक युक्तिपूर्वक उनको समझाने की कोशिश की होगी। तो बड़ा अच्छा अवसर है और इस अवसर पर जो पालीवाल जी का प्रस्ताव है कि इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय और वह ४ नवम्बर के पहले रिपोर्ट दे और वह स्वीकार हो जाय तो बड़ा भला हो। हम लोग चाहते हैं कि जाने के पहले विधान सभा सचिवालय के बारे में कुछ निर्णय करते जायं और यह निर्णय महत्व का होगा।

अध्यक्ष महोदय, मैं यह नहीं चाहूंगा कि अगली मर्तबा जो विधान सभा हो वह देखें क्योंकि वह इधर वालों की ज्यादा होगी और उधर वालों की संख्या उसमें कम होगी, सरकार भले ही बन जाय। हालांकि न्याय मंत्री जी ने जो कहा उसका अर्थ तो यह है कि वह खुद ही कन्फिडेंट नहीं हैं कि उनकी सरकार अगली दफा बन सकेगी लेकिन अगर यह काम हम इस दफ़ा करते हैं तो यह सरकार का विशेष कृत्य होगा क्योंकि हम तो कर नहीं सकते, हमारी संख्या नगण्य है। हम अपनी संख्या के बल पर कुछ नहीं करा सकते हैं, कुछ अपनी वाणी के बल पर और उक्तियों के बल पर और सरकार की मेहरबानी के बल पर, कुछ बातें करवा सकते हैं। तो इतनी बातें निवेदन कर के मैं आशा करता हूं कि सरकार को कोई आपत्ति नहीं होगी। जुडीशियरी को जो अब तक हमारा अपना कांस्टीट्यूशन का डाइरेक्टिव प्रिंसिपल है उसमें है और जिसके लिये अब तक आप ने मेहरबानी नहीं की और जिसके लिये बड़ा भारी उलाहना है और यह उलाहना सारे देश में रहेगा और एक कदम यह बड़ा भारी है जिसके लिये सारा मुल्क स्वागत करेगा। मैं समझता हूं कि सरकार का इससे कोई अहित नहीं होगा और सरकार आज घोषणा करेगी कि वह इसे सेलेक्ट कमेटी के सुपुर्द कर रही है और हमें विश्वास है कि हम लोग चुनाव के पहले इस बिल को पारित कर लेंगे।

श्री रामसेवक यादव (जिला बाराबंकी)—अध्यक्ष महोदय, जो विधेयक प्रस्तुत है, मैं उसका स्वागत करता हूं। माननीय पालीवाल जी का जो इसको प्रवर समिति को भेजे जाने का प्रस्ताव है, मैं उसका समर्थन करता हूं।

हमारे देश में अभी-अभी जनतंत्र ने शुरूआत की है और हम डिमोक्रेसी में चल रहे हैं। इसलिये आवश्यक है कि जनतंत्र की जितनी सारी बातें हैं, उनको अपनावें, तभी वह पनप सकती है और आगे बढ़ सकती है। अगर हम उस तरफ जाते हैं तो यह विधेयक उसका एक बहुत जबर्दस्त कदम है। श्रीमन्, जैसा कि माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा कि हमारे यहां जनतंत्र के पनपने के लिये कुछ चीजें आवश्यक हैं। एक तरफ उन्होंने और इशारा किया था कि यहां के अध्यक्ष और वहां के लिये चैयरमैन का जो चुनाव होता है वह चुनाव न लड़ा जाय। गेंदा सिंह जी ने अपनी पार्टी की ओर से ही संकेत किया और मैं सोशलिस्ट पार्टी की ओर

पूर्ण विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अगर यह सरकार चाहे तो यह परम्परा पनप सकती है और अगर सारे देश में नहीं तो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो पनप ही सकती है। अगर सरकार यह कदम उठाने जा रही है कि स्पीकर का स्थान नानपार्टीमैन का हो और उस स्थान पर चुनाव न हो तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के बारे में गेंदा सिंह जी ने कहा है और मैं सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से यह आश्वासन देना चाहता हूं कि उस दशा में स्पीकर की जगह के लिये, उसके विरुद्ध सोशलिस्ट पार्टी का उम्मीदवार कोई चुनाव कभी न लड़ेगा। मैं समझता हूं कि इससे जनतंत्र को बल मिलेगा।

इसके साथ-साथ, यह विधेयक भी है जिस तरह हम लोग अपना ध्यान आकर्षित कर रहे हैं, यह दूसरी चीज है। इस सभा के सचिवालय के जो कर्मचारी हैं उनकी देखरेख का अधिकार इस सदन के अध्यक्ष को और उस सदन के सचिवालय के कर्मचारियों की देखरेख का अधिकार चेयरमैन को होना ही चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि वे कर्मचारी अभी हमारे विश्वास के पात्र नहीं हैं, वे हैं लेकिन फिर भी इस जनतंत्र को मजबूती से चलाने के लिये यह आवश्यक है ही कि इस सदन के कर्मचारियों पर नियंत्रण माननीय अध्यक्ष का और उस सदन के लिये माननीय चेयरमैन महोदय को ही मिलना चाहिये। श्रीमन्, पालीवाल जी से यह भी पता चला कि मुख्य मंत्री जी ने कहा है कि हम हर चीज की नक़ल नहीं कर सकते हैं और अभी तक हमारे यहां जनतंत्र की शुरुआत है और इतनी जल्दी हम क्या बात कर सकते हैं। श्रीमन्, इस सम्बन्ध में मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि अगर हम इस तरह की कोई शुरुआत करते हैं तो इससे कोई बड़ा झगड़ा खड़ा होने वाला नहीं है, न उससे सरकार ही बिगड़ने वाली है, न उसके खिलाफ विद्रोह होगा। उससे तो सरकार के हाथ मजबूत होंगे। जैसा माननीय गेंदा सिंह जी ने कहा, मंत्री जी ने भी फरमाया था, विरोधीदल तो सरकार का एक अंग ही हुआ करता है। उससे सरकार को बल मिलता है, लेकिन शर्त यह है कि सरकार विरोधी दल की बातों को सोचे, समझे और अगर उनमें कुछ अच्छी चीजें हों तो उनकी कद्र करने की कोशिश करे। लेकिन सरकार का ऐसा रवैया मालूम होता है कि वह वस्तुस्थिति पर न जा करके, उन बातों पर ध्यान न दे कर, संख्या की ओर देखती है कि यदि संख्या काफी अच्छी नहीं है तो उनकी बातों पर ध्यान देना आवश्यक नहीं है, वह बातें ठीक नहीं हैं चाहे वह कितनी भी तर्कसंगत हों, चाहे वह कितनी अच्छी हों। तो इस तरह की हठवादिता सरकार को छोड़नी चाहिये और इसको ध्यान में रखते हुए, जो प्रस्तुत विधेयक है, इसका हृदय से समर्थन करना चाहिये और इसको इस सदन में ही जब यह नवम्बर के महीने में प्रवर समिति से आये तो, पारित करना चाहिये।

श्रीमन्, माननीय मुख्य मंत्री जी को आपत्ति थी कि नयी डेमोक्रेसी है, हमने शुरूआत की है, यह कैसे आ सकता है। मैं आप का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि क्या आवश्यक है किसी उस देश के लिये कि जहां जनतंत्र शुरू हुआ हो वह उन देशों से मुकाबला करे इस बात में कि उनमें कितने दिन में जनतंत्र पनपा है और उसमें उनको कितनी कठिनाइयां उठानी पड़ी हैं। तो क्या उसे उन कठिनाइयों के दौरान से गुजरना होगा जब वह चीजें उसमें आयेंगीं? यह मैं समझता हूं कि हरगिज नहीं हो सकता। मैं आप के द्वारा सदन से यह निवेदन करूंगा और माननीय मुख्य मंत्री जी यहां नहीं हैं, माननीय हुकुम सिंह जी यहां मौजूद हैं, उन से निवेदन करूंगा कि इस सदन में हम लोग इस विधेयक को जाते जाते पारित कर दें। कम से कम यह परम्परा हमारे देश के लिये नयी होगी और शायद दूसरे प्रदेशों के लिये, उनकी सरकारों के लिये नयी होगी और उनको कुछ रोशनी दे सकेगी। श्रीमन्, इसको प्रवर समिति में जाने की जरूरत नहीं थी लेकिन एक माननीय सदस्य ने कुछ वैधानिक अड़चनें उठाई हैं। यदि यह विधेयक प्रवर समिति में चला जाता है तो उस पर पूरी तरह से विचार किया जा सकता है। इसमें कई कानूनी कठिनाइयां हैं, उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, कैसे उनका मुकाबला कर सकते हैं। इस तरह से अगर चार नवम्बर तक यह विधेयक प्रवर समिति से विचार होने के उपरान्त परिवर्तित हो कर इस सदन के सामने आ जाता है तो मैं समझता हूं कि उससे जनतंत्र को बहुत

[श्री रामसेवक यादव]

बड़ा बल मिलेगा और यह सदन सिर्फ इस एक कार्य से एक यह सिद्ध कर सकेगा कि उसने पांच वर्षों में कुछ किया है। मैं इन शब्दों के साथ आप के द्वारा यह निवेदन करता हूं कि इस विधेयक का स्वागत किया जाय और यह विरोधी पक्ष की बात नहीं है, यह विधेयक तो सरकारी पार्टी का ही है और अगर सरकार चाहे तो स्वयं ही इस विधेयक को अपनी ओर से ला सकती है और उनको पास कराने के लिये और अधिक उत्तम बनाने के लिये हमारी ओर से जो भी कोशिश होनी चाहिये वह हम करने के लिये तैयार रहेंगे।

श्री नवलकिशोर (जिला बरेली)—अध्यक्ष महोदय, यह जो विधेयक हमारे सामने है मैं उसका स्वागत करता हूं और जिन भावनाओं को लेकर हमारे माननीय साथी ने इसे पेश किया है, उनका मैं आदर करता हूं। मैं समझता हूं कि उस बात के उपर कोई मतभेद नहीं है और कोई दो रायें नहीं हैं कि हमारी इस डेमोक्रेसी में अध्यक्ष महोदय का क्या स्थान होना चाहिये। मुझे इस बात को जानकर खुशी है कि पी० एस० पी० की तरफ से और सोशलिस्ट पार्टी की तरफ से एक बड़ा बड़ा डेमोक्रेटिक आश्वासन, जनतांत्रिक आश्वासन आया कि वह आगामी चुनाव में स्पीकर महोदय के मुकाबले में अपना कोई कैन्डीडेट खड़ा नहीं करेंगे।

श्री राजनारायण (जिला वाराणसी)—कब आया ?

श्री नवलकिशोर—अभी आप के साथी ने दिया। ऐसी परिपाटी और देशों में भी है और मैं भी चाहता हूं कि इस तरह का एक ट्रेडीशन, (परिपाटी) हमारे इस देश में भी पड़े। लेकिन जहां तक अध्यक्ष महोदय के पद की मान और मर्यादा का सवाल है वह सही है और उस पर हम सब एकमत हैं और मैं भी इस मत का हूं कि उनका जो सेक्रेटेरियट है वह बहुत कुछ इन्डिपेन्डेन्ट होना चाहिये और उसमें उसकी ही देख रेख और संचालन होना चाहिये। लेकिन जब मैंने इस विधेयक को देखा तो जैसी इसकी भावना होनी चाहिये वैसी नहीं है। इसके अन्दर जो ४ क्लाज उन्होंने रखे हैं, मैं समझता हूं कि उसके अन्दर कुछ कठिनाइयां आ सकती हैं ...

(इस समय १ बजकर १५ मिनट पर सदन स्थगित हुआ और २ बजकर २४ मिनट पर उपाध्यक्ष, श्री हरगोविंद पंत की अध्यक्षता में सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री नवलकिशोर—उपाध्यक्ष महोदय, मैं यह कह रहा था कि जहां तक इस विधेयक का संबंध है और जहां तक यह बिल यह चाहता है कि हमारे अध्यक्ष महोदय का स्थान एडमिनिस्ट्रेटिव मामलों में भी ऊंचा रहे, वहां तक तो हम सभी इससे सहमत हैं। मैं भी इस मत का हूं कि असेम्बली सचिवालय बहुत कुछ अंश में स्वतंत्र हो और अध्यक्ष महोदय की देखरेख में इसका काम चले। मगर जब मैं इस बिल की धाराओं को देखता हूं तो बावजूद इसके कि इसकी इच्छायें बहुत अच्छी हैं, मुझे इसमें कुछ कठिनाई दिखाई देती है। शायद सन् ३७ के पहले और उसके बाद अब तक ऐसा होता आता है कि हमारा असेम्बली विभाग जाब्ते से शायद जुडिशियल विभाग के मातहत माना जाता है और हर छोटी मोटी बात के लिये जुडिशल विभाग को लिखना पड़ता है, जिसमें बड़ी कठिनाई होती है। सही बात है कि इस तरह हमारे अध्यक्ष और काउन्सिल के चेयरमैन की कोई पोजीशन भी थोड़ी कम्प्रोमाइज होती है। मेरी ऐसी मालूमात है कि शायद इन बातों को देखते हुए कोई कमेटी बनी और अगर नहीं बनी तो हमारे मौजूदा सेक्रेटरी-जनरल हैं, श्री मिट्ठनलाल जी, उनको शायद यह काम सौंपा गया था कि वह दोनों सेक्रेटरियटों के रिआर्गेनाइजेशन के सम्बन्ध में कुछ नियम बनाकर सरकार के सामने पेश करें। मैं नहीं जानता कि वे नियम किस रूप में पेश हुए और उनके ऊपर सरकार ने अभी तक क्या कार्यवाही की है। मगर इतना अवश्य है कि इन कठिनाइयों की ओर ध्यान गया और सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित किया गया। मैं जब इसकी धाराओं को देखता हूं तो इसके अन्दर एक तो रामसुमेर जी ने इस बात की मांग की है कि "प्रत्येक सचिवालय में प्रत्येक श्रेणी के उतने पद होंगे जितने इस अधिनियम के लागू होने के समय स्थायी या अस्थायी रूप में हों या समय-समय पर सभापति

या अध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से संबंधित सदन के सचिवालय या दोनों सचिवालयों के लिये निर्धारित किये जायं।" मैं समझता हूं कि शायद अब भी ऐसी परिपाटी होगी और दूसरे विभागों के लिये भी जो कि मंत्रियों के अधीन हैं ऐसा होता है कि जब कभी वे कुछ पदों को बढ़ाना चाहते हैं तो मेरा ख्याल है कि निश्चित रूप से उनको भी फाइनेंस विभाग की स्वीकृति लेनी पड़ती है। वही बात उन्होंने कही है। मैं समझता हूं कि इसमें कोई चीज नयी नहीं है।

इसके बाद इसमें यह लिखा हुआ है कि "प्रत्येक पद का वेतनक्रम वही होगा जो उसी श्रेणी के पद के लिये प्रदेशीय सरकार द्वारा सरकारी सचिवालय के लिये निर्धारित किया जाय।"

मेरी तो सूचना यह है कि जो बेसिक पोस्ट्स हैं सेक्रेटेरियट और असेम्बली सेक्रेटेरियट की, उन दोनों के पदक्रम में कोई विशेष अन्तर नहीं है। अगर अन्तर न भी हो तब भी इस चीज में मुझे कोई ऐतराज नहीं है। लेकिन एक दिक्कत यह है कि सेक्रेटेरियट में आफिसरों का पे स्केल कोई फिक्स नहीं है। वहां तो पी० सी० एस० और आई० ए० एस० के लोग आते हैं और उन लोगों को यहां कुछ स्पेशल भत्ता दे दिया जाता है।

इसमें एक अधिकार यह भी दिया गया है—"सभापति या अध्यक्ष को अधिकार होगा कि वित्त विभाग के परामर्श से अपने सचिवालय से संबंधित किसी पद के लिये कोई विशेष वेतन-क्रम निर्धारित कर सके या किसी विशेष पदाधिकारी के लिये उसके साधारण वेतनक्रम के अतिरिक्त किसी प्रकार का विशेष वेतन या निजी वेतनक्रम निर्धारित कर सकें।"

इसमें भी किसी विशेष आपत्ति की बात नहीं है। स्पीकर साहब और अध्यक्ष को यह अधिकार होना ही चाहिये।

इसके बाद दिया हुआ है—"प्रत्येक सचिवालय में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिये आवश्यक अर्हतायें या उन पर नियुक्तियों की प्रक्रियायें वह होंगी जो सभापति या अध्यक्ष, जैसी भी दशा हो, समय समय पर आदेशों द्वारा निर्धारित करें।"

मैं समझता हूं कि जब हम एक तरफ इस बात की मांग करते हैं कि हमारे वेतनक्रम वही हों जो सेक्रेटेरियट के हैं तो यह भी उचित ही है कि उस पोस्ट के लिये वही मिनिमम क्वालीफिकेशंस रखी जायं जो उस श्रेणी के दूसरे आदमी के लिये जनरल सेक्रेटेरियट में रक्खी जाती हैं।

यही नहीं इसके बाद यह भी है—"(२) उपधारा (१) के अधीन प्रत्येक सचिवालय के पदों पर नियुक्तियों के सम्बन्ध में लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायगा।"

मैं समझता हूं कि आजतक जो भी कायदा है वह यह है कि गवर्नमेंट को जब किसी पोस्ट के लिये किसी आदमी की आवश्यकता होती है तो वह उसकी एक मिनिमम क्वालिफिकेशन को तय कर देती है और उसको तय करने के बाद पब्लिक सर्विस कमीशन को भेज देती है जो उसी आधार पर ऐप्लीकेशन्स को मांगता है तथा उनमें से छंटाई करता है। और फिर उस आदमी को भेज देता है। यदि ऐसा है और कम से कम मेरा अपना मत ऐसा है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को अधिक पावर्स होनी चाहिये। होना यही चाहिये कि चाहे असेम्बली सेक्रेटेरियट को आवश्यकता हो या किसी दूसरे डिपार्टमेंट को आवश्यकता हो, तो उनको जिन लोगों की आवश्यकता है, उनकी क्वालीफिकेशन्स को तय कर देना चाहिये और पब्लिक सर्विस कमीशन के पास भेज देना चाहिये कि इस क्वालीफिकेशन्स के इतने इतने आदमी भेज दो। जब तक कोई विशेष आपत्ति न हो, कोई विशेष परिस्थिति न हो, तब तक पब्लिक सर्विस कमीशन की सिफारिशों को मानना ही चाहिये।

इसके बाद एक प्रतिबन्ध यह रखा गया है कि यदि स्पीकर साहब या सभापति महोदय चाहें कि किसी पोस्ट के लिये प०स० कमीशन को कंसल्ट करने की आवश्यकता नहीं है, तब वह न

[श्री नवलकिशोर]

करें। मैं बहुत विनय के साथ, इस बात को भी मानते हुए कि जब कोई आदमी असेम्बली सेक्रेटेरियट में नियुक्त हो जाय तो उस पर पूरा कंट्रोल स्पीकर महोदय का हो, लेकिन उसके साथ ही साथ यह कहना कि अगर किसी आदमी की नियुक्ति करना हो तो उसके सम्बन्ध में पब्लिक सर्विस कमीशन को भी कंसल्ट न किया जाय, या कंसल्ट करना उचित न समझा जाय, मैं इससे इत्तफाक नहीं करता। बड़े आदर के साथ और बड़े सम्मान के साथ, जो उस पद से संबंधित है, मैं समझता हूं कि लोगों के अन्दर निष्पक्षता का विश्वास पैदा करने के लिये और इस बात का विश्वास पैदा करने के लिये कि अधिकन्याय होगा, यह आवश्यक है कि ऐसे मामले, जहां तक हो सके पब्लिक सर्विस कमीशन को ही भेजे जायं और उसी के द्वारा आदमियों के एप्वाइन्टमेंट होने चाहिये। इसमें यह भी कहा गया है कि जब पब्लिक सर्विस कमीशन से अगर कोई परामर्श भी लिया जायगा तो एक प्रतिनिधि असेम्बली का या कौंसिल सचिवालय का उनके साथ बैठेगा और उसकी हैसियत वही होगी जो किसी दूसरे अन्य मेम्बर की होगी। मैं समझता हूं कि अगर इस चीज को इस विधेयक के अन्दर अल्टरा वायरस कहा जाय तो कोई अनुचित न होगा। इसलिये कि जब गवर्नमेंट को किसी टेक्निकल हैंड की जरूरत होती है तो उस मौके पर पब्लिक सर्विस कमीशन खुद ही उस डिपार्टमेंट को लिख कर भेज देता है कि आप अपनी तरफ से कोई टेक्निकल एक्सपर्ट हमारे बोर्ड के अन्दर भेज दीजिये और वह टेक्निकल एक्सपर्ट एक एडवाइजर की हैसियत से वहां बैठता है। उसका स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर का नहीं होता। अगर उसको पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर का स्टेट्स दे दिया जाय तो इसके माने तो यह हैं कि हम अपने एक ऐसे आदमी को वहां भेज दें जो अपनी पसन्द के आदमी को वहां चुनवा लें। अगर इस चीज को हमने एक्सेप्ट कर लिया जाय तब तो पब्लिक सर्विस कमीशन को मामला भेजने का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। वह व्यक्ति तो केवल मशविरा देने के लिये वहां हो सकता है और वह यदि कमीशन चाहे तब।

इसके अलावा इसके अन्दर एक कठिनाई और भी है जिसकी तरफ एक भाई ने ध्यान आकर्षित किया था और जैसा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कहा, वह बजट के सम्बन्ध में है। मैं भी इससे सहमत हूं कि असेम्बली के सेक्रेटरी और स्पीकर साहब मिल कर यहां का बजट बनावें और वह बजट फाइनेंस डिपार्टमेंट को जाय और फाइनेंस डिपार्टमेंट के सेक्रेटरी उसको देख लें यदि उसमें कोई मतभेद की बात हो तो उसे हमारे असेम्बली सेक्रेटरी और फाइनेंस सेक्रेटरी आपस में मिल कर देख लें और आपस में मिल कर कोई चीज तय करें। फिर भी यदि कोई चीज तय न हो तो माननीय वित्त मंत्री और अध्यक्ष महोदय मिल कर उसको तय करें लेकिन फिर भी कंस्टीट्यूशन के अनुसार जो बजट है उसे हाउस के अन्दर पेश करना पड़ेगा और उसे किसी न किसी मंत्री को ही पेश करना पड़ेगा। बजट कैबिनेट में भी जायगा। विधान के अनुसार और कोई बजट पेश भी नहीं कर सकता है, हाउस के अन्दर लेकिन फिर भी जो बजट पास हो उस सैक्शंड बजट के अन्दर से खर्च करने का अधिकार पूर्णतया हमारे सेक्रेटरी जो असेम्बली के हैं या जो सेक्रेटरी जनरल हैं, जैसा कि आजकल चल रहा है, उनको होना चाहिये। वे उस सैक्शंड बजट के अन्दर से जहां तक उचित समझें खर्च करें। इस तरह की छोटी छोटी बातें जो फाइनेंस डिपार्टमेंट को रेफर करनी पड़ती हैं वह उचित नहीं है।

एक चीज और मैं कहना चाहता हूं और वह यह है कि सरकार इस पर भी सोचे जैसा कि अपने प्रस्ताव में पालीवाल जी ने कहा है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय, उसका मैं भी समर्थन करता हूं। चूंकि वहां जाकर हमको इस बात का मौका मिलेगा कि हम इन सब कमियों पर सोच सकेंगे। एक दूसरी और चीज है जिसकी तरफ मैं सरकार का ध्यान खींचना चाहता हूं कि मेरा यह भी मत है कि असेम्बली और कौंसिल दोनों को एक ज्वाइंट सेक्रेटेरियट बनाया जाय तो वह और भी ज्यादा अच्छा होगा। चाहे उसका लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट नाम हो या जो कुछ भी नाम आप देना चाहें वह दें।

जहां तक सेक्रेटेरियट पर कंट्रोल की बात है वह तो ठीक ही है लेकिन मैं तो उससे भी एक कदम आगे बढ़ कर यह कहना चाहता हूं कि जितने भी हम मेम्बर्स हैं उनका बहुत कुछ सम्बन्ध सीधे अध्यक्ष महोदय के साथ रहता है। तो जहां तक हम लोगों की एकामोडेशन का सवाल है, जो दारुलशफा आदि है, उनको भी गवर्नमेंट स्टेट डिपार्टमेंट से हटा कर असेम्बली डिपार्टमेंट को ही दे दिया जाय तो हम समझते हैं कि वह और भी ज्यादा अच्छा होगा और उससे हमारी इंडिपेंडेंस भी बहुत मुकम्मल हो जाती है। इन शब्दों के साथ जो भावना यहां व्यक्त की गयी है उसका स्वागत करते हुए मैं श्री पालीवाल जी के इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि इस विधेयक को सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय।

श्री राजनारायण--श्रीमन्, श्री रामसुमेर जी का जो यह बिल सदन में प्रस्तुत है उसके लिये मैं पहली बार श्री रामसुमेर जी को धन्यवाद जरूर देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने, जो काम हम को करना था उसी को एक प्रकार से किया है। श्रीमन्, मैं पहले ही यह भी बतला देना चाहता हूं कि पालीवाल जी ने जो इस को प्रवर समिति में भेजने का संशोधन प्रस्तुत किया है, ऐसा मुझे मालूम है कि उन्होंने तिथि भी उसकी ४ नवम्बर निश्चित कर दी है। ठीक है, ४ नवम्बर हो या ८ नवम्बर हो किसी भी तिथि के साथ मैं उनके इस संशोधन और प्रस्ताव दोनों का ही समर्थन करता हूं। जब हम इस सदन में इस बिल पर वाद-विवाद करें तो हम को सर्वप्रथम अपने सामने जो उद्देश्य और सिद्धांत रखने हैं वह यह है कि अध्यक्ष महोदय को जो अधिकार हैं वे विभाग के सम्बन्ध में और उस के कार्यों के सम्बन्ध में जो उनकी स्वतंत्रता है वह अक्षुण्ण रहे या न रहे, और इस बात को सामने रखते हुये आज मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि इस विषय पर चर्चा होनी चाहिये। जहां तक अध्यक्ष की स्वतंत्रता का सम्बन्ध है, एक बार नहीं कई बार इसी सदन में मैं निवेदन कर चुका हूं कि स्पीकर की स्वतंत्रता सर्वदा सुरक्षित होनी चाहिये। अध्यक्ष को अपने अधिकारियों की नियुक्ति, उनके प्रोमोशन और ट्रान्सफर आदि पर सरकार का हस्तक्षेप कभी सहन नहीं करना चाहिए और मैं समझता हूं कि यदि यहां जनतंत्र की सुरक्षा होनी है और जनतांत्रिक प्रणाली को विकसित कराना है तो हर सम्मानित सदस्य को इस सिद्धांत पर चलना पड़ेगा।

श्रीमन्, अभी कल इस सदन में माननीय एटली पधार चुके हैं। उन्होंने विधान सभा में जनतंत्र की सुरक्षा कैसे हो, विरोधी दल और सरकार का सम्बन्ध कैसा हो इस प्रकार की कुछ चर्चा की क्योंकि मैं मानता हूं कि विरोधी दल के अधिकारों की रक्षा वही अध्यक्ष कर सकता है जो स्वयं सरकारी नियंत्रण और सरकारी आक्षेप से मुक्त हो, सरकार की सीमा से मुक्त हो। वह अध्यक्ष कुछ नहीं कर सकता है जिस अधिकारियों की नियुक्ति, तरक्की और ट्रांसफर का अधिकार न हो। मुझे अफसोस है कि माननीय नवलकिशोर जी एक समझदार विधायक होते हुये भी कभी-कभी ऐसी शंका कर दिया करते हैं। इस समय एक तर्क उन्होंने प्रस्तुत किया। मैं आपके द्वारा उनसे निवेदन करना चाहूंगा। वह शायद इस पर जरा गम्भीरता के साथ विचार करेंगे। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष महोदय को यह अधिकार नहीं होना चाहिये कि वे बिना लोक सेवा आयोग के परामर्श के कोई नियुक्ति करें। हमको रूट काज में जाना चाहिये था और अगर रूट काज में जायेंगे तो मैं समझता हूं कि उनका यह तर्क खोखला होगा। क्योंकि लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कैसे होती है, लोक सेवा आयोग की नियुक्ति कौन करता है? जरा इस पर भी हमको विचार करना पड़ेगा। जो पद्धति प्रचलित है, नियम प्रचलित हैं उसमें आपको मालूम होगा, श्रीमन्, कि लोक सेवा आयोग की सम्मति सरकार के लिये कोई बंधन नहीं है। सरकार चाहे उसे माने, सरकार चाहे उसे न माने और जब भी सरकार और लोक सेवा आयोग की सम्मति में विरोध होता है तो सरकार अपनी ही राय पर कायम रहती है।

ऐसी हालत में माननीय नवल किशोर जी से मैं निवेदन करूंगा कि जरा वह सोचें तो सही कि लोक सेवा आयोग की नियुक्ति जब सरकार करती है और जिस तरह की नियुक्ति आज सरकार के द्वारा हो रही है उसे देख कर श्रीमन्, मैं एक वाक्य यहां माननीय एटली महोदय

[श्री राजनारायण]

का जरा दोहरा देना चाहता हूं और वह बड़ा अच्छा वाक्य है। इस सदन में उस वाक्य को कई बार मैं कह भी चुका हूं। वह वाक्य यही है कि चाहे हमारा कांस्टिट्यूशन कितना ही सुन्दर क्यों न हो, चाहे हमारे विधान की भाषा कितनी ही अच्छी और जनतांत्रिक क्यों न हो अगर हमारा व्यवहार और एटीट्यूड अच्छा न हो तो अच्छी भाषा से लिखी हुई पुस्तकें बेकार हो जायंगी। मैं आपके द्वारा, श्रीमन्, फिर सम्मानित सदस्यों से कहना चाहता हूं कि आज क्या एटीट्यूड है, कैसे सदस्य जा रहे हैं, यह बाद की चर्चा का विषय होगा जब वे अपने स्थान पर जायेंगे। अभी इलेक्शन ट्रिब्युनल के सामने श्री त्रिलोकी सिंह का मामला विचाराधीन है जिससे संबंधित यहां के एक आध उच्चाधिकारी भी हैं।

श्री उपाध्यक्ष—आप असंगत हो रहे हैं।

(शोर)

श्री राजनारायण—यह सदन आदरणीय सदन है। हम लोगों को प्रापर बिहेवियर से बैठना चाहिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन यह कर रहा था कि क्यों लोक सेवा आयोग की राय से बाध्य हों माननीय अध्यक्ष, ऐसी सम्मति नवल किशोर जी ने व्यक्त की। अब मैं इसके विरोध में जो तर्क दे रहा हूं कि क्यों लोक सेवा आयोग की सम्मति माननीय अध्यक्ष को नहीं माननी चाहिये, अपने उस तर्क के पक्ष में मुझे यह प्रमाण देना है कि पार्लियामेंटरी पद्धति में इस तरह के तर्क हमेशा प्रस्तुत होते रहे हैं। मैंने संकेत के लिये अभी कहा कितने अशोभनीय कार्य सरकार की तरफ से हो रहे हैं इसके लिये जरा आप ट्रिब्युनल के फैसले को देखें कि किन-किन पदाधिकारियों पर उसके एतराज हुए हैं।

मैं, श्रीमन्, थोड़ी सी चर्चा यहां पर इस समय इस बात की भी कर देना चाहता हूं जो कि माननीय अब्दुल मुईज खां जी ने विधान के सम्बन्ध में की थी। उन्होंने एक वैधानिक आपत्ति उठाते हुए इस सदन का थोड़ा सा समय लिया था। इसकी धारा जो खंड ५ से संबंधित है पदों की नियुक्ति के सम्बन्ध में इस सम्बन्ध में उनकी वैधानिक आपत्ति थी। इस सम्बन्ध में मुझे मालूम नहीं कैसे उन्होंने विधान का अध्ययन किया था जिससे उन्होंने वैधानिक आपत्ति उठाई। मुझे यह भी मालूम नहीं कि सरकार और माननीय मुख्य मंत्री उनकी आपत्ति से सहमत थे या नहीं, मगर मैं समझता हूं कि उनकी वैधानिक आपत्ति निराधार थी। वह वैधानिक आपत्ति वैधानिक आपत्ति नहीं थी क्योंकि जब मैं कांस्टिट्यूशन को देखता हूं और कांस्टिट्यूशन के अनुच्छेद १८७ के खंड २ के अनुसार माननीय रामसुमेर जी ने इस विधेयक को यहां प्रस्तुत किया है। तो मैं उसकी भाषा आपके द्वारा पढ़ना चाहता हूं।

श्री उपाध्यक्ष—वह वैधानिक आपत्ति इस वक्त वाद-विवाद में में नहीं चल रही है।

श्री राजनारायण—मैं जवाब दे रहा हूं जितने प्रश्न यहां उठे।

श्री उपाध्यक्ष—सदन के सामने वह प्रश्न नहीं है। वह आपत्ति जब खंड लिये जायं उस वक्त की जा सकती है, इस वक्त नहीं।

श्री राजनारायण—आप ठीक कहते हैं। श्रीमन्, मैं यह निवेदन कर रहा हूं कि वह प्रस्तुत हो चुकी है। वह न भी हो मैं अपनी राय दे रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि

"The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate secretariat staff."

दो खंड (२) है उसको भी मैं आप की आज्ञा से सम्मानित सदस्यों के लाभार्थ पढ़ देना उचित समझता हूं।

"(2) The legislature of a State may by law regulate the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretariat staff of the House or Houses of the Legislature of the State."

हमारी विधान सभा पूर्ण रूप से इस कांस्टीट्यूशन के मुताबिक क्षमता रखती है। उसको यह अधिकार प्राप्त है कि विधान सभा के अन्दर जो स्टाफ हो जिससे अध्यक्ष महोदय का संबंध है इस विधान सभा की कार्यवाही का संबंध हो, यहां के सम्मानित सदस्यों का सम्बन्ध हो उनकी नियुक्ति, उनकी सर्विस की शर्तें, उनके अप्वाइंटमेंट्स के बारे में कानून बनाये जा सकते हैं। यह कांस्टीट्यूशन में हमें अधिकार प्राप्त है। हम समझते हैं कि आज करीब पांच वर्ष हो रहे हैं इस अधिकार का प्रयोग न करके हमने गलती की है। ऐसा विधेयक इस सदन में बहुत पहले प्रस्तुत हो जाना चाहिये था और मेरा निश्चित मत है कि अगर ऐसा विधेयक इस सदन में प्रस्तुत हो चुका होता, पास हो चुका होता तो हमारे बहुत से अधिकारों पर जो आज कुठारघात हुआ है, उस कुठारघात से बच गये होते। श्रीमन्, मुझे अपनी निजी जानकारी है। मैं जानता हूं कि जब यहां पर आदरणीय टंडन जी अध्यक्ष पद पर सुशोभित रह चुके थे, आप उपाध्यक्ष हैं। यहां पर माननीय अध्यक्ष भी हैं। कितनी दिक्कतें बढ़ रही हैं, रास्ते में, किस तरह से कार्यक्रम बदले जा रहे हैं, किस तरह से दिन-दिन भर अजेंडा रखा जाता है उस पर संशोधन होता है। यह सारी की सारी दिक्कतें जो हमारे सेक्रेटेरिएट स्टाफ को भुगतनी पड़ती हैं, रात-रात भर गवर्नमेंट की इच्छा शक्ति और इशारे पर बाध्य होना पड़ता है। यह क्या बातें हैं? इसलिये मैं समझता हूं कि जो अधिकार हमें विधान के द्वारा प्राप्त हैं उस अधिकार के अनुसार हमें कानून बनाने में अब देर नहीं करनी चाहिये। मैं उसका तीसरा उपखंड भी पढ़ देना चाहता हूं।

"(3) Until provision is made by the Legislature of the State under clause (2), the Governor may, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Assembly or the Council, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause."

अगर इस उपखंड की भाषा को भी देखा जाय और इसका अर्थ अच्छी तरह से लगाया जाय तो यह हमें संकेत करता है कि जब तक विधान सभा में कायदे कानून न बन जायं विधान सभा के सेक्रेटेरियट स्टाफ की नियुक्ति और प्रमोशन के बारे में तब तक गवर्नर महोदय अध्यक्ष की सम्मति से असेम्बली सेक्रेटेरिएट के स्टाफ की नियुक्तियां करते रहेंगे।

श्रीमन्, यह कांस्टीट्यूशन की धारा है। इसको किस लिये कांस्टीट्यूशन में प्रोवाइड किया गया, एक अलग अनुच्छेद बना कर के? इसकी गुरुता और गम्भीरता को भी माननीय सदस्यों को समझना चाहिये। जो इस विधान के निर्माता थे उनके मस्तिष्क में यह बात थी कि असेम्बली का सेक्रेटेरियट स्टाफ़ गवर्नमेंट के कन्ट्रोल से मुक्त हो। गवर्नमेंट के पंजे से मुक्त हो और उस पर अध्यक्ष का सीधा सीधा उनकी नियुक्ति, प्रोमोशन आदि का अधिकार हो। इसीलिये, श्रीमन्, इस बारे में पुनीत कर्तव्य को पूरा करने के लिये ही मैंने प्रारम्भ में रामसुमेर जी को धन्यवाद दिया था। हमने भी अध्यक्ष के पद सम्मान की सुरक्षा के लिये

[श्री राजनारायण]

एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। मुझे मालूम नहीं जो वह चक्कर होता है उसमें हमारा नाम आया या नहीं किन्तु माननीय रामसुमेर जी का प्रस्ताव आ गया।

श्रीमन्, मैं आपके द्वारा यह निवेदन करना चाहता हूं और उन माननीय मित्रों से पूछना चाहता हूं जो यह चाहते हैं कि अध्यक्ष को यह अधिकार न हो। क्यों न हो? अगर यह अधिकार अध्यक्ष को नहीं होता तो इनडायरेक्ट तरीके से अध्यक्ष को प्रभावित कर सकती है हुकूमत या नहीं? अध्यक्ष कितना ही स्वतंत्र रहना चाहे मगर इनडायरेक्ट प्रभाव पड़ता ही रहता है, होल एटीट्यूड का प्रभाव पड़ता है, सारी व्यवस्था का प्रभाव पड़ता है। जैसे, श्रीमन्, मैं आप को बतला दूं कल ही की घटना है। हम अपने चित्त की दुर्बलता को स्वीकार करते हैं और उसका दोषी मैं माननीय पालीवाल जी को भी बनाना चाहता हूं। श्रीमन्, मुझे रात को नींद नहीं आयी। मैं सोचता था कि मैंने अपने चित्त की दुर्बलता क्यों दिखाई। कल जब लार्ड एटली यहां आये और माननीय अध्यक्ष ने अंग्रेजी में उनका स्वागत किया तो उस समय हमारे दिल को ठेस लगी थी। मैं खड़ा होने जा रहा था मगर माननीय पालीवाल जी ने कहा कि छोड़ दो इस समय। मैं समझता हूं हमारे चित्त की दुर्बलता थी। उसको कुछ लोग रीजन कह सकते हैं, कुछ लोग कह सकते हैं कि उपयुक्त अवसर था, मगर मैं मानता हूं कि हमारी दुर्बलता थी और उसको स्वीकार करने में मुझे गर्व है। मैं चाहता हूं इस सदन के जितने सम्मानित सदस्य हों वे अपने चित्त की दुर्बलता को इस प्रकार स्वीकार किया करें तब जा कर के सुन्दर परम्परा स्थापित हो पायेगी।

"Morality should not be always conditioned to class interest, which is being done now."

हम मर्यादित हों तो किसी नियम और विधान के अनुकूल। अगर हमारी नियमावली विधान में लिखा है कि हमारे प्रदेश की भाषा हिन्दी होगी। तो उस विधान और नियमावली का उल्लंघन नहीं होना चाहिये। अगर उसके उल्लंघन को हम देखते हैं तो वहां हमारी दुर्बलता होती है। श्रीमन्, मैं आप के द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जब मैं इस विधेयक के उद्देश्य और कारणों को देखता हूं तो मुझे लगता है उद्देश्य और कारण सुन्दर हैं, अच्छे हैं। इस उद्देश्य और कारण में जहां थोड़ी कमी हमें दिखाई पड़ती है उसकी ओर भी सदन का ध्यान दिलाना चाहता हूं एक बात का जवाब देने के बाद। श्रीमन्, माननीय नवलकिशोर जी बोल रहे थे। उनकी सफ़ाई कर देना मेरे लिये नितान्त आवश्यक हो गया है। उन्होंने कहा था कि उन्हें खुशी है कि प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता और सोशलिस्ट पार्टी के लोगों ने कहा कि अध्यक्ष पद का कन्टेस्ट नहीं होना चाहिये। ठीक कहा। मैं इस राय का हूं। मैं आप के द्वारा स्पष्ट कर देना चाहता हूं, जरा नवल किशोर जी सुन लें, यह भी एक बहुत ही डेमाक्रेसी के लिये मौलिक प्रश्न होता है कि अध्यक्ष को किसी पार्टी से सम्बन्धित होना चाहिये या नहीं? अगर अध्यक्ष, अध्यक्ष के चुनाव के बाद किसी पार्टी से सम्बन्ध रखता है तो वह एक पार्टी का आदमी माना जायगा, वह स्वतंत्र नहीं माना जायगा। तो जब वह स्वतंत्र नहीं है और पार्टी का सदस्य है और एक पार्टी द्वारा वह केन्डीडेट हो कर के चुनाव में आता है तो उसके पद का विरोध होना चाहिये, जरूर होना चाहिये और....जरूर होना चाहिये और माननीय रामसेवक जी यादव ने जब अपने मत को व्यक्त किया था तो इन्हीं शर्तों के साथ व्यक्त किया था।

हम चाहते हैं कि माननीय नवल किशोर जी जरा अच्छी तरह से समझने की कृपा करेंगे। उनकी यही कतई राय थी कि जनतंत्र की सुरक्षा के लिये अध्यक्ष के पद को निर्विरोध किया जाना चाहिए। इस सिद्धान्त पर हम अब भी अटल हैं। माननीय रामसेवक जी यादव ने इसी सिद्धान्त को प्रतिपादित किया था और उस सिद्धान्त को मैं चाहता हूं कि जनतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करने वाला कोई भी व्यक्ति हो उसे मानना चाहिये कि अध्यक्ष का पद निर्विरोध होना चाहिये। किसी भी राजनैतिक पार्टी को उसके विरोध में अपना उम्मीदवार नहीं खड़ा

करना चाहिये। जब यह मूल सिद्धान्त की बात आती है तो उसका ही अर्थ होता है कि वह व्यक्ति भी किसी पार्टी का कैंडीडेट नहीं होगा। वह व्यक्ति अपनी प्रतिभा, अपने किये हुए कार्य अपने द्वारा दिए हुए स्वतंत्र रूलिंग्स, इन पर तमाम जनता का आदरणीय हो सकता है। जनता निर्विरोध रूप से ऐसे लोगों को चुन सकती है।

श्री नवलकिशोर---दूसरी बात कहिए।

श्री राजनारायण---मैं आप को समझाना चाहता हूं ताकि आप समझ लीजिए। इसलिये श्रीमन्, मैं आपके द्वारा माननीय सदन के सम्मानित सदस्यों से यह निवेदन करना चाहता हूं कि सदन के सम्मानित सदस्य भविष्य में जनतांत्रिक प्रणाली की सुरक्षा की कल्पना करते हुए इस बात पर भी मनन करेंगे, गौर करेंगे ताकि आगे हमारा मार्ग प्रशस्त हो। मैं आज की जो परिस्थिति है उसको आप के द्वारा सम्मानित सदस्यों की सेवा में रखना चाहता हूं। क्या सदन के सम्मानित सदस्य इस बात से अवगत नहीं हैं कि हमारे यहां मार्शल ऐट आर्म की नियुक्ति जो हुई है, माननीय अध्यक्ष महोदय ने नियुक्ति की है, मगर जहां तक मेरी जानकारी है अभी तक इसकी स्वीकृति सरकार से होनी बाकी है। अभी तक इनके खर्चे का कहां से प्रबन्ध होगा, कैसे प्रबन्ध होगा, इनकी तनख्वाह कहां से आयेगी, कैसे आयेगी इस पर सरकारी मोहर नहीं लग पायी है, इस मोहर का लगना बाक़ी है। क्यों ऐसा हो? और यह हुआ भी क्यों? इसका, श्रीमन्, सारा श्रेय मुझे प्राप्त होना चाहिये। इसका गौरव मुझे प्राप्त है क्योंकि यह सवाल सर्व प्रथम मैंने उठाया इस सदन में। जब यहां पर बाहर की पुलिस द्वारा अध्यापिकाओं को यहां से घसीटा गया था विधान सभा के सम्मुख और जब उस पर हमने अपना प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहा था और माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे रोका था, मुझे लाचार हो कर, बाध्य होकर अपने कर्तव्यपालन के हेतु उनकी आज्ञा का उल्लंघन करना ही पड़ा था, क्योंकि मैं इस सदन में किसी कर्त्तव्य पालन के हेतु ही आता हूं, किसी धमकी से डरने के हेतु नहीं आता हूं,। इसलिये, श्रीमन्, मुझे यहां की चार पांच पुलिस जो बाहर की पुलिस थी, सरकार के अन्तर्गत की पुलिस थीं, वह उठाकर के बाहर ले गई। हमने जब हाई कोर्ट में अपील की तो वहां पर यह जिक्र आया था और मार्शल ऐट आर्म.....

श्री उपाध्यक्ष---मैं समझता हूं कि इस घटना को लेकर इतने ब्यौरे में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप विधेयक पर आवें तो अच्छा है।

श्री राजनारायण---श्रीमन्, फुर्सत ही कहां है ब्यौरे में जाने की और मार्शल ऐट आर्म तो अधिकारी है आपका। तो, श्रीमन्, मैं आप के द्वारा सदन के सम्मानित सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं कि जरा आज अध्यक्ष महोदय का हाथ कितना बंधा हुआ है, उनके अधिकार कितने सीमित हैं, जिससे कि सदन के सम्मानित सदस्यों के अधिकार कितने कुंठित हो रहे हैं, इसके ऊपर जरा गौर करें, विचार करें। और श्रीमन्, इसी तरह से देखा जाय आज यहां पर जितने लोगों की नियुक्ति होती है जब कि गवर्नर महोदय, अध्यक्ष महोदय की सम्मति से नियुक्ति करेंगे तो गवर्नर महोदय सदा राज्य सरकार की इच्छाशक्ति के प्रतीक होते हैं। राज्य सरकार की जो इच्छाशक्ति होगी उसी के मुताबिक गवर्नर महोदय अपनी सैंक्शन करते रहते हैं। तो आज एक प्रकार से आप देखेंगे यहां के सारे के सारे कर्मचारियों की नियुक्ति सरकार के हाथ में सन्निहित है। सरकार जो चाहे वह करे। नियुक्ति करे या न करे। मैं तो यहां तक कहना चाहता हूं कि आज अध्यक्ष महोदय के अधिकार को असीम बनाने के लिये, अध्यक्ष के हाथ में सारी नियुक्तियों की जिम्मेदारी का भार सुपुर्द करने के लिये जितनी अधिक से अधिक दूर जाकर के हमको विधेयक में अधिकार देने की आवश्यकता हो उतनी दूर हमें जाना चाहिये। श्रीमन्, जब मैं आज चारों तरफ से देखता हूं समाजवाद और जनतंत्र की दुहाई तो मैं आप के द्वारा सरकार से पूछना चाहता हूं कि आखिर सरकार को क्या विरोध है इस अधिकार से? क्यों सरकार चाहती है कि यहां के सचिवालय के तमाम

[श्री राजनारायण]

कर्मचारियों की नियुक्ति का अधिकार अध्यक्ष महोदय के हाथ में न हो ? क्यों वह चाहती है कि उस पर सरकारी मुहर का लगाना लाजिमी हो ? क्यों सरकार चाहती है कि जिस तरीके से वह चाहे उस तरीके से कर्मचारियों को रखे ? अगर सरकार की यह इच्छा होती है तो क्या यह कहना इस सरकार के लिये अनुचित होगा कि यह सरकार तानाशाही प्रवृत्ति से ओतप्रोत है और जब यह कहा जायगा कि तानाशाही प्रवृत्ति से ओतप्रोत है तो मैं समझता हूं किसी को यह नहीं समझना चाहिये कि मैं अधिक कह रहा हूं। मैं कम कह रहा हूं। कहना तो अभी बहुत बाक़ी है।

श्रीमन्, जब मैं अध्यक्ष महोदय के हाथ में नियुक्ति का अधिकार देने के मत का समर्थक हूं तो अपने समर्थन में जो ब्रिटिश पार्लियामेंट में पद्धति अपनाई जाती है थोड़ा सा उसका हवाला भी देना चाहता हूं ताकि इस सदन के सम्मानित सदस्य इस बात को समझ लें कि वह ज्यादा नहीं करने जा रहे हैं। अगर अध्यक्ष के हाथ में सचिवालय की स्वतंत्रता सुरक्षित करना चाहती है यह हुकूमत या यहां के सम्मानित सदस्य तो उन्हें इसकी भी जानकारी रहनी चाहिये कि ब्रिटिश पार्लियामेंट में जहां के प्रिविलेजेज अब भी यहां के सम्मानित सदस्यों को प्राप्त हैं, वहां पर इन कर्मचारियों की क्या दशा है।

"The Clerk of the Parliament is the head of the Parliament Staff of the House appointed by the Crown by letter's patent. He must exercise his duties in person and he can only be removed from office by Sovereign by an address of the House of Lords for this purpose."

माननीय सदन के सम्मानित सदस्य देखेंगे कि अगर वहां के सचिव को जो अधिकार प्राप्त हैं उसको हटाने का अधिकार केवल हाउस आफ लार्ड्स को है। अगर हाउस आफ कामंस के बारे में देखा जायगा तो वहां के क्लर्क को हटाने का अधिकार केवल हाउस आफ कामंस को है। और कोई उसको नहीं हटा सकता। उसके लिये रेजोल्यूशन हाउस आफ कामंस को पास करना पड़ेगा, तभी उसको हटाया जा सकता है। इतने ज्यादा अधिकार बृटिश पार्लियामेंटरी पद्धति में दिये गये हैं, उनके अधिकारों का संरक्षण किया गया है और वहां के सेक्रेटरी के हाथ में है कि किस तरह से प्रोसीडिंग्स को रखा जाय, किस तरह प्रश्नों आदि की व्यवस्था की जाय, यह सब उसको अधिकार प्राप्त हैं। यही अधिकार हमारे यहां के सेक्रेटरी के हाथ में रहें तो ज्यादा अच्छा होगा। यहां तक देखा जाय कि सार्जेन्ट एट आर्म्स, स्पीकर्स डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट आफ़ सार्जेन्ट एट आर्म्स, क्लार्कस डिपार्टमेंट आदि जितने यह विभाग हैं यह सब स्वतंत्र हैं, यही सब सरकारी बंधन से मुक्त हैं, सरकारी नियंत्रण में नहीं हैं। हमारे यहां भी यही परिपाटी क्यों नहीं चलायी जाय। अगर चलायी जाय और यदि इसके लिये कोई विधेयक प्रस्तुत हो तो उसका सहर्ष स्वागत क्यों न किया जाय।

माननीय नवलकिशोर जी ने इसको प्रवर समिति में भेजने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने अच्छा किया है। जब इसमें कोई दोष हो, कोई त्रुटि हो और कमियां हों तो इनको इम्प्रूव किया जा सकता है, इसमें संशोधन किया जा सकता है, परिमार्जन किया जा सकता है। इसमें किसी को आपत्ति नहीं है और न होना चाहिये। लेकिन आपत्ति तो तब होती है जब कि सरकार की तरफ से यह कह दिया जायगा कि ऐसे विधेयक के आने की आवश्यकता नहीं है, तब आपत्ति होगी क्योंकि यह हमारे कर्तव्य की अवहेलना हो जायगी। अभी मैं माननीय पालीवाल जी के भाषण को सुन रहा था। उन्होंने बतलाया कि दिल्ली की पार्लियामेंट में किस तरह से एक नियमावली बना कर वहां के सेक्रेटरियट को स्वतंत्र कर दिया गया है। सरकारी नियंत्रण के बारे में देखा जाय तो यह बात सत्य है। मैं थोड़ा पढ़ देना चाहता हूं—

"All officers in the Secretariat shall be subject to the superintendence and control of the Speaker. The following penalties may for good and sufficient reasons be imposed on an officer."

मेरे कहने का मतलब यह है कि पनिशमेंट की अथारिटी स्पीकर माना गया है और उसी के हाथ में सारी शक्ति दी गई है, सरकार से कोई मतलब नहीं है, सरकार से नियंत्रण से वह मुक्त है। जब हमारे यहां के पार्लियामेंट में ऐसी परिपाटी चलाई जा रही है तो उसे हम उत्तर प्रदेश में चलायें तो किसी को आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

श्रीमन्, मैं ज्यादा समय लेना चाहता हूं लेकिन मैं आपके द्वारा सम्मानित सदस्यों से निवेदन करूंगा कि अगर वह इस विधेयक के विरोध में जायेंगे तो निश्चित रूप से वह बड़े अपराधी होंगे। जनतंत्र प्रणाली में बाधा डालने के लिये और जनतंत्र प्रणाली के विकास में बाधा डालने के लिये वह बड़े दोषी होंगे। इसलिये·····

श्री हुकुम सिंह—क्या हमारे दोस्त बददुआ दे सकते हैं?

श्री उपाध्यक्ष—आप अपने भाव प्रकट करें।

श्री राजनारायण—यह श्री ठाकुर हुकुम सिंह विसेन हैं। यह पहले भी मंत्री के पद पर सुशोभित थे और और अब भी हो रहे हैं। इस तरह से करीब आपको ८-१० साल हो गये हैं और इतना पार्लियामेंट का ज्ञान होने पर भी इस तरह से बोलने लगें तो आप समझ सकते हैं कि दोषी कौन है, कितने बच्चे हैं पार्लियामेंट की पद्धति की जानकारी के लिये। श्रीमन्, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहता हूं कि जो सब कुछ हुआ है और जो इस तरह का अज्ञान माननीय मंत्रिगण दिखाया करते हैं उसके भी मूल कारण में यह बात जाती है कि हमारे यहां का स्टाफ स्वतंत्र नहीं है। अगर हमारे यहां का स्टाफ स्वतंत्र रहता तो वह इनको बराबर बताता रहता। इनको कहता रहता कि तुम गलत तरीके से उठते रहते हो, गलत तरीके से प्वाइंट आफ आर्डर उठाते रहते हो। मगर ये स्टाफ के लोग तो सोचते रहते हैं कि अगर हम कुछ सिखायें तो हटा दिये जायेंगे। तो मैं, श्रीमन्, किसी को बद-दुआ नहीं दे रहा हूं। मैं तो एक तरह से दुआ ही दे रहा हूं कि अगर अक्ल ठीक हो जाय तो वह अपना भी भला करेगा और दूसरे का भी करेगा। अक्ल ठीक करने की सलाह देना बददुआ नहीं है। यह तो दुआ है। तो मैं चाहता हूं कि हमारी असेम्बली का स्टाफ सरकार के हर प्रकार के नियंत्रण से स्वतंत्र रहे और ऐसा कोई बन्धन न हो जो उनके एप्वाइन्टमेंट, प्रोमोशन और सर्विस सिक्योरिटी में बाधक बने। कहने के लिये तो बार-बार इस सदन में कह दिया जायगा कि यह स्टाफ सरकारी प्रभाव से प्रभावहीन है। लेकिन यह केवल कपोलकल्पित बात रह जायगी, कभी चरितार्थ नहीं होगी।

माननीय रामसुमेर जी ने यहां पर लिखा है कि ये अपना बजट बनायें और उसे फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजें और फाइनेंस डिपार्टमेंट चाहे तो उसको माने और न चाहे तो न माने। इस प्रकार का अर्थ उनके विधेयक से निकलता है। मैं चाहता हूं कि ऐसा भी झंझट नहीं रहना चाहिये। एक उसूल बनाया जाना चाहिये जो कि तमाम पार्लियामेंटरी पद्धतियां हैं उनको देखते हुये बनाया जाय और उस तरह का बजट बनना चाहिये। जैसे कुछ वोटेड और कुछ चार्ज्ड डिमान्ड्स होती हैं उसी तरह से इस विभाग के लिये भी अगर कोई व्यवस्था हो जाय तो क्या हर्ज है। मगर इन तमाम बातों पर बिना सोचे समझे लम्बी चौड़ी तकरीरें यहां पर हो जाती हैं और माननीय मंत्री जी कुछ न कुछ कह दिया करते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इनके लिये कुछ कह दिया करते हैं। मैं तो यह कहना चाहता हूं कि इनके लिये जितने पैसे की आवश्यकता हो उसकी पूर्ति के लिये भी मुखापेक्षी न होना पड़े। जब तक ऐसी व्यवस्था नहीं होती है तब तक कहने के लिये यह सचिवालय भले ही स्वतंत्र हो लेकिन वह बराबर सरकारी नियंत्रण से नियंत्रित होता रहता है। और सरकारी नियंत्रण से नियंत्रित होने वाला कोई भी स्टाफ जनतंत्रात्मक प्रणाली को विकसित नहीं कर सकता है, उसको कुंठित करेगा। इसलिये इस दुआ के साथ मैं माननीय मंत्री जी को कहना चाहता हूं कि उनमें सद्बुद्धि आये और वे असेम्बली के स्टाफ, सेक्रेटरी और अध्यक्ष की स्वतंत्रता को हर प्रकार से अबाधित बनाने के लिये तैयार हों।

*श्री देवकीनन्दन विभव (जिला आगरा)---उपाध्यक्ष महोदय, प्रस्तुत विधेयक की भावना से मैं पूर्णतया सहमत हूं। मैं समझता हूं कि इस तरह का विधेयक बहुत समय पूर्व सरकार के द्वारा ही इस सदन में प्रेषित किया जाना चाहिये था। माननीय पालीवाल जी ने इसे एक प्रवर समिति के सुपुर्द करने की सलाह दी है। मैं चाहता था उनके इस प्रस्ताव का समर्थन करना, परन्तु मेरा ख्याल है कि जिस तरह से यह विधेयक हमारे सामने प्रस्तुत हुआ है उसमें अनेक अपूर्णतायें हैं और वह जैसा सर्वांगीण सदन में प्रस्तुत किया जाना चाहिये था उस तरह से प्रस्तुत नहीं किया गया। मेरे ख्याल में प्रवर समिति में जाकर भी जो कुछ कमियां इसमें हैं वह शायद पूरी न हो सकेंगी। इसलिये यदि सरकार स्वयं इस बात का वादा करे कि वह शीघ्र ही एक कंप्रिहेंसिव विधेयक सदन के सामने प्रस्तुत करेगी तो मैं माननीय राम सुमेर जी को सलाह दूंगा कि वह इस विधेयक को इस समय वापस ले लें क्योंकि विधान सभा के सचिवालय के कर्मचारियों की सेवाओं के सम्बन्ध में नियमों का निर्माण एक महत्वपूर्ण विषय है। मैं जानता हूं इस प्रदेश में जनतंत्र की भावनाओं को सुरक्षित रखने और उसे उचित रूप में चलाने के लिये विधान सभा और विधान परिषद् की सचिवालयें बहुत कुछ कर सकती हैं और करती हैं। मैं तो समझता हूं कि उनके सम्बन्ध में जो भी नियम या कानून बनें वे पूर्ण और सर्वांगीण होने चाहिये और इसलिये यह आवश्यक है कि इस विधेयक को सरकार अपने ला डिपार्टमेंट से पूरी तरह से बनवा कर के इस सदन में प्रस्तुत करे।

उपाध्यक्ष महोदय, इस सदन में कुछ ऐसे मौलिक प्रश्न उपस्थित किये गये हैं जिनके सम्बन्ध में यह कहा जा सकता है कि विधेयक से विशेष सम्बन्ध उनका नहीं है। माननीय राजनारायण जी द्वारा समय-समय पर प्रजातंत्रवाद, जनतंत्रवाद और समाजवाद की जो विवेचना होती है और समय-असमय, चाहे आवश्यक हो या न हो वे कभी-कभी ऐसी बातें कह जाया करते हैं जो मेरे ख्याल से उनके सम्बन्ध में कुछ थोड़ा सा संकेत कर जाया करती हैं। आज माननीय सदस्य ने हमारे अध्यक्ष की नियुक्ति और उनकी कार्यप्रणाली के सम्बन्ध में जो कुछ बातें कहीं वह मैं समझता हूं नामुनासिब थीं। हमारे देश में और इस प्रदेश में भी जो अध्यक्ष महोदयों की परिपाटी और परम्परा समय-समय पर रही है वह अनुकरणीय है। वे स्वयं इसको स्वीकार कर रहे हैं। जिस देश में विट्ठलभाई पटेल जैसे अध्यक्ष हुये हों, जिस देश में मावलंकर जैसे अध्यक्ष हुये हों और जिस प्रदेश में श्रद्धेय टंडन जी जिनका माननीय सदस्य ने उल्लेख किया है और माननीय खेर साहब जो आज हमारे अध्यक्ष हैं इन सब ने और माननीय खेर साहब ने जो परिपाटी चलाई है और जिस तरह से सदन की कार्यवाही का संचालन किया है वह जैसा माननीय सदस्य ने कहा अनुकरणीय है और वास्तव में अनुकरणीय है। आप जानते हैं हमने अपने देश में बहुत सी परिपाटियां, जनतंत्र की परिपाटियां हाउस आफ कामन्स की प्रचलित परिपाटियों, के आधार पर कायम कीं और वहां के इतिहास को अगर हम देखें तो.....

श्री रामसेवक यादव---अध्यक्ष महोदय, सदन में कोरम नहीं है।

(घंटी बजायी गयी और गणपूर्ति होने पर सदन की कार्यवाही पुनः आरम्भ हुई।)

श्री देवकीनन्दन विभव---तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की चर्चा कर रहा था कि हाउस आफ कामंस में अध्यक्ष के अधिकारों का और उनके कर्तव्यों के सम्बन्ध में जो संघर्ष हुआ उसका एक बड़ा इतिहास हमारे सामने है। मैं आज उन सब बातों की चर्चा इस सदन में कर के यहां का समय नष्ट नहीं करना चाहता, किन्तु यह हमारी संस्कृति की मान्यता रही है, यहां देश की परम्परा रही है और गणतंत्र और जनतंत्र यहां देश में काफी पनपा है। मैं इस बात को नहीं मानता कि गणतंत्र और जनतंत्र इस देश के लिये, हमारे देश के लिये एक शासन की नयी पद्धति है। यदि हम इस देश के पुराने इतिहास को देखें तो पायेंगे कि कई हजार साल पहले भी

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

इस देश का शासन गणतांत्रिक प्रणाली के अनुसार, जनतान्त्रिक प्रणाली के अनुसार चलता रहा है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि हाउस आफ कामंस की अनेक परिपाटियां हैं और जहां तक वह हमारे देश के लिये अनुकूल हैं हम उनका अनुकरण करते हैं, लेकिन हम उनकी नकल नहीं करते हैं और मुझे खुशी है कि माननीय टंडन जी ने यह घोषणा की कि वह विधान सभा के सदस्य रहने के साथ ही कांग्रेस के एक सदस्य भी रहेंगे। उनकी यह बात दलगत राजनीति से ही संबंध रखने वाली बात नहीं थी। आज तो हम मानते हैं कि कांग्रेस केवल दलगत राजनीति की ही संस्था नहीं है।

श्री राजनारायण---गंदी दलगत राजनीति की संस्था है।

श्री देवकीनन्दन विभव---कांग्रेस के स्वर्णमय इतिहास को देख कर हम कह सकते हैं कि आज दूसरे देशों की दलगत राजनीति और पार्टियों की तुलना में कांग्रेस संस्था एक दलगत राजनीति की संस्था नहीं है बल्कि देश के चौमुही निर्माण करने की एक संस्था है। जहां यह पार्लियामेंटरी काम उसका एक अंग है वहां देश के निर्माण के कार्य से, बहुमुखी कार्यों से उसका संबंध है। तो मैं जहां इस बात को स्वीकार करता हूं.....

श्री राजनारायण---आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। श्रीमन्, क्या कोई सदस्य किसी राजनीतिक पार्टी को यह कह सकता है कि वह दल नहीं है? मैं समझता हूं यह उसका बड़ा अपमान है।

श्री उपाध्यक्ष---यह उनकी राय है। यह कोई प्वाइंट आफ आर्डर नहीं है।

श्री देवकीनन्दन विभव---माननीय राजनारायण जी यदि जो मैं कह रहा था उसकी तरफ़ ध्यान दिये होते तो वह ऐसा न कहते। मैं तो यह कह रहा था कि केवल राजनैतिक दल ही कांग्रेस नहीं है। कांग्रेस में देश के सारे अंग को निर्माण करने की एक परम्परा रही है और आज भी उस संस्था की उस परम्परा को कायम रखना चाहिये। जहां तक पार्लियामेंटेरियन और उसकी राजनीतिक हलचलों का सम्बन्ध है --- वैसे तो अध्यक्ष का सीधा सम्बन्ध उससे नहीं होना चाहिये--- परन्तु जितने भी रचनात्मक और दूसरे कार्य हैं उस संस्था के उससे उसको अलग होने की आवश्यकता नहीं है। उपाध्यक्ष महोदय, मैं उस झगड़े को सदन के सामने नहीं लाना चाहता लेकिन मुझे अफसोस हुआ जब मैंने सेवा आयोग और उसकी नियुक्ति के सम्बन्ध में माननीय राजनारायण को कुछ हलकी-फुलकी बातें कहते सुना। माननीय राजनारायण जी इस सदन में एक दल के नेता हैं और उनसे यह आशा की जाती है कि वह जो भी बात कहेंगे वह भारीभरकम बात होगी और हलकी बात नहीं होगी। आज लोक सेवा आयोग के सम्बन्ध में मैं यह दावे के साथ कह सकता हूं कि हमारे देश में लोक सेवा आयोग अन्य दूसरे देशों के मुकाबले में अधिक स्वतंत्रता के साथ कार्य करता है। मैं तो उस पर भी एतराज करता हूं जो सरकार लोक सेवा आयोग के अतिरिक्त यहां नियुक्तियां कर लेती है। मेरा ख्याल है कि हमारे लोक सेवा आयोग को पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिये कि जिस तरह से वह चाहे नियुक्तियां कर दे। ऐसी नियुक्ति सरकार को नहीं करनी चाहिये कि जो सेवा आयोग के बाहर हो। हमारे राजनारायण जी जब सेवा आयोग की आलोचना करते हैं तो मुझे दुख होता है। हमें तो अपने देश में परम्परा स्थापित करना चाहिये और हमको अपने देश में सुन्दर और स्वस्थ परिपाटी को चलाना है। जैसा कल एटली साहब ने कहा था कि विरोधी दल का कार्य केवल यह नहीं है कि सरकार अगर यह कहती है कि यहां की नियुक्ति लोक सेवा आयोग से होनी चाहिये तो उसका विरोध करे और कहे कि अध्यक्ष द्वारा होनी चाहिये और अध्यक्ष द्वारा नियुक्ति की बात कही जाय तो कहे कि लोक सेवा आयोग के द्वारा होनी चाहिये। मेरे कहने का मतलब यह है कि विरोधी दल का काम सरकार के किसी भी कार्य की आलोचना करना नहीं होना चाहिये बल्कि उसके पास देश के निर्माण करने का भी एक कार्य होना चाहिये....

श्री उपाध्यक्ष---अब माननीय सदस्य इस बिल पर आ जायं।

श्री देवकीनन्दन विभव--मैं यह इसलिये कह रहा था कि चूंकि माननीय सदस्य ने इस बात को बहुत विस्तार से उल्लेख किया था तो मैंने यह समझा कि यह अनचैलेन्ज नहीं जाने देना चाहिये। इसलिये मैंने यह कहा। मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो माननीय सदस्य सदन में बैठकर हलकी फुलकी बात कहते हैं मैं उनसे कहता हूं कि सदन अधिक पवित्र हुआ करता है और उसकी पवित्रता की रक्षा होनी चाहिये। इसलिये मेरा यह नम्र निवेदन था कि यदि सरकार यह स्वीकार करे और सदन में पूर्ण बिल रखे तो मैं श्री रामसुमेर जी से निवेदन करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें।

*श्री नारायणदत्त तिवारी (जिला नैनीताल)---श्रीमन्, मैं प्रस्तुत विधेयक का समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं और साथ ही साथ यह भी अपना कर्तव्य समझता हूं कि माननीय पालीवाल जी के संशोधन का भी समर्थन करूं। इस विधेयक के सिद्धांत उन सभी लोगों के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं जो इस प्रदेश और देश में पार्लियामेंटरी पद्धति के अनुसार प्रजातंत्र को चलाने के हामी हैं। पार्लियामेंटरी पद्धति के विभिन्न अंग और उपांग होते हैं। जहां एक ओर इसके सर्वांग विवेचन और संगठन करने का भार विविध राज्य सभाओं, परिषदों और राज्य सरकारों के ऊपर भी है, जहां एक ओर विधान को केन्द्रीय बिन्दु मानकर पार्लियामेंटरी पद्धति को विधान सभाओं, विधान परिषदों, राज्य सभा और लोक सभा द्वारा मान्यता देने का भी एक महत्व है, वहां दूसरी ओर हमें ऐसे कार्यकर्ताओं की भी आवश्यकता है जो पार्लियामेंटरी समस्याओं को विधिपूर्वक, बिना किसी दलबंदी के पचड़े में पड़े हुये एक पार्लियामेंटरी पद्धति के विशेषज्ञ के नाते हमें सलाह देते रहें। अभी मैं पिछले दिनों केन्द्रीय संसद की पार्लियामेंट्री बुलेटिन जिसे पर्लियामेंट्री जर्नल कहा जाता है, उसमें प्रकाशित एक लेख पढ़ रहा था कि पार्लियामेंट्री आफ़ीशल को किस प्रकार होना चाहिये। वह बड़ा सुन्दर लेख था और उसमें स्पष्टतः बतलाया गया था कि लोक सभा, राज्यसभा, विधान परिषद् और विधान सभाओं में काम करने वाले या इनके चेयरमैन, स्पीकर के साथ काम करने वाले कर्मचारियों में क्या गुण होने चाहियें। वह करीब ६ पेज का आर्टिकिल था और बड़ा सुन्दर था। अगर इन सब गुणों से समाविष्ट कर्मचारियों की हमको आवश्यकता है तो हम उसे इसलिये पूरा नहीं कर सकते कि वे परिस्थितियां नहीं हैं जिनमें हम ऐसे कर्मचारी प्राप्त कर सकें। यदि हमको ऐसे परिपुष्ट कर्मचारी मिलें भी तो वे आज के वातावरण में कार्य नहीं कर सकते हैं। जिस प्रकार मछली बिना पानी के नहीं जिन्दा रह सकती उसी प्रकार वे कर्मचारी आज के नियमों के अनुसार पार्लियामेंट्री पद्धति को विकसित करने में, हमको वहां पहुंचाने में सहायता नहीं दे सकते।

मैं चाहता हूं कि हम सब सभासद अपने हृदय से एक प्रश्न करें कि क्या इतने वर्षों के पार्लियामेंट्री अनुभव के बाद और इतने वर्षों तक इस देश में और प्रदेश में पार्लियामेंट्री पद्धति को विकसित करने के बाद हम एक भी गिलबर्ट कैम्पियन या अर्सकिन में पैदा कर सके हैं। जिसके लिये सब दल एक समान हो और सभी पार्लियामेंट्री पद्धति के जाननेवाला वह व्यक्ति हो जो हर समस्या पर हमें सलाह दे सके। हाउस आफ कामन्स की पावर्स, प्रिविलेजेज और इम्यूनीटीज तो हमने ले ली हैं, वहां प्रिविलेजेज कमेटी की मीटिंग्स होती हैं, यहां भी होती हैं और यहां भी बहुत से महत्वपूर्ण सवाल उसके सामने गये हैं और जाते रहेंगे, लेकिन क्या हमारी प्रिविलेजेज कमेटी के सामने साक्ष्य देने के लिये कोई क्लार्क आफ़ दि टेबिल अर्सकिन में गिलबर्ट कैम्पियन कोटि का हुआ है जो हम को सलाह दे सके? जो हमको सलाह दे सकें और उनकी सलाह ऐसी हो जिसको सभी मान सकें। जो ६०० साल की पार्लियामेंटरी पद्धति का अनुभव है उसको हृदयंगम कर लिया हो, अपने प्रदेश की स्थिति को

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

देखते हुए हृदयंगम कर लिया हो। हाउस आफ कामन्स में जो स्पीकर्स डिपार्टमेन्ट है उसके तीन हिस्से हैं। यह अवश्य है कि यहां के ढांचे में और वहां के ढांचे में बहुत फर्क है। यह मैं मानता हूं कि हाउस आफ कामन्स का ढांचा सही माने में हम इस प्रदेश में लागू नहीं कर सकते हैं। वहां की परिस्थितियां दूसरी हैं, विधान दूसरा है लेकिन सिद्धांत को हम कार्यान्वित कर सकते हैं। यहां की हालत तो यह है कि सन् ५० के कुछ छपे नियम हैं जो कभी सन् ३२, ३३ या ३७ में बनाये गये थे और उनका नाम लेजिस्लेटिव कौंसिल डिपार्टमेंट रूल्स था। अब भी वही है। असेम्बली का उस वक्त नाम भी नहीं था और आज भी असेम्बली में वही रूल लागू कर दिये गये हैं। सन् ५४ में छपी हुई लेटेस्ट कापी मेरे पास है। सन् ३२ के तीन अगस्त को जो नोटीफिकेशन निकला वह आज तक लागू है, जब केवल लेजिस्लेटिव कौंसिल थी, विधान सभा या विधान परिषद् नहीं थी। उस जमाने के पूरे नियम विधान सभा के कर्मचारियों पर आज लागू हैं।

हमारे माननीय सदस्य ऐतराज कर रहे हैं कि विधान की धाराओं के विरुद्ध यह विधेयक जाता है। मैं तो उनसे कहूंगा कि इस सदन में वे हमारा साथ दें और सरकार से पूछें कि क्या वे छोटा सा अधिनियम नहीं ला सकते थे ? अगर नहीं ला सकते थे तो सरकार के सामने कौन सी रुकावट थी कि संविधान की धारा १८७ (३) के अनुसार राज्यपाल महोदय ने यहां के कर्मचारियों के लिये नियम क्यों नहीं बनाये। आर्टिकल १८७ का उपखंड (३) इस प्रकार है—

"(3) Until provision is made by the Legislature of the State under clause (2), the Governor may, after consultation with the Speaker of the Legislative Assembly or the Chairman of the Legislative Council, as the case may be, make rules regulating the recruitment, and the conditions of service of persons appointed, to the secretarial staff of the Assembly or the Council, and any rules so made shall have effect subject to the provisions of any law made under the said clause."

यानी जब तक विधान मंडल द्वारा कोई कानून नहीं बनाया जाता है तब तक राज्यपाल महोदय विधान सभा के स्पीकर और लेजिस्लेटिव कौंसिल के चेयरमैन की सलाह से, नियम बनायेंगे जिनके आधार पर सेक्रेटेरियट के स्टाफ के लोग रक्खे जा सकें, उन शर्तों के अनुसार रक्खे जा सकें और उनकी सेवा का उपयोग उन नियमों के अनुसार किया जा सके। अब मैं पूछना चाहता हूं कि कौन सी रुकावट सरकार के सामने थी ? सन् ५१ में यह संविधान लागू हो गया, उसको आज ५ साल हो गये लेकिन वह विधान सभा के कर्मचारियों के लिये कोई नियम नहीं बना सकी और वही ३२ के नियम यहां अभी तक लागू हैं। हम सब लोग पार्लियामेंटरी पद्धति को मानने वाले क्या ऐसी परिस्थिति को बरदाश्त कर सकते हैं ? क्या हम चाहते हैं कि सन् ३२ के पुराने और दकियानूसी नियम जो पार्लियामेंटरी पद्धति को पनपने नहीं देना चाहते थे, जो यहां की विधान सभा और लेजिस्लेटिव कौंसिल को गुलामी की जंजीरों में जकड़े रहना चाहते थे, और क्या उन्हीं नियमों के द्वारा विधान मंडल के कर्मचारी आबद्ध रह कर पार्लियामेंटरी पद्धति की उन्नति कर सकें ? उसको विकसित करने में सहायक हो सकें ? इसमें जो लिखा हुआ है, क्या वे ही एक्सपर्ट के रूप में हमारे सहायक हो सकते हैं ? क्या वे ही पार्लियामेंटरी पद्धति को विकसित करने में सहायक होंगे ? यह असम्भव है। किसी भी दल विशेष को ऐसी कल्पना कभी नहीं करनी चाहिये।

हाउस आफ कामंस में भी तीन अलग-अलग विभाग हैं। एक विभाग तो कहलाता है क्लर्क आफ दि टेबिल डिपार्टमेंट। हमारे यहां जो काम विधान मंडल के सचिव करते हैं वहां वह काम तीन हिस्सों में बंटा हुआ है। एक तो स्पीकर काउन्सिल यानी स्पीकर का वकील होता है जो स्पीकर को पब्लिक और प्राइवेट बिजनेस में लीगल सलाह देता है। यहां पर स्पीकर

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

जिस तरह से लीगल रिमेम्बरेंसर या सेक्रेटरी से सलाह लेने को मजबूर होते हैं वैसा वहां नहीं होता है। इसी प्रकार से स्पीकर का सेक्रेटरी भी बिलकुल अलग होता है। जो काम हमारे यहां सेक्रेटरी लेजिस्लेचर करते हैं वही काम वहां पर 'टेबिल क्लार्क आफ दि हाउस' करता है। और उसका एपाइन्टमेंट कोई चार या पांच साल के लिये नहीं होता है बल्कि उसकी नियुक्ति तो जीवन भर के लिये होती है। और वह भी रायल चार्टर के द्वारा नियुक्ति होती है जिसका बहुत बड़ा महत्व है। क्लार्क आफ दि टेबिल के भी छोटे बड़े कई विभाग होते हैं एक तो क्लार्क आफ दि टेबिल का विभाग ही है जिसकी नियुक्ति जिन्दगी भर के लिये होती है और इसीलिये गिलबर्ट कैम्पिन और आस्किन जैसे माने हुए बड़े-बड़े पार्लियामेंटेरियन विद्वान् हुए। वहां जो क्लार्क आफ दि टेबिल होते हैं उनको कोई डगमगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता और इसीलिये वे निष्पक्ष दृष्टिकोण से जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस यह देखता है कि कानून का सही इंटरप्रिटेशन क्या है उसी प्रकार से वे भी अपनी जगह सुप्रीम रह कर यह देखते हैं कि पार्लियामेंटरी पद्धति का किस प्रकार से विनियमन हो सकता है और कैसे होना चाहिये। जो आज स्थिति हमारे यहां की है वह स्थिति वहां नहीं है। क्लार्क आफ दि टेबिल ही वहां होता है जिस तरह कि हमारे यहां सचिव है। दूसरा डिपार्टमेंट 'स्पीकर डिपार्टमेंट' होता है और तीसरा सार्जेन्ट ऐट आर्म्स डिपार्टमेंट होता है।

इस तरह से वहां देखने पर मालूम होगा कि हाउस आफ कामंस का जो क्लार्क डिपार्टमेंट है वह इतना आगे बढ़ गया है कि स्पीकर के भी मातहती में क्लार्क आफ दि टेबिल को नहीं रखा है। यह एक वहां की विशेषता है। यानी क्लार्क आफ दि टेबिल जो है वह स्पीकर के भी मातहत नहीं है। सुपरविजन में अवश्य है लेकिन वह स्पीकर के मातहत नहीं है। तो वहां के अधिकारी क्या बुरे होते हैं? आज जो यहां स्थिति है वह हाउस आफ दि कामंस में स्थिति नहीं है। यहां की स्थिति ऐसी नहीं है कि यहां पर स्पीकर काउंसेल की नियुक्ति कर लें और तीन डिपार्टमेंट अलग-अलग बना लें। सर्जेन्ट ऐट आर्म्स डिपार्टमेंट का तो कोई सवाल ही नहीं है क्योंकि अभी तक तो अधिकृत रूप से सर्जेन्ट ऐट आर्म्स की नियुक्ति ही नहीं हुई है। लेकिन इतना तो हम अवश्य कर सकते हैं कि कम से कम जो ये सन् ३२ के नियम बने हुए हैं उनको समाप्त करके कोई ऐसा विधेयक अपने यहां पारित कर सकें जिसमें यह स्पष्ट कर दें कि जो हमारे विधान मंडल के कर्मचारी हैं इनके ऊपर सुपरवीजन और कंट्रोल गवर्नर के संचालन या सारे राजनीतिक दलादल के जरिये चुनी हुई सरकार या एक्जीक्यूटिव के जरिये न हो बल्कि स्पीकर के द्वारा ही हो। यह एक सिद्धांत की बात है जिसको मानने में किसी को एतराज नहीं होगा।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी अपने भाषण में इस पर एतराज नहीं किया। लेकिन उनका एतराज यह है कि हिन्दुस्तान के और किसी प्रदेश में इस तरह की कोई चीज अभी नहीं हुई है। अब यह सोचने की बात है कि अगर हिन्दुस्तान के दूसरे प्रदेश में कोई भला काम न हो और जो कांस्टीट्यूशन के अनुसार उचित काम हो तो फिर हम क्यों न उसमें सब का नेतृत्व करें? यू० पी० ने सब जगह संस्कृति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में और राजनीति के क्षेत्र में सब का नेतृत्व किया है तो पार्लियामेंटरी पद्धति के विश्लेषण के क्षेत्र में, उस पद्धति के निरूपण के क्षेत्र में क्यों न नेतृत्व करें? क्यों न सब का मार्ग प्रदर्शन करें ताकि सभी यह देखें कि यू०पी० के लेजिस्लेचर ने वहां के कर्मचारियों को कार्यकारिणी की शक्ति से अलग करके वह शक्ति विधान मंडल के हाथ में दे दी है। यानी अध्यक्ष महोदय के हाथ में विधान सभा के हेतु और माननीय चेयरमैन के हाथ में विधान परिषद् के हेतु शक्ति दे दी गयी है। हम एक मिसाल दूसरों के लिये रखें जैसे यू० पी० ने सबसे पहले भूदान ऐक्ट पास किया और उसके बाद उसका अनुकरण दूसरे प्रदेशों ने किया। इसलिये मैं नहीं समझता कि हमारे लिये यह किस प्रकार अनुचित होगा कि हम इस प्रकार का कदम एक नई दिशा में एक प्रजातांत्रिक प्रथा का निरूपण करें? यह तो हमारे लिये केवल श्रेय की ही बात न होगी वरन् यह तो श्रेय को प्राप्त करने की बात होगी। हमारी अभिलाषा होनी चाहिये कि हम अपने राष्ट्र के उत्पादन में आगे बढ़ सकें और पूर्ण स्वतंत्र प्रेरणा से आगे बढ़ सकें।

अब आगे सवाल यह है कि इस प्रकार के विधान की अलग से आवश्यकता क्यों है ? कुछ मित्रों को आशंका है कि अगर हम अलग से इस सेक्रेटेरियट का कानून बनाते हैं तो वह संविधान के आर्टिकिल १६ के अनुसार डिसक्रिमिनेशन होगा। मैं कहता हूं कि यह डिसक्रिमिनेशन नहीं होता और अगर वह डिसक्रिमिनेशन है तो वह संविधान में मौजूद है, संविधान ने स्वयं इसको माना है और उसने भी सिविल सेक्रेटेरियट और पार्लियामेंटरी सेक्रेटेरियट दोनों को अलग-अलग विशिष्ट स्थान दिया है, अगर ऐसा न किया गया होता तो संविधान के आर्टिकिल १८७ की जो पहली उपधारा है कि:—

"The House or each House of the Legislature of a State shall have a separate Secretarial staff."

इसका अर्थ है कि विधानमंडल के जो सदन होंगे, चाहे वह एक हों या अधिक, अपना-अपना अलग सेक्रेटेरियल स्टाफ रखेंगे। अगर विधान बनाने वालों की ऐसी इच्छा न होती कि लेजिस्लेचर सेक्रेटेरियट अलग हो तो इस धारा को हम विधान में न पाते तो अब चूंकि यह संविधान में है और अलग-अलग स्टाफ का जिक्र किया गया है जो कि सिविल सेक्रेटेरिएट स्टाफ से अलग होगा इसलिये इसका होना आवश्यक है। हम इस तरह का कानून लाकर कोई डिसक्रिमिनेशन नहीं कर रहे हैं बल्कि हमें तो उस डिसमिक्रमिनेशन को दूसरे तरीके से मानना है। हमारे यहां के सेक्रेटरी या क्लर्क आफ दि टेबिल हमारे सामने हैं और वह श्रीमन्, आप के साथ बैठे हैं और इन सेक्रेटरी लेजिस्लेटिव असेम्बली को वही प्रिविलेजेज प्राप्त हैं जो आप को प्राप्त हैं और यह प्रिविलेज और एमिनिटीज जो इनको प्राप्त हैं वह सदन में सेक्रेटरी इरीगेशन को, मिसाल के तौर पर, प्राप्त नहीं हैं। अगर उनको यहां बैठना होता है तो वह आउट साइडर की तरह गेलरी ही में बैठ सकते हैं, उनको अगर हम यहां बैठने से रोक दें तो कोई ब्रीच आफ प्रिविलेज नहीं होगा, लेकिन अगर हम यहां असेम्बली के सेक्रेटरी को रोक दें तो वह ब्रीच आफ प्रिवलेज हो जायगा, उनको रोकने ही पर क्या, अगर हम एक यहां के चपरासी को भी यहां का कार्य संचालन न करने दें या रोकें तो ब्रीच आफ प्रिविलेज हो जायगा। तो यहां के चपरासी को भी वह प्रिवलेज प्राप्त हैं जो किसी हेड आफ दि डिपार्टमेंट को भी प्राप्त नहीं हैं क्योंकि वह इस सदन का ही एक अंग है, इस कारण यह डिस्क्रिमिनेशन है। ऐसा हाउस आफ कामन्स में भी है और इसलिये उनकी अलग प्रिवलेज और एमिनिटीज की श्रेणी हैं।

इस तरह के अधिकार यहां के कर्मचारियों को देना प्रजातांत्रिक प्रणाली में आवश्यक है क्योंकि उनका एक विशेष उत्तरदायित्व भी है, उनके सहयोग के बिना यहां का कार्य नहीं चल सकता। अगर सुबह को हमारी मेजों पर एजेंडा न हो तो प्रश्नोत्तर चल ही नहीं सकता। इसलिये उनके अधिकार हम से और इस सदन से ही सम्बन्धित हैं, उनके भी हमारी तरह विशिष्ट कर्तव्य हैं, उनके भाग्य के साथहमारी विधान सभा की प्रगति का भाग्य जुड़ा है, इस दृष्टिकोण से हमें इस प्रश्न को देखना है और उनको ऐसी सुविधायें प्रदान करना है जो अन्ततोगत्वा हमारी ही सुविधायें मानी जायंगी। इसमें डिसक्रिमिनेशन का कोई सवाल नहीं है। डिसक्रिमिनेशन तो एमिनिटीज, प्रिविलेजेज और कांस्टीट्यूशनल प्रिविलेजेज सब में है। हमारे सामने लोक-सभा के सेक्रेटेरियट के नियम भी हैं। लोक सभा में भी प्रेसीडेंट महोदय ने आर्टिकिल ९८ की धारा के अनुसार कुछ नियम बना दिये हैं। और उन नियमों में बिलकुल अलग कर दिया है और एक्जिक्यूटिव से पावर को हटा कर स्पीकर के हाथ में सारी सत्ता दे दी गई है। मेथड आफ रेक्रूटमेंट जो है, क्वालिफिकेशन फार रेक्रूटमेंट जो हैं या एप्वाइंटिंग अथारिटी जो है इसको नियम ५ में देख लीजिये जो इस प्रकार है:—

"The qualifications for recuitment to any post or class of posts shall be such as the Speaker may, from time to time, by general or special order specify."

तो लोक सभा में भी बिल्कुल इसी प्रकार इस विधेयक में लिखा गया है, वही रेक्रूमेंट की शर्तें हैं जो हमारे इस विधेयक में हैं कि स्पीकर महोदय तै करेंगे कि क्या क्वालिफिकेशंस होना चाहिये।

[श्री नारायणदत्त तिवारी]

हमारी क्वालिफिकेशंस कुछ दूसरी प्रकार की होती हैं और अगर कोई व्यक्ति ऐसा मिलता है जिसे 'प्रेज पार्लियामेंटरी प्रेक्टिस' का अच्छा ज्ञान हो वह हमारे लिये विशेष क्वालिफिकेशन रखता है बजाय ऐसे व्यक्ति के जिसने अभी तक यह भी न देखा हो कि पार्लियामेंट और असेम्बली क्या है। एप्वाइंटिंग अथारिटी के सम्बन्ध में नियम ६ लोक सभा का देखिये :—

"All appointments to posts shall be made by the Speaker : provided that the Speaker may, by a general or special order, delegate to the Secretary or any other officer of the Secretariat his power to make appointments to any post or class of posts specified in such order, being posts other than posts in class I."

तो लोक सभा में भी नियमों के अनुसार अब सब नियुक्तियां स्पीकर महोदय करते हैं और अगर स्पीकर महोदय चाहें तो वह अधिकार डेलीगेट कर सकते हैं सेक्रेटरी महोदय को या किसी दूसरे आफिसर को। मैं यह समझता हूं कि हममें से किसी को आपत्ति न होना चाहिये कि जो नियम लोक सभा में स्वीकार कर लिये गये हैं उनको इस विधान सभा या विधान मंडल में क्यों न स्वीकार कर लें।

एक बात और भी है। यह कहा गया कि इसमें पब्लिक सर्विस कमीशन या वेतन-क्रम, ये तमाम बातें जो लिखी गई हैं वे इस विधेयक में नहीं होनी चाहिये। एक बात में मुझे भी आशंका है, प्रवर समिति में जब यह विधेयक जायगा तो वहां मामले का शायद निराकरण हो जायगा। इस विधेयक में लिखा है कि लोक सेवा आयोग में किसी प्रतिनिधि को, किसी सदस्य को नियुक्त कर सकेंगे इस सम्बन्ध में माननीय नवल किशोर जी से मैं सहमत हूं कि शायद यह विधान के विरुद्ध हो जायगा। हम स्वतः पब्लिक सर्विस कमीशन के हेतु शायद कोई मेम्बर नियुक्त नहीं कर सकते। मेम्बर की नियुक्ति गवर्नर कर सकता है और किसी ऐक्ट के द्वारा हाउस पब्लिक सर्विस कमीशन के मेम्बर की नियुक्ति नहीं कर सकता। दूसरी बात यह भी है कि लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जायगा कि किन मामलों में परामर्श नहीं लिया जायगा। इसके सम्बन्ध में गवर्नर महोदय ही नियम बना सकते हैं या फिर विधान में परिवर्तन हो सकता है। लेकिन विधान की धारा ३२० का जो प्रथम प्रतिबन्धात्मक वाक्य है उपधारा ३ का उसमें केवल गवर्नर महोदय को अधिकार है कि वे फंक्शंस ऐंड रेगुलेशंस के द्वारा यह निश्चय करें कि किस संबंध में नियम बनेंगे और किस सम्बन्ध में नियम नहीं बनेंगे, यह वैधानिक प्रश्न है। इसको हम प्रवर समिति में भेज कर वहां तै कर सकते हैं कि किस प्रकार से इस प्रश्न का हल निकाला जा सकता है, लेकिन सिवा इसके मैं कोई भी कारण नहीं देखता कि हम इस विधेयक को क्यों न पास करें।

इस विधेयक के द्वारा कोई नया विभाग खुलने वाला भी नहीं है और न विभाग बढ़ने वाला ही है। कोई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ने वाली नहीं है और न किसी कर्मचारी को एकदम तनख्वाह ही बढ़ने वाली है। यह सब पहले से मौजूद है। योग्य से योग्य जो कर्मचारी मिल सकते हैं वह मौजूद हैं, जो ईमानदारी से अपने काम को निभाने की चेष्टा कर रहे हैं। खर्चा बजट में मौजूद ही है। केवल हमें यह करना है कि हम विधान में उनके अधिकारों को नियमानुकूल सुरक्षित कर दें, अधिनियम के अनुसार उन्हें प्रतिष्ठापित कर दें और अपने हाथ से उनका कंट्रोल छोड़ कर —मेरा अर्थ सरकार के विभाग के हाथ से छोड़ कर है— अध्यक्ष महोदय के हाथ में छोड़ दें। आखिर अध्यक्ष महोदय हमारे द्वारा चुने जाते हैं और जब एक बार हम जिस व्यक्ति को अध्यक्ष बना देते हैं उनको इस सदन का मान व प्रतिष्ठा केन्द्र बिन्दु मानते हैं। अगर अध्यक्ष महोदय के हाथ में एक शक्ति देते हैं और इतनी बड़ी शक्ति उनके हाथ में देते हैं, इस सदन की प्रतिष्ठा, मान मर्यादा सब अध्यक्ष महोदय के

हाथ में होती है तो अगर उनका पार्लियामेंटरी विभाग उनके ही सुपुर्द कर दें तो हममें से किसी व्यक्ति को आपत्ति नहीं होनी चाहिये और ऐसी सरकार को तो सब से कम आपत्ति होनी चाहिये। वह सरकार जो अपने को प्रजातांत्रिक कहती है, वह सरकार जो कांग्रेस पार्टी के उद्देश्यों से ओतप्रोत अपने को कहती है उस पार्टी की सरकार को इस विधेयक के प्रति कोई विरोध नहीं होना चाहिये और मुझे विश्वास है कि माननीय हुकुम सिंह आज यहां बैठे हुए हैं, वह पुराने पार्लियामेंटेरियन हैं, प्रदेश में उनकी एक प्रतिष्ठा है, वह समय की पुकार सुनेंगे और एक कदम आगे बढ़ा कर इस विधेयक को स्वीकार कर, माननीय पालीवाल जी के संशोधन को स्वीकार कर अपनी प्रतिष्ठा में चार चांद लगायेंगे और देश को नेतृत्व प्रदान करेंगे कि उत्तर प्रदेश में पार्लियामेंट पद्धति उगी, बढ़ी और उत्तर प्रदेश ने ही हमारे देश में एक ऐसा नक्शा खींचा जिससे पार्लियामेंटरी पद्धति अधिक परिस्फुटित हुई और अधिक प्रतिष्ठा भी उसने पायी।

श्री शिवनारायण (जिला बस्ती)—उपाध्यक्ष महोदय, यह जो बिल रामसुमेर जी ने उपस्थित किया है, उसके जो विचार हैं अत्यन्त सुन्दर हैं। प्रत्येक सदस्य जो इस सदन में बैठता है उसका आदर माननीय स्पीकर और माननीय डिप्टी स्पीकर के प्रति रहता है। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस ऐडमिनिस्ट्रेशन के कीचड़ में अपने स्पीकर को नहीं खींचना चाहता हूं, डिप्टी स्पीकर को नहीं खींचना चाहता हूं। हमारी सरकार इधर बैठी है। लेकिन हमारे माननीय स्पीकर ऊंचे बैठते हैं। हमारे पार्लियामेंट के अध्यक्ष श्रेष्ठ हैं। वह ऐडमिनिस्ट्रेशन में दखल नहीं देते। इसलिए स्पीकर न्यूट्रल होता है। हमारे विरोधी पार्टी के लोगों ने भी यह भावना प्रगट की कि अगर अध्यक्ष स्वतंत्र रूप से सदैव के लिए मुकर्रर हो जाय तो अधिक उत्तम है। मैं भी मानता हूं कि हमारा अध्यक्ष स्वतंत्र हो।

मैं माननीय तिवारी जी का बड़ा आभारी हूं कि उन्होंने कहा कि इसमें डिफेक्ट है और उसको अमेंड होना है। इस बिल में उन्होंने एक जगह नाम लिया है कि इस संविधान का तात्पर्य भारत के संविधान से है। तो भारत के संविधान की सोलहवें और तेरहवें आर्टिकिल की दूसरी धारा मिला कर किसी भी नागरिक को हम रोक नहीं सकते हैं। प्रत्येक को एक भावना से देखा जाता है। सब का प्रधान गवर्नर है। सब लोग गवर्नमेंट सर्विस में माने जाते हैं। सेक्रेटेरिएट के नौकर अलग कर दिये जायं और बकिया लोगों को अलग कर दिया जाय, या इसी सेक्रेटेरियट में कोई ब्रिलिएंट से ब्रिलिएंट आदमी मिल जाय तो हम कलेक्टरी में भेज सकते हैं, गवर्नर का चार्ज दे सकते हैं। त्रिपाठी जी कहते हैं कि जीवन भर के लिये एक आदमी मुकर्रर कर दिया जाय। अगर वह ब्रिलिएंट हो और फर्स्ट क्लास कर ले और ज्यादा लायक हो और बढ़िया ऐडमिनिस्ट्रेशन चला सके तो उसको गवर्नमेंट उससे अच्छी जगह पर भेज सकती है। उत्तर प्रदेश के लोग अगुवा हो जायं। उत्तर प्रदेश वाकई अगुवा है। उत्तर प्रदेश के प्रधान मंत्री हैं। उत्तर प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं। वह ऊंचे से ऊंचे दिमाग के लोग हैं। मैं चाहता था कि यह बिल पेश न होता। हमारे माननीय वयोवृद्ध नेता जो एक्स फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी कहा कि इसको सेलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय। आज कहना चाहिये था कि इसी हाउस में पास कर दो तो मैं समझता कि वाकई बहुत सुन्दर है। लेकिन मैं समझता हूं कि इसमें दोष है और इसको दूर करना है। ऐसा न हो कि हमारी आप की बदनामी हो और लोग कहें कि इस विधान सभा के स्पीकर को पूरा अधिकार देने के लिये ऐसा जेग विधेयक पास कर दिया। ऐसे-ऐसे विद्वान् और पार्लियामेंटेरियन बैठे थे उनसे ऐसी गलती हो गयी।

मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूं। मैं चाहता हूं कि स्पीकर को अधिकार दिया जाय। लेकिन एक आदर्श हमारे सामने होता है। संसार अनुकरणशील है। इंग्लैन्ड की पार्लियामेंट इतने वर्षों से डेमोक्रेसी चला रही है, उन से भी हमने लिया है, और अमेरिकन कांस्टीट्यूशन सब को मिला कर भारत का कांस्टीट्यूशन बना है। सबका निचोड़ हमारा संविधान है।

कल अर्ल ऐटली साहब इस हाउस में भी आये और हमारे मध्य में बोले भी और हमारा सौभाग्य था कि उनका दर्शन हुआ और उनके विचार सुनने को मिले। उन्होंने बताया कि

[श्री शिवनारायण]

डेमोक्रेसी बड़ी मुश्किल गवर्नमेंट है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट चलाना आसान नहीं है। मैं देखता हूं कि हम ऐसी गलती न कर बैठें जिससे कोई हमारे ऊपर उंगली उठाये। इसलिये उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपकी इजाजत से कहना चाहता हूं कि राम सुमेर जी अगर इसको वापस कर लें तो अच्छा रहेगा और एक सुन्दर बिल फिर यहां आवे। मेरी समझ में नहीं आता कि जब इसमें यह लिखा हुआ है कि कोई मामला पब्लिक सर्विस कमीशन को भेजा जाय तो स्पीकर की क्या मर्यादा रह जायगी। गवर्नमेंट के कन्सल्टेशन से काम किया जाय, गवर्नर इज दी हेड आफ दि स्टेट, तो जब आप गवर्नर से सम्बन्ध रखेंगे, फाइनेंस में अपना बजट भेजेंगे तो यह कैसी बात है, समझ में नहीं आती। मैं तो चाहता हूं कि कुल का मालिक स्पीकर रहे। अगर दुनियां में कहीं ऐसा ट्रेडीशन हो तो क्यों न इसको रखा जाय। हम ऐसा काम करें जिससे दुनियां में हमारा नाम हो। यह न हो कि कोई गलत काम कर जायं और हमारी हंसी हो। तो काम सामयिक हो।

दूसरी बात, पिछले सप्ताह माननीय मुख्य मंत्री जी ने भी कही थी कि आप बजट कैसे पेश करेंगे? आखिर प्रदेश का एक ही बजट तो होगा। तो आप सेपरेट बजट कहां से बनावेंगे, यह मैं जानना चाहता हूं? किसी ने इस बात को नहीं बताया। आपको तो यह भी बताना चाहिये, कान्क्रीट डिस्कशन होना चाहिये जिससे हम आपके बिल को सही माने में मान लें। तो उपाध्यक्ष महोदय, मैं तो बड़ा आभारी हूं आपका, आपने अवसर दिया कि मैं भी अपने टूटे फूटे विचार रख सकूं। मैं स्पीकर और डिप्टी स्पीकर की इज्जत सर्वमान्य समझता हूं और सब जगह ऐसा ही माना जाता है। तो मैं नहीं चाहता कि उनको इस कीचड़ में फंसायें। अगर और लोग चाहते हैं तो मैं इस पक्ष का नहीं हूं। इन शब्दों के साथ मैं निवेदन करूंगा कि वे सोचें और समझें। माननीय पालीवाल जी ने कहा कि ४ नवम्बर तक प्रवर समिति अपनी रिपोर्ट दे दे। अब असेम्बली उठने वाली है, फिर उधर दिवाली की छुट्टियां हैं सब लोग चले जायेंगे। कोई लम्बी डेट देनी चाहिये थी तो भी समझ में आता। मैं तो चाहता हूं कि ऐसा बिल इस हाउस से पास हो जिससे सब की इज्जत हो और मैं पुनः राम सुमेर जी से कहना चाहता हूं कि इंडियन कांस्टीट्यूशन की रेस्पेक्ट करते हैं, जैसा कहा तो फिर उस विधान के विरुद्ध हमको एक इंच नहीं चलना है। इसलिये मैं चाहूंगा कि वह इसको वापस ले लें।

श्री नौरंगलाल (जिला बरेली)—माननीय उपाध्यक्ष महोदय, यह जो सदन के सामने विधेयक प्रस्तुत है मैंने इसके उद्देश्य को पढ़ा। तो उद्देश्य को पढ़ने से और इसके बाद माननीय नारायणदत्त तिवारी जी की जो तकरीर हुई उसको भी गौर से सुना तो मुझे ऐसा प्रतीत हुआ कि यह जो विधेयक प्रस्तुत किया जा रहा है उसमें वह ऐसा प्लीड कर रहे हैं कि कोई फार्मल सी कार्यवाही है जिसको हमको कर देना चाहिये। ऐसा मालूम होता है दो, तीन स्पीकर्स को छोड़ कर के बाकी जिन लोगों ने इस विधेयक की सिफारिश की है उनमें से कुछ ने बड़े जोश के साथ इसको रखा। उनका विचार ऐसा प्रतीत होता है कि वैसे गड़बड़ तो नहीं है, काम भी ठीक चल रहा है, कोई खास नुक्सान भी नहीं हो रहा है लेकिन चूंकि एक ऐसी प्रथा है डेमोक्रेटिक तो उसको क्यों न अपनाया जाय? इसलिये इस प्रथा को अपने प्रदेश में भी लागू कर देना चाहिये और जहां पर कि गवर्नमेंट शब्द है वहां पर स्पीकर को सब्सटीट्यूट कर देना चाहिये क्योंकि माननीय नारायणदत्त जी ने तो इसको स्पष्ट कर दिया कि सिर्फ इतना ही चेंज है, मूल चेन्ज इसे हम कह सकते हैं और यह फार्मल सा है। इससे हम डेमोक्रेटिक ट्रेडीशंस को अपने यहां अख्तियार करेंगे और एक डिफेक्ट सा जो है वह दूर हो जायगा। और यह इससे भी प्रतीत होता है कि जो उद्देश्य है उस उद्देश्य में भी यह शिकायत नहीं की गई है कि सरकार ने कोई गलत काम किया, सरकार ने कोई पश्चाताप किया। सरकार पर कोई आक्षेप नहीं लगाया गया और न ही प्रेजेंट ऐडमिनिस्ट्रेशन जो है उसके खिलाफ़ कोई आवाज उठाई गई और न उससे कोई असन्तोष प्रकट किया गया है। केवल उद्देश्य में यह शब्द हैं कि हम यह चाहते हैं कि चूंकि

कांस्टीट्यूशन में यह माना है कि हर एक विधान सभा को यह अधिकार है कि वह अपने अपने लिए इस तरह का बिल पास करें, छः वर्ष तक हम सोते रहे, हमने नहीं पास किया, अब हमें अपने अधिकार को देखना चाहिये और इसे पास करना चाहिये। इसलिये एक फार्मल कार्यवाही करने के लिये यह बिल प्रस्तुत है। तो यह तो जिन्होंने इस बिल को प्रस्तुत किया और माननीय नारायण दत्त जी ने जिन्होंने कि इसका समर्थन किया उनकी स्पीचेज से हमें पता लगा। साथ ही साथ एक प्रस्ताव यह भी है कि इस बिल को सेलेक्ट कमेटी के सामने भेज देना चाहिये। सेलेक्ट कमेटी के सामने बिल भेजने के लिये तभी प्रस्ताव आता है जब कि हम यह देखते हैं कि जो मूल धारायें हैं उनमें परिवर्तन न होगा बल्कि जो धारायें प्रस्तुत हैं सदन के सामने उन्हीं में थोड़ा बहुत काट-छांट कर के हम अपना काम चला लेंगे। तो यदि कोई ऐसा कहे कि जो मूल धारायें हैं उन्हीं को काट-छांट करके हम अपना काम चला सकते हैं और उसी से हम ऐक्ट को सुधार सकते हैं तो माननीय पालीवाल जी का जो संशोधन है उसे सदन को मान लेना चाहिये। तो यह दो चीजें सदन के सामने प्रस्तुत हैं।

एक तीसरी विचारधारा भी, अध्यक्ष महोदय, सदन के सामने प्रस्तुत है। यह माननीय राजनारायण जी की थी। वह सभी बातों को ऐसा प्रतीत हुआ सपोर्ट कर रहे थे, बिल को भी सपोर्ट कर रहे थे, माननीय पालीवाल जी को भी सपोर्ट कर रहे थे और जो चीज भी इन दोनों के विरुद्ध कही गई हो वह उसका विरोध कर रहे थे। मैं माननीय राजनारायण जी से निवेदन करना चाहता हूं, अगर वह हों। उन्होंने क्लीमेंट एटली की स्पीच को बहुत कोट किया है और उसकी चर्चा भी बहुत की है हालांकि उसकी बहुत आवश्यकता नहीं थी, लेकिन एक चीज को वह भूल गये जो कि माननीय राजनारायण जी से मैं कहना चाहता हूं। अगर वह यहां न हों, तो बाहर सुनें। वह यह कि एटली ने एक बड़े जोर की बात कही थी और वह बात यह थी जो कि अंग्रेजी में है, वह भी सुन रहे थे —दी एसेंस आफ डेमोक्रेसी इज टालरेंस। सहिष्णुता जो है वह डेमोक्रेसी के लिए बहुत आवश्यक है। तो मैं नहीं समझ सकता कि सदन के सामने अध्यक्ष महोदय, जिस समय कि हम किसी को बेईमान कहें, बदमाश कहें, तरह-तरह की गालियां दें, तो वह सहिष्णुता हो सकती है कि नहीं हो सकती है। तो यह तो दूसरी बात रही लेकिन चूंकि माननीय राजनारायण जी ने उनके व्याख्यान को बड़ा प्रभावशाली बताते हुए और उसको अनुकरणीय भी बतलाया था, तो इतना मैं उनसे निवेदन करूंगा कि कम से कम जो उनका भाव था, जो उसका एसेंस था उसको तो मान लें कि जिस वक्त हम सदन के सामने बात कहते हैं उस वक्त कटु आलोचना भी करें तो भी सहिष्णुता के साथ, सहिष्णुता केवल गवर्नमेंट के लिये ही नहीं, बल्कि अपोजीशन के लिये भी है और प्रत्येक मेम्बर के लिये है। यह तो बाई दि वे बात थी जो कि अध्यक्ष महोदय, मैंने सदन के सामने प्रस्तुत की।

एक और उन्होंने थोड़ा सा आक्षेप किया था। मैं तो समझता हूं उन्होंने बिलकुल समझा ही नहीं उस केस को और एक वकील होते हुये मैं नहीं समझता हूं कि वह किस तरह से उस चीज को समझे। माननीय नवल किशोर जी ने उस प्वाइंट को रखा था और 'देयर वाज एलाट आफ़ सेंस इन इट'। लेकिन वह समझे ही नहीं। उन्होंने यह प्वाइंट रखा था कि इस बिल के अन्दर एक डिफेक्ट है, वह यह है कि इसमें यह लिखा हुआ है कि जो प्राविंस का पब्लिक सर्विस कमीशन है वह सर्विस की नियुक्ति नहीं करेगा, केवल सिफारिश करेगा। इस पर उन्होंने यह शंका प्रकट की थी कि सिफारिश से काम नहीं चलता। रेकमेंडेशन के मानी तो यह हैं कि अगर पब्लिक सर्विस कमीशन किसी आदमी का नाम रेकमेंड करता है और सरकार या स्पीकर उसको मंजूर नहीं करता तो स्पीकर या सरकार बाध्य नहीं है उसको मानने के लिये। इसलिये उन्होंने यह कहा था कि सिफारिश को काट कर यहां पर नियुक्ति और डिस्मिसल होना चाहिये। यह उनका प्वाइंट था और इसमें सेंस भी था। इसलिये कि जिस वक्त कि हम एक पैरेलल तैयार करते हैं सरकार से और अपने ऐडमिनिस्ट्रेशन से, तो हमें जरूर समझना चाहिये कि हमारे यहां चीफ़ मिनिस्टर और मिनिस्टर्स हैं और दो चीजें डिमो-

[श्री नोरंगलाल]

कैसी में हमेशा देखी जाती है वह यह कि कंट्रोल तो होना चाहिये सरकार का, जो कि पोलिटिकल सरकार है, उस की विश और ख्वाहिश पब्लिक सर्विस कमीशन माने और कंट्रोल और नियंत्रण को मानना चाहिये, लेकिन सर्विसेज के लिये अध्यक्ष महोदय, इतनी सेफ्टी अवश्य होनी चाहिये कि जहां पब्लिक बिल की जगह कोई मिनिस्टर या उच्च अधिकारी अपनी परसनल बिल को सब्सीटीट्यूट कर दे और पब्लिक सर्विस उस को बुरा समझती है तो वह बाध्य न हो उसके आर्डर को मानने के लिये और उसमें इतनी ताक़त होनी चाहिये यह कहने के लिये कि "दिस इज नाट अकार्डिंग टु ला" हम इस आर्डर को मानने के लिये तैयार नहीं हैं। ऐसी हिम्मत होनी चाहिये। अगर ऐसा नहीं होगा तब तो शक्ति की हुकूमत हो जायगी और चाहे वह शक्ति की हुकूमत तीन वर्ष की हो या पांच वर्ष की हो, वह बुरी चीज होती है। इसलिये हर डिमोक्रेसी में पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में नियुक्ति हुआ करती है। जब मिनिस्टर के लिये पब्लिक सर्विस कमीशन के यहां से नियुक्तियां हो कर आती हैं तब एक स्पीकर के लिये भी वही अधिकार होना चाहिये जो कि चीफ मिनिस्टर को है और एक मिनिस्टर को है।

हम नहीं समझते कि इस तरीके से कोई भी अध्यक्ष अपने हाथ में सर्वसत्ता अप्वाइंटमेंट और डिस्मिसल की, ऐडमिनिस्ट्रेशन की, कंट्रोल की, नियंत्रण की, सब की सब अपने हाथ में ले ले। इसके लेने से फिर वही बाधा उत्पन्न होगी कि फेवरिटिज्म और नेपोटिज्म आ सकता है। व्यक्ति कितना भी अच्छा क्यों न हो, लेकिन जहां पावर होती है वहां करप्शन होता है, "मोर पावर, मोर करप्शन", जहां पर कोई ला का नियंत्रण न हो। इसलिये इस प्वाइंट को माननीय नवल किशोर जी ने रखा था। हमें इस पैरेलल को नहीं भूलना चाहिये जो मिनिस्टर और स्पीकर का है। जो मिनिस्टर्स का सर्विसेज से ताल्लुक है वही स्पीकर का अपनी सर्विसेज से होना चाहिये, इसमें अन्तर नहीं होना चाहिये। अगर हम अन्तर करते हैं तो हम कम से कम छोटे दायरे में स्पीकर को किंग की पदवी देते हैं। इसलिये यह प्वाइंट रखा था कि हम अपने प्रदेश में कोई डेस्पाटिज्म न लायें और स्पीकर को भी वही ताक़त दें जोकि हमने अपने चीफ़ मिनिस्टर को दी है इसलिये इसमें कहा गया था कि इस कानून में यह डिफेक्ट है कि इसमें शब्द "नियुक्ति" नहीं है, बल्कि "सिफारिश" है। इसलिये कहा था कि यह बिल डिफ़ेक्टिव है और इससे डेस्पाटिज्म के बढ़ने का अन्देशा पैदा होता है। माननीय राजनारायण जी ने इस प्वाइंट को शायद समझा या नहीं। वह नहीं समझे कि वह सोशलिस्ट पार्टी के नेता होते हुये भी और डिमाक्रेसी का शोर मचाते हुये भी उसकी जगह इस प्रदेश के अन्दर पुराने जमाने का फ्यूडेलिज्म और तानाशाही को ला रहे हैं। कहना तो चाहते थे बड़ी भारी दूर की बात लेकिन कह गये दो हजार वर्ष पूर्व की बात, यह मेरी समझ में नहीं आया। अगर वह यहां हों और वह इस चीज को समझने की कोशिश करें तो बड़ा अच्छा होगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि अपनी भूल को कभी भी मानने में कोई गल्ती नहीं होती है बल्कि उससे अपना सम्मान होता है। इसलिये मैं बड़ी नम्रता के साथ निवेदन करूंगा कि वह अपनी भूल को स्वीकार करें। वह बात कह गये। स्पीकर चाहे कितना ही अच्छा हो। यह सवाल किसी टंडन का नहीं है, खेर का नहीं है, मावलंकर का नहीं है और विट्ठल भाई पटेल का नहीं है, बल्कि यह तो उसूल का सवाल है, प्रिंसिपल का सवाल है। इसमें एक दफा यदि शक्ति दे देते हैं "देन यू पार्ट फार पावर फार ऐवर ऐंड ऐवर" तो यह गल्ती हो जायगी। हमें किसी के चमत्कार में आकर, किसी के रोब में आकर, गलत बात नहीं कहना चाहिये।

हमें साफ कहना चाहिये कि जब हम कोई शक्ति अपने चीफ मिनिस्टर को नहीं दे सकते हैं तो अपने स्पीकर के लिये भी वह शक्ति नहीं दे सकते हैं। जो शक्ति हम चीफ मिनिस्टर को दे सकते हैं वह स्पीकर को दे सकते हैं। लेकिन इस कानून में गल्ती थी जिसके सम्बन्ध में पहले संकेत भी किया गया और वह नियुक्ति के सम्बन्ध में थी। नियुक्तियों का जहां तक सम्बन्ध है वह पब्लिक सर्विस कमीशन को मिलना चाहिये, डिसमिसल्स भी पब्लिक सर्विस कमीशन को मिलने

चाहिये और सर्विसेज का नियंत्रण स्पीकर को रहना चाहिये क्योंकि इस बिल में यह स्पष्ट नहीं होता था और यह इस बिल में बड़ी भारी कमी थी, इसीलिये यह प्वाइंट नौकरियों के बारे में कहा गया था।

अब इसके पश्चात् जहां तक विधेयक का सम्बन्ध है जो इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है, उसके सम्बन्ध में मैं अपने विचार माननीय सदस्यों के सामने, प्रगट कर देना चाहता हूं। (एक सदस्य---श्री राजनारायण जी आगये) मैं राजनारायण जी की इज्जत करता हूं और मुझे बड़ी खुशी हुई कि उन्होंने कहा कि हर शख्स को चाहिये कि वह अपनी गल्ती को स्वीकार करे। उन्होंने बड़ी रीजनेबिल बात कही और मैं समझता हूं कि राजनारायण जी इस बात को तस्लीम करेंगे कि देश में किसी तरह का डिस्पोटिज्म नहीं होना चाहिये। अब जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है और जहां तक इसके सिद्धांत का सम्बन्ध है, मैं इस बात को मानने के लिये तैयार हूं और मैं समझता हूं कि कोई भी इससे डिसएग्री नहीं करता है कि यह उसूल ठीक है, यह सिद्धांत ठीक है कि जो स्पीकर है उसको स्वतंत्र रखा जाय, उसके नीचे जो कार्यालय है उसे भी स्वतंत्र रखा जाय और सदन भी स्वतंत्र हो इसी में सभी का कल्याण है।

एक प्वाइंट और है जिसको मैं पहले कह देना चाहता हूं कि जहां हम लोग इस बात पर जोर देते हैं कि विधान सभा का सचिवालय स्पीकर के नियंत्रण में रहना चाहिये और उस पर सरकार का कोई बंधन न रहे उसमें थोड़ा सा ऐटली का सिद्धांत भी आता है कि हमें टालरेंस के लिये जाना पड़ेगा। जहां तक स्पीकर की बात है हमें बहुत ज्यादा टालरेंस से काम लेना पड़ेगा। यह आजकल टेकेन फार ग्रांटेड है कि हम स्पीकर को क्रिटिसाइज नहीं करते हैं, स्पीकर की आलोचना नहीं करते हैं और जो स्पीकर की रूलिंग होती है वह हमारे लिये ब्रह्म वाक्य होती है। लेकिन जब बजट का सवाल आयगा तो इतनी तो हमें स्पीकर के प्रति कर्टसी करनी पड़ेगी कि जो स्पीकर के मातहत डिपार्टमेंट्स हैं और जितना रुपया उनके लिये चाहिये उनकी आलोचना नहीं कर सकते हैं। जहां हम स्पीकर को इज्जत देते हैं, इतनी रेस्पेक्ट उसकी करते हैं तो कोई भी कार्य जो स्पीकर से संबंधित हो, जिसका वास्ता स्पीकर से हो, चाहे वह डिसक्रीशन पावर के जरिये हो, चाहे परामर्श के जरिये हो, उसके ऊपर हमारा आक्षेप करना, उसके ऊपर हमारा हमला करना न्याययुक्त नहीं होगा। इतना हममें टौलरेंस होना चाहिये। जब हम स्पीकर को इम्यूनिटी देते हैं तो उसके कार्यालय को भी इम्यूनिटी देनी पड़ेगी।

(इस समय ४ बजकर २२ मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए।)

उसके खिलाफ कोई कटु आलोचना नहीं करनी पड़ेगी, यह भी हमारा एक ट्रेडीशन होगा, यह भी हमारा एक कंवेन्शन होगा जिसको सदन में भी हमें लगाना पड़ेगा। इसके लिये शायद बहुत से मेम्बर तैयार नहीं होंगे। यह चीज अच्छी नहीं है तो यह परिस्थिति उत्पन्न हो जायगी। इसलिये जैसा मैंने निवेदन किया, अध्यक्ष महोदय, जहां तक इस विधेयक के मूल सिद्धांत का सम्बन्ध है उसमें हमको कोई भी मुखालिफत नहीं है। हम चाहते हैं कि इस तरह का बिल सदन के सामने आये। हम यह भी चाहते हैं कि ऐसा बिल पास हो। लेकिन जो विधेयक इस समय सदन के सामने प्रस्तुत है यदि इसको प्रवर समिति के सामने भेज दिया जाय तब मेरी शंका यह है कि इसमें जो कमियां है शायद वे ठीक नहीं हो पायेंगी। इसलिये मैं तो यह मुनासिब समझता था कि बजाय इस विधेयक के एक ऐसा रेजोल्यूशन पास होता सदन से कि हम गवर्नमेंट से सिफारिश करते कि इतने निर्धारित समय में एक काम्प्रिहेन्सिब बिल लायें हाउस के सामने जिस में इन-इन बातों का जिक्र हो। लेकिन जो यह विधेयक है और जो प्रस्ताव इसको प्रवर समिति के सामने भेजने का है, मैं इन दोनों में से एक को भी सपोर्ट नहीं कर सकता इसलिये कि अगर इस विधेयक के उद्देश्य को हम मानते हैं तो इसके माने यह हैं कि इस सदन का रुपया हम वेस्ट करते हैं। जो मौजूदा प्रणाली है इसमें उसके विरोध में कोई शंका ही प्रकट नहीं की गयी है। एक फार्मल सी कार्यवाही करने के लिये यह बिल लाया गया है। चूंकि विधान ने हमको यह हक दिया है इस हेतु यह पास होना चाहिये वैसे कोई आवश्यकता मालूम नहीं होती। हमें वास्तविक

[श्री नौरंगलाल]

वास्तविक आवश्यकता बतानी पड़ेगी। अगर ऐसा नहीं है तो इस वक्त इसकी आवश्यकता नहीं मालूम होती।

इसके बाद इसमें कंट्राडिक्शन्स हैं। एक जगह पर तो इस बिल में यह चीज आयी है कि सर्विसेज वगैरह का वेतनक्रम निर्धारित हो जायगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन आगे चल कर इसको काट दिया जाता है और यह आता है कि अध्यक्ष को यह अख्तियार दिया जाता है कि वह विशेष समय पर और विशेष व्यक्ति के लिये अगर चाहे तो उसको हटा भी सकता है। तो यह जरा सा विरोधात्मक है। एक जगह तो हम वेतनक्रम और नियुक्ति फिक्सड करते हैं—या तो यह हो जाय कि किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इसमें ऐसा ऐसा हो, वह तो ठीक है, लेकिन एक इंडिपेंडेंट क्लाज में एक तरफ तो हम यह पास करते हैं और फिर एक दूसरे इंडिपेंडेंट क्लाज में यह लाते हैं कि उसमें अध्यक्ष को यह भी अधिकार होगा कि वह चाहे तो किसी पद के लिये कोई विशेष वेतन-क्रम निर्धारित कर सके। तो मैं नहीं समझता कि जब इस तरह का कानून हमारे स्टैटयूट बुक पर जायगा तो वह सदन के लिये कोई बड़ी भारी विक्टरी की बात होगी। इसलिये मैं माननीय मूवर से प्रार्थना करूंगा कि जरा इसको वे देखें कि इन विरोधात्मक क्लाजेज को कैसे जाने दें और प्रवर समिति किस तरह से इसका सुधार कर सकेगी। दो ही तो क्लाजेज हैं। इनको अगर काट छांट कर वह खत्म कर दे तो सारे का सारा बिल ही समाप्त हो जायगा। और एक और बड़ा भारी डिफेक्ट इसमें है और वह यह है कि जैसी सर्विसेज हैं बिलकुल वैसी ही रहनी चाहिये। जो आजकल चल रही हैं, वही बिलकुल ठीक हैं, वही वेतनक्रम ठीक है। यह तो आपने पास कर दिया यानी इसके मतलब यह हुये कि जो रिफार्म आप करने जा रहे हैं वह इस क्लाज से उड़ा दिया, उसका मंशा खत्म हो गया। आप स्पीकर को पावर देने जा रहे हैं और दूसरी तरफ कहते हैं इससे आगे न बढ़ो। यानी एक शख्स से आपने कहा कि दौड़ो और दूसरी तरफ से कहा कि इस लाइन को बांध देता हूं आप इस लाइन से आगे न जायं। तो मेरी समझ में नहीं आता कि एक हाथ से पावर देते हैं और दूसरी तरफ से उसके लिये इन्कार भी है।

इस वादे को हम क्या समझें, इंकार भी है इकरार भी है।
इसका मतलब सिर्फ इतना है, आगे भी बढ़ो पीछे भी हटो।।

होना तो यह चाहिये था कि स्पीकर को जो पावर मिले वह वास्तविक हो, फार्मल न हो। उनको हम रियल पावर अपनी सर्विसेज के संचालन की, नियंत्रण की, अगर नहीं देते हैं तो यह फार्मल है। उनको यह भी पावर होनी चाहिये कि वे अपनी सर्विसेज को बदल सकें, उनके वेतनक्रम को बदल सकें और बहुत मुमकिन है कि दूसरे तरीके से कोई सर्विसेज रखने की वे अपने दिमाग में सोचे बैठे हों तो उसको भी कर सकें। तो सर्विसेज की नियुक्ति का प्रश्न, उनकी क्वालिफिकेशंस, उनका वेतनक्रम, उनका विस्तार यह तमाम ताकतें उनके पास होनी चाहिये। अब यह जो क्लाज डाला गया है उससे संकेत नहीं मिलता। यद्यपि एक क्लाज है लेकिन वह कंट्राडिक्टरी हो कर एक दूसरे को काट देता है। और इसलिये बिल का जो उद्देश्य होना चाहिये उसमें वह फेल हो जाता है। अगर हम स्पीकर को स्वतंत्र बनाते हैं तो हम उनकी शक्ति को बाध्य नहीं कर सकते कि मौजूदा सर्विसेज जैसी हैं वैसी बनी रहें, उसको घटा सकें न बढ़ा सकें, न परिवर्तन कर सकें।

अब यह बात किस तरह से नियमों के अनुकूल हो या प्रतिकूल हो, इसको तय करने के लिये समय चाहिये और यह आप प्रवर समिति में भी नहीं कर पायेंगे। मैं समझता हूं कि इसमें बहुत से मौलिक डिफेक्ट्स हैं और प्रवर समिति में भी इसका संशोधन नहीं हो सकता और इसीलिये मैं इस विधेयक के इस तरह से पास होने से सहमत नहीं हूं।

इसके अतिरिक्त, एक और बात इसमें है और वह यह है कि स्पीकर अपने किसी असेम्बली के व्यक्ति को पब्लिक सर्विस कमीशन में एडवाइस देने के लिये भेज सकते हैं। माननीय नवल किशोर जी ने कहा था कि वह इसके विरुद्ध हैं इस कारण कि उस शख्स को वह शक्ति नहीं मिल सकती जो कि कमीशन के मेम्बर हैं उनको है और यह जरा ला के खिलाफ जायगा।

मैं उनसे निवेदन करूंगा कि यह शंका फिजूल सी है और इसलिये फिजूल है कि वहां जो इस बिल में शक्ति दी गई है वह केवल सिफारिश करने की दी गई है, वहां पर रिकमेंडेशन है। फिर जो शख्श भी नियुक्ति करेगा उसको अधिकार होगा कि उस सिफारिश को माने या न माने। मानना कम्पलसरी तो नहीं है। इसलिये जो यहां से व्यक्ति जायगा स्पीकर की तरफ से, वह भी केवल सिफारिश ही करेगा। तो वह तो बराबर रह जायगी। उसका डर इसलिये निकल सकता है कि जो पहली बात थी कि जितनी सर्विसेज हैं उनकी नियुक्ति और डिस्मिसल का अधिकार केवल पब्लिक सर्विस कमीशन के हाथ में होना चाहिये और वही उस शंका का समाधान है। यह शंका तो बिलकुल निर्मूल सी थी।

खामखा इस सदन के सामने इस बिल के सम्बन्ध में एक प्रश्न उपस्थित हुआ जिसकी आवश्यकता नहीं थी। लेकिन अब जब कि वह आ गया सदन के सामने तो सदन के हर सदस्य को उस पर अपनी राय प्रकट करनी चाहिये। वह प्रश्न यह है कि माननीय अध्यक्ष के लिये जिस वक्त दूसरा एलेक्शन हो उस समय विरोधी दल या कोई दल उनके खिलाफ कोई अपना कैन्डीडेट खड़ा करे या न करे? हमें एक परिपाटी डालनी है। देश के अन्दर एक कंवेंशन पैदा करना है। सब लोगों ने, हर एक माननीय सदस्य ने, होल हार्टेडली इस प्रस्ताव को स्वीकार किया कि अध्यक्ष के खिलाफ किसी भी दल को कोई कैंडीडेट खड़ा नहीं करना चाहिये और बड़ी प्रसन्नता की बात है कि इस बात को चाहे किसी दल के सदस्य हों, सभी ने यहां स्वीकार किया। सभी इससे सहमत हैं। इसमें जरा सी बाधा उत्पन्न की गई और मैं नहीं कहता कि जो बाधा उन्होंने की, जो बात उन्होंने कही वह नहीं कहनी चाहिये थी। एक उसूल की बात थी। उन्होंने यह कहा कि जब हम अध्यक्ष के लिये यह सम्मान देना चाहते हैं कि उनकी कोई खिलाफ़त न हो नेक्स्ट एलेक्शन में, तो अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह भी किसी पार्टी के सदस्य न हों और इस शर्त पर हम ऐसा करेंगे। अगर यह शर्त नहीं मानी गई तो, माननीय राजनारायण जी ने कहा कि हमारी बात वापस। कम से कम मैंने इसी बात को समझा। यह इसलिये कहा गया कि शायद वह अध्यक्ष महोदय के मुकाबले का कोई कन्डीडेट सोचे बैठे हों। तो जब सदस्यों की तरफ से यह प्रस्ताव आया और उसका कंट्रैडिक्शन हुआ तो मैं उसकी सफ़ाई कर दूं कि इसमें जरा सा फ़र्क है। जहां तक अंग्रेजों या फ्रांसीसियों इत्यादि की दलील दी जाती है, खास तौर पर हाउस आफ कामन्स की. . . .

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि यह बिल का विषय नहीं है।

श्री नौरंगलाल--माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने पहले ही निवेदन कर दिया था कि यह खामखा की बात पैदा की गई है; लेकिन चूंकि इसकी यहां चर्चा हुई इसलिये मैं चाहता हूं कि यहां उदाहरण दे कर उसको स्पष्ट कर दूं।

श्री अध्यक्ष--आप संक्षेप में ही कहें।

श्री नौरंगलाल--मैं एक आध मिनट में ही खत्म कर दूंगा। तो मैं यह कहना चाहता था कि स्पीकर जो है, पार्लियामेंट का अध्यक्ष जो है, वह वहां की गवर्नमेंट पार्टी का मेम्बर नहीं होता, वह अपनी पार्टी का मेम्बर हो सकता है, लेबर पार्टी का मेम्बर हो सकता है, लिबरल पार्टी का मेम्बर हो सकता है। माननीय टंडन जी ने भी यही परिपाटी रखी थी। उन्होंने कहा था कि मैं कांग्रेस को नहीं छोड़ सकता, जो महात्मा गांधी की संस्था है, जो देश की संस्था है, लेकिन जो कांग्रेस गवर्निंग पार्टी है उससे मेरा कोई वास्ता नहीं होगा। जिन्होंने कांग्रेस को खून दिया है, उसके लिये त्याग किया है, वह कांग्रेस को वास्तव में नहीं छोड़ सकते; लेकिन अपने ऐक्शन्स में गवर्नमेंट से उनका कोई वास्ता नहीं होगा। तो हम को एक होना चाहिये इसमें कि जहां तक अध्यक्ष का ताल्लुक है हम उनके खिलाफ अपना कोई कैन्डीडेट न खड़ा करें और इसका हर तरफ़ से स्वागत होना चाहिये। यह तो मैंने पहले ही कहा था कि

[श्री नौरंगलाल]

खासला इस बात की चर्चा यहां की गई। लेकिन चूंकि चर्चा थी इसलिये मैंने भी तसकिरा कर दिया।

मैं ज्यादा समय सदन का नहीं लेना चाहता। यह एक छोटा सा बिल है और इस बिल के, जैसा मने पहले भी कहा, जितने इसके मूल सिद्धांत हैं, मुझे उनसे डिसएग्रीमेंट नहीं है और न ही किसी मेम्बर को है। मैं तो केवल इतना ही कहना चाहता हूं सदन से कि इस तरह का बिल, जो कि प्रस्तुत है, अगर पास हो जायगा, तो यह स्टेट्यूट बुक पर जाने के योग्य नहीं है। इसमें इतनी कमजोरियां ह कि प्रवर समिति में जाने के बाद भी माननीय पालीवाल जी जैसे प्रमुख सदस्य उनको दूर नहीं कर सकेंगे। इसलिये सदन से मेरा यह निवेदन है कि इस बिल को वह वापस कर दे, माननीय सदस्य इसको वापस ले लें। गवर्नमेंट से मैं यह निवेदन करूंगा और दरख्वास्त करूंगा कि वह इस बात का विश्वास दिलायें कि जल्दी ही एक अच्छा सा बिल जिसमें कोई भी कमी न हो, सदन की मान मार्यादा को सामने रख कर इस सदन के सामने लायेगी और शीघ्र से शीघ्र उस को पास करेगी। जो उद्देश्य इस बिल के हैं उनको पूर्ण किया जायगा और जो भी दिक्कतें हैं उन सब को उस बिल द्वारा दूर कर दिया जायगा। इसको प्रवर समिति में भेजने की जरूरत नहीं है उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर इसी तरह से इसको वहां भेज दिया जायगा और अच्छी तरह से इसकी ड्राफ्टिंग नहीं होगी तो इससे कोई लाभ नहीं होगा। बस इतना ही मुझे कहना था।

श्री व्रजभूषण मिश्र (जिला मिर्जापुर)—अध्यक्ष महोदय, यदि आप इजाजत दें तो मैं इस वक्त जब कि विवाद समाप्त हो रहा है इस आशय का एक संशोधन कि यह सदन सरकार से सिफारिश करे कि उत्तर प्रदेश विधान परिषद् तथा विधान सभा सचिवालय (नियुक्ति व सेवा उपबन्ध विनियमन) विधेयक प्रस्तुत करे.....

श्री अध्यक्ष—यह प्रक्रिया नियमावली के किसी भी अंग में नहीं आता। इसलिये मैं इसकी इजाजत नहीं देता।

श्री व्रजभूषण मिश्र—मैंने शर्त के साथ आपकी अनुमति चाही थी और मैं अपने प्वाइंट को कमजोर समझता ही था लेकिन फिर भी चेष्टा कर रहा था कि वह मंजूर हो जाय। अध्यक्ष महोदय, यह विषय बड़ा डेलिकेट है। इसके सिद्धान्त पर यदि विचार किया जाय तो म पूर्णतः मानता हूं कि जो विधेयक सामने रखा गया है उसको आद्योपान्त पढ़ने पर ऐसा लगता है और जैसा लोगों ने कहा भी, मैं भी इसी नतीजे पर पहुंचता हूं कि इसकी ड्राफ्टिंग ठीक नहीं हुई ह। इसको ल कर कितने ही संशोधन किये जायं लेकिन यह बेडौल ही रहेगा, सुडौल नहीं बनाया जा सकता है। इसमें कोई सन्देह नहीं है कि जहां तक सचिवालय की स्वतंत्रता का प्रश्न है वह अपनी जगह पर पूर्णतः मान्य है और होनी चाहिये। लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है हमारी सरकार इस बात के प्रयत्न में है और इसकी लिखापढ़ी चल रही है कि इस प्रकार का कोई विधेयक सरकार की ओर से आवे। हमारी स्वस्थ परम्परा के लिये और विधान मंडल सचिवालयों की स्वतंत्रता की दृष्टि से ऐसा विधेयक अवश्य आना चाहिये। सरकार इस सम्बन्ध में कार्यशील है। तो इस बात को देखते हुए कि यह सिद्धांत हमें मान्य है और जो विधेयक सामने लाया गया है वह बेडौल है, ठीक नहीं है, मुझे यह कहना पड़ता है कि प्रस्तावक महोदय इस समय थोड़ा रुक जायं और अपने प्रस्ताव को वापस ले लें। जब सेन्स आफ दि हाउस यह दिखाई पड़ता है और सभी इसके सिद्धांत को मानते हैं और इस विषय में दो मत नहीं हैं और सभी चाहते हैं कि विधेयक सही रूप में रखा जाय और इस लक्ष्य तक पहुंचने की कोशिश की जाय तो अगर इसमें गलत कदम उठता है तो उसको क्यों न सही उठाया जाय।

मैं समझता हूं कि यह बेमानी बात होगी कि लोगों को बताऊं कि इस विधेयक में कहां पर कमी है, दोष है। इसको देखने से यह मालूम होता ह कि इसमें क्लाजेज एक दूसरे के कन्फलक्टिंग (परस्पर विरोधी) है एक दूसरे से सामञ्जस्य नहीं बैठता है। जैसे धारा ५ (१) में लिखा हुआ

है कि "प्रत्येक सचिवालय में विभिन्न श्रेणियों के पदों के लिये आवश्यक अर्हतायें (qualifications) या उन पर नियुक्तियों की प्रक्रियायें वह होंगी जो सभापति या अध्यक्ष, जैसी भी दशा हो, समय समय पर आदेशों द्वारा निर्धारित करें।" एक तरफ तो यह कहा जाता और दूसरी तरफ यह कहा जाता है कि सचिव विधान मंडल की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा सभापति व अध्यक्ष की सिफारिश पर की जायेंगी। एक तरफ तो उनको अधिकार दिया जाता है कि जैसा वह समझें करें और दूसरी तरफ धारा ६ में राज्यपाल पर भी कुछ भार डाला जाता है। इसी तरह से यदि इसके प्राविजो को देखा जाय तो उसमें भी यह लिखा हुआ है कि "किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि सभापति या अध्यक्ष को अधिकार होगा कि समय-समय पर आदेशों द्वारा निर्धारित कर सकें कि संबंधित सचिवालयों में किसी विशेष श्रेणी या प्रकार की नियुक्ति के लिये लोकसेवा आयोग से परामर्श लिया जाना आवश्यक न होगा" यह संविधान के विरुद्ध जाता है। उसके बाद जैसा कि लोगों ने बताया कि हमारा जो पब्लिक सर्विस कमीशन है उसमें यहां से एक प्रतिनिधि नियुक्ति के वक्त भेजा जाय यह बात संविधान के विपरीत बैठती है। किसी वक्ता ने इसके सिद्धांतों का विरोध नहीं किया है और उन्हें मान लिया जाय। लक्ष्य पर पहुंचने के लिये एक सही और दुरुस्त कदम उठाया जाय ताकि कोई ग़लती न हो।

अध्यक्ष महोदय, आपके आने के पूर्व माननीय राजनारायण जी ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनका उत्तर देना आवश्यक है। कल उन्होंने हमारे. . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि कल की बात आज नहीं आनी चाहिये।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—उन्होंने आज कहा है। हमारे सभापति और अध्यक्ष ने अंग्रेजी में जो एटली साहेब को धन्यवाद दिया और स्वागत किया . . . . .

श्री रामसेवक यादव—अध्यक्ष महोदय, मेरा प्वाइंट आफ आर्डर है। इसका प्रस्तुत विधेयक से सम्बन्ध क्या है ?

श्री अध्यक्ष—कोई सम्बन्ध नहीं है। दो असंगत बातें मिलकर एक संगत बात नहीं बना सकती हैं।

श्री ब्रजभूषण मिश्र—उन्होंने चूंकि हमारे अध्यक्ष पर एक तरह से आक्रमण किया है और चूंकि इस भवन में वह बात कही गई इसलिये यदि यहां की किसी बात से भ्रम हो तो मेरा कर्त्तव्य और अधिकार है कि मैं उसे स्पष्ट कर दूं, वैसे जो आपकी रूलिंग होगी, मैं मानूंगा ही।

श्री अध्यक्ष—उन्होंने क्या कहा था ?

श्री ब्रजभूषण मिश्र—उन्होंने कहा था कि कल सभापति और अध्यक्ष ने जो एटली साहेब को अंग्रेजी में स्वागत और धन्यवाद दिया वह अनुचित था और अशोभनीय था और संविधान के विरुद्ध था। सबसे पहले तो मैं यह बतलाना चाहता हूं कि एटली साहेब जब यहां पर बैठे हुए थे तो माननीय राजनारायण जी ने एक वैधानिक आपत्ति की थी और उन्होंने अंग्रेजी के शब्द "प्वाइंट आफ आर्डर" का प्रयोग किया था। तो उन्होंने खुद वही ग़लती की और यहां को प्रिविलेज का उल्लंघन किया। वह स्वयं वही ग़लती किये हैं जो हमारे अध्यक्ष और सभापति के ऊपर लादते हैं। जहां तक अंग्रेजी में बोलने का प्रश्न है, उस पर मेरा मत है कि एटली साहेब हमारे मेहमान थे. . . . . .

श्री अध्यक्ष—मैं समझता हूं कि इसके लिये ज्यादा ब्योरे में जवाब देने की जरूरत नहीं है। वह घटना विधान सभा के अन्दर नहीं हुई है। सदन के बाहर अंग्रेजी बहुत से लोग बोलते हैं।

श्री व्रजभूषण मिश्र--यदि आपकी आज्ञा नहीं है तो मैं केवल इतना ही कहूंगा कि मेहमान जो खावे वही खिलाना चाहिये और जो समझे उसी भाषा में बोलना चाहिये। मैं भी हिन्दी का हिमायती हूं। मैं समझता हूं कि कल कोई गलती नहीं की गयी थी और राजनारायण जी जो चाहें सो समझें।

इस विधेयक के सम्बन्ध में एक बात यह कही गई कि अध्यक्ष किसी पार्टी का नहीं होना चाहिये। यह एक सिद्धांत की बात अवश्य है। मैं दूसरे देशों की पार्लियामेंटरी पद्धति का जानकार नहीं हूं। लेकिन यह बात कहने में तो अच्छी है लेकिन अभी हमारे भारतवर्ष में जो संविधान है या जिस ढंग से हम लोग चल रहे हैं उसमें ऐसा अध्यक्ष हमें मिलता दिखायी नहीं पड़ता जो किसी पार्टी का न हो। किसी न किसी पार्टी का वह अवश्य होगा। जब वह किसी पार्टी का उम्मीदवार होकर यहां आयेगा, विधान सभा का सदस्य होगा, तभी वह अध्यक्ष पद पर आ सकता है। चाहे अध्यक्ष पद पर अपना चुनाव हो जाने के बाद वह त्यागपत्र दे दे। फिर उसके हृदय में जो उसकी भावनायें हैं, उसकी जो विचारधारा है, वह कैसे निकल सकेगी। या तो संविधान में ऐसा बदल दिया जाय कि पहले अध्यक्ष का चुनाव कर लिया जाय, उसका कोई कंटेस्ट न हो।

श्री अध्यक्ष--यह भी आप दूसरी बात कह रहे हैं। सभी असंगत बातों का जवाब आप न दें।

श्री व्रजभूषण मिश्र--इसलिये मैं समझता हूं कि जो परिपाटी हमारी है उसमें जो अध्यक्ष होगा, वह यदि स्वतंत्र प्रकृति का होगा तो वह स्वतंत्र ही रहेगा। मैं कह सकता हूं कि हमारे अध्यक्ष जो इस समय बैठे हुए हैं, वह जिस पार्टी के हैं, उसका कोई पक्षपात उनके कामों में कभी देखने में नहीं आया।

श्री अध्यक्ष--मैं समझता हूं कि मैं इसको आगे नहीं बढ़ने दूंगा। अब आप विधेयक पर आ जाइये।

श्री व्रजभूषण मिश्र--माननीय अध्यक्ष महोदय, जो कुछ मुझे विधेयक के संबंध में कहना था वह तो मैं कह चुका। उसके आगे मुझे और कुछ कहना नहीं है।

श्री जगदीश प्रसाद (जिला मुरादाबाद)--माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे इस विधेयक पर बहुत ज्यादा कुछ कहना नहीं है परन्तु इसको पढ़कर मैं इस परिणाम पर अवश्य पहुंचा हूं कि इस विधेयक के प्रस्तावक महोदय को, इस विधेयक की आवश्यकता तो प्रतीत नहीं हुई, इसके उद्देश्य और कारणों को पढ़ने से मालूम होता है कि चूंकि संविधान के आर्टिकिल १८७(२) के अनुसार विधान मंडल को यह अधिकार होगा कि वह इस प्रकार का विधेयक ला सकें, यह विधेयक लाया गया है। यानी उस अधिकार का प्रयोग करने के लिये ही इस विधेयक को लाया गया है। जो इस समय नियम हैं और उनके अनुसार खराबियां पैदा हो रही हैं, उनका निराकरण करने के लिये प्रस्तावक महोदय को इस विधेयक को लाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई। ऐसी भी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं हुई कि अगर इन नियमों में ऐसा परिवर्तन कर दिया जायगा तो इसके संचालन में विशेष अच्छाई पैदा हो जायगी। ऐसी कोई आवश्यकता और ऐसा कोई कारण प्रस्तावक महोदय ने उद्देश्य और कारणों में नहीं बताया है। उन्होंने केवल यह कहा है कि चूंकि संविधान में ऐसी आज्ञा है और इसकी आवश्यकता है इसलिये यह विधेयक लाया जा रहा है।

दूसरी बात यह है कि इस विधेयक में कई बातें हैं जिनमें आपस में विरोध दिखलायी पड़ता है। एक धारा में यह कहा गया है कि उनका वेतन क्रम वही होगा जो सचिवालय के कर्मचारियों का होगा, दूसरे विभागों के कर्मचारियों का होगा परन्तु अर्हतायें जो होंगी उनको माननीय अध्यक्ष और सभापति तय करेंगे। इसमें माननीय अध्यक्ष और सभापति के सम्मान और असम्मान, आदर और निरादर का कोई प्रश्न नहीं है। उनके अधिकार, अनधिकार

का कोई प्रश्न नहीं है परन्तु इसमें तो सिद्धान्त का प्रश्न है। तो एक जगह तो यह रख दिया कि वेतन क्रम वही होंगे और दूसरी जगह यह कर दिया कि अर्हतायें अध्यक्ष और सभापति तय करेंगे। ये दोनों चीजें परस्पर विरोधी हैं जो नहीं होनी चाहिये।

इसकी भाषा भी ठीक प्रतीत नहीं होती। किसी भी कानून में यह नहीं हुआ करता कि यह हो अथवा यह हो। यह कोई विधेयक की भाषा नहीं होती। इसको पढ़ने के बाद यह ज्ञात होता है कि प्रस्तावक महोदय ने यह विधेयक बहुत जल्दी में तैयार किया है। इसके ऊपर बहुत अच्छी तरह से विचार होने के बाद आना चाहिये।

एक संशोधन यह भी रक्खा गया है कि इसको प्रवर समिति में भेज दिया जाय। अब प्रवर समिति इसमें क्या करेगी? क्या इस विधेयक को वह बिल्कुल परिवर्तित कर देगी? प्रवर समिति में कोई विधेयक संभालने के लिये जाता है। यदि सरकार इस विधेयक के लिये ऐसा समझती है कि संविधान के अनुसार लाना चाहिये तो इस विधेयक की भावना को देख कर, अपने कार्यालय द्वारा अच्छी तरह से परामर्श करके इस प्रकार का दूसरा विधेयक लाये।

श्री बसन्त लाल शर्मा (जिला बहराइच)---माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जो बिल सदन के सम्मुख विचारार्थ प्रस्तुत है, जिसके ऊपर एक संशोधन भी माननीय पालीवाल जी का है कि यह प्रवर समिति में भेजा जाय, मैं इन दोनों बातों से ही सहमत नहीं हूं। संविधान की जिस धारा के मातहत यह बिल लाया गया है और जो भावना माननीय रामसुमेर जी की है, उनकी उस सद्भावना का तो मैं आदर करता हूं और मैं भी यह समझता हूं कि यह आवश्यक है कि कोई इस प्रकार का विधेयक या ऐसा नियम जरूर होना चाहिये जिससे संसदीय व्यवस्था जो है, वह बिलकुल स्वतंत्र हो और उसमें एक अच्छा सुधार हो सके तथा माननीय अध्यक्ष को पूरा अधिकार हो। किन्तु जिस रूप में और जिस शक्ल में यह बिल है, मैं समझता हूं कि उससे यह मंशा पूरी नहीं होती। इसके ऊपर बहुत से माननीय साथियों ने इस बात का काफी जिक्र किया है कि इसकी जो धारायें हैं उनका एक दूसरे से सामञ्जस्य नहीं है। ऐसी स्थिति में वह जो मंशा है, वह पूरी नहीं होती है।

इसका जो उद्देश्य दिया गया है उसमें मैं देखता हूं कि यही दिखलाया गया है कि संविधान के अनुच्छेद १८७(२) के अनुसार यह बिल लाना आवश्यक है, ऐसा लिखा गया है। मैं नहीं समझता कि संविधान में अगर कोई धारा ऐसी हो जिसके अनुसार कोई कार्य किया जाय तो उस कार्य को सिर्फ संविधान का सहारा लेकर ही कर दिया जाय और उसकी पृष्ठभूमि में कोई विशेष कारण न दिखलाया जाय। मैं समझता हूं कि हमारी जो संसदीय व्यवस्था है उसमें इस बिल से कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। इसके अन्दर जो बातें दी गई हैं मैं समझता हूं कि वे सब बातें जो हमारी संसदीय व्यवस्था, विधान सभा और विधान परिषद की, इस समय चल रही हैं वह बिलकुल वही हैं तथा वह ठीक हैं। तो ऐसी स्थिति में जब तक कोई सुधार उसमें नहीं होता इस बिल को लाने की आवश्यकता को मैं उचित नहीं समझता।

मैं भी यह चाहता हूं कि इसमें सुधार हो। एक उदाहरण मैं देना चाहता हूं कि हम लोगों के सामने भी बड़ी कठिनाई है। अगर पार्लियामेंटरी पद्धति का कोई अच्छा ज्ञाता यहां हो सके तो उसके जरिये इस विधान सभा के सदस्यों को भी काफी सहायता मिल सकेगी। विधान सभा की प्रक्रिया नियमावली में एक धारा ३२ है। हम लोग रात दिन प्रश्न भेजते-भेजते परेशान हैं लेकिन हम लोगों को कुछ मालूम भी नहीं होता और उस नियम के अनुसार वे प्रश्न अस्वीकृत कर दिये जाते हैं। हम लोग इस बात को जान भी नहीं पाते कि आखिर किस कारण से वे प्रश्न अस्वीकृत हो गये। अगर कोई अधिकारी इस पद पर रहता जो हम लोगों को इसकी जानकारी दे सकता या यह बतलाता कि हम किस तरह से प्रश्न दें जिससे वह स्वीकृत हो जाय तो हम लोगों को भी बड़ी आसानी होती और हम लोगों को भी सारी बातों की जानकारी

[श्री बसन्त लाल शर्मा]

होती रहती। लेकिन आज तो हालत यह है कि हम लोगों को न तो कोई यह ही बतलाता है कि क्यों प्रश्न अस्वीकृत किये गये और न किसी मामले में सलाह ही देता है। इसकी वजह से हम लोगों को बड़ी कठिनाई होती है और हम भी चाहते हैं कि सरकार कोई ऐसा विधेयक जल्द से जल्द लावे जिसके द्वारा सुधार हो सके और जिससे अच्छी व्यवस्था चल सके। क्योंकि इस बिल में जो ४,५,६ खंड हैं वे एक दूसरे के विरोधी हैं।

स्वतंत्र लेजिस्लेचर होना चाहिये, यह बिलकुल ठीक है लेकिन मैं नहीं समझता कि जब तक इसमें कोई सुधार नहीं होगा तब तक अच्छी व्यवस्था कैसे हो सकेगी। इसलिये प्रवर समिति में भेजने का जो प्रस्ताव, श्री पालीवाल जी ने किया है, उसका भी मैं विरोध करता हूं। हम लोग तो आशा करते हैं कि विधान सभा के अन्दर अच्छा से अच्छा पद जो हम लोग समझते हैं, वह अध्यक्ष महोदय के बाद मंत्री का ही है और वे मंत्री के पद को भी सुशोभित कर चुके हैं तो उनको तो बहुत सी बातें मालूम होनी चाहिये जिनका कि हम लोग अनुसरण कर सकें। लेकिन मैं देखता हूं कि प्रत्येक बिल पर प्रवर समिति के सामने भेजने का प्रस्ताव हमेशा आ जाता है। इस बिल का प्रवर समिति के सामने जाकर कोई सुधार नहीं हो सकता क्योंकि प्रवर समिति को यह कतई अधिकार नहीं है कि वह कोई नया खंड बढ़ाये या निकाले, निकाल चाहें दे लेकिन वह बढ़ा नहीं सकती। वह थोड़ा हेरफेर ही कर सकती है इसलिये इन ५-६ खंडों से कोई सुधार नहीं होगा इसलिये प्रवर समिति में भेजना बेकार है। श्री नारायणदत्त तिवारी ने कहा कि यह सचिवालय स्वतंत्र हो और यहां के अधिकारी हमेशा के लिये इसी कूप में फंसाये रक्खे जायं, इससे मैं सहमत नहीं हूं कि ऐसा बिल स्वीकृत किया जाय जिस में यह हो कि यहां के अधिकारी कहीं न जा सकेंगे। मैं चाहता हूं कि जिन की नियुक्ति अध्यक्ष के द्वारा हो उनके लिये उन्नति के तमाम अवसर रहने चाहिये, यदि वे किसी विषय में विशेषज्ञ हों तो उन्हें आगे बढ़ने के लिये अवसर होना चाहिये और उनको उन्नति पर दूसरे स्थानों पर जाने देना चाहिये। ऐसी रोक लगाना अनुचित होगा और उनके बुनियादी अधिकारों के खिलाफ होगा कि वे जीवन भर उसी विभाग में रखे जायं और दूसरी जगह उनको न जाने दिया जाय। इसलिये मैं श्री रासुमेर जी से प्रार्थना करूंगा कि वह इस विधेयक को वापस ले लें और मैं सरकार से प्रार्थना करता हूं कि वह शीघ्रातिशीघ्र इस विषय में कोई सुन्दर अच्छा सा बिल लायें जिसके द्वारा विधान सभा सचिवालय की व्यवस्था अच्छी चलाई जा सके और जो संशोधन इस पर आया है उसका भी मैं विरोध करता हूं।

(इसके बाद सदन ५ बज अगले दिन के ११ बजे तक के लिए स्थगित हो गया।)

मिट्ठन लाल,
सचिव, विधान मण्डल,
उत्तर प्रदेश।

लखनऊ;
२३ अक्तूबर, १९५६।

नत्थी 'क'

(देखिये तारांकित प्रश्न २९ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

अलीगढ़ जिले में जलमग्न क्षेत्र को सुरक्षित करने के लिये २७ योजनायें

सूची संख्या १

१—अकबराबाद नाले का विभाजन तथा गंगा नहर के मील १८२ फर्लांग २ की ओर दिशा परिवर्तन।

२—गंगा नहर के मील १८९ फर्लांग ७ पटरी बांई के सामने के क्षेत्रफल के पानी का निकास।

३—सप्लाई चैनेल १२ मील ६ फर्लांग के नीचे धुबई नाले का साइफन।

४—गांव उखलाना तथा लोहारा के पानी का निकास।

५—पुरदिल नगर ड्रेनेज कट।

६—बजरंगपुर ड्रेनेज कट।

७—छोंक नाला १ मील ४ फर्लांग लम्बाई।

८—बारी ड्रेनेज १ मील लम्बाई।

९—मलोई कटरा नाला।

१०—विस्तोली ड्रेनेज कट।

११—जिरौली पोरा ड्रेन २ मील ४ फर्लांग (शेष एटा जिले में)।

१२—मऊ चिरायल नाला।

१३—नगला सरताज कट।

१४—दभा तथा करहला नाला।

१५—बकायन नाला।

१६—अलीगढ़ नाला की खास मरम्मत २३ मील ६ फर्लांग से ६० मील ६ फर्लांग तक (शेष बुलन्दशहर जिले में)।

१७—गांव मेमरी, मुजफ्रा तथा छलेसर के पानी का निकास।

१८—रिमार्डलिंग बिजलपुर जमींदारी नाला।

१९—पुराने नालों की उन्नति व पुनरुद्धार।

२०—नवीन नालों का निर्माण।

२१—रहना नाला २ मील ६ फर्लांग।

२२—तोछीगढ़ नाला १५ मील ६ फर्लांग।

२३—पुनरुद्धार करवन नदी १४ मील ४ फर्लांग।

२४—पुनरुद्धार नाला अलीगढ़ २३ मील ६ फर्लांग।

२५—जलालपुर नाला ३ मील ४ फर्लांग।

२६—एहबरनपुर नाला २ मील ४ फर्लांग।

२७—बनजना नाले को बढ़ाना।

नत्थी 'ख'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३० का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

अलीगढ़ जिले में ड्रेनेज योजनाओं पर तहसीलवार व्यय
सूची संख्या २

योजना का नाम	तहसील	व्यय	
१—अकबराबाद नाले का विभाजन तथा गंगा नहर के १८२ मील २ फर्लांग की ओर दिशा परिवर्तन ..	कोल सिकन्द्राराऊ	११,२२५ ६,७३५	१७,९६०
२—गंगा नहर के १८९ मील ७ फर्लांग बांई पटरी के सामने के क्षेत्रफल के पानी का निकास ..	सिकन्द्राराऊ	३०७	..
३—सप्लाई चैनल १२ मील ६ फर्लांग के नीचे धुजई नाले का साइफन ..	सिकन्द्राराऊ	३,६००	..
४—गांव उखनाला तथा लोहारा के पानी का निकास ..	कोल	५,०००	..
५—पुरदिल नगर ड्रेनेज कट ..	सिकन्द्राराऊ	५,०००	..
६—बजरंगपुर ड्रेनेज कट ..	सिकन्द्राराऊ	५००	..
७—छोंक नाला १ मील ४ फर्लांग लम्बाई..	हाथरस	३,५००	..
८—बारी ड्रेनेज १ मील लम्बाई ..	सिकन्द्राराऊ	५००	..
९—मलोई कटरा नाला ..	सिकन्द्राराऊ	५,०००	..
१०—विस्तौली ड्रेनेज कट ..	सिकन्द्राराऊ	२,०००	..
११—जिरौली पोरा ड्रेन २ मील ४ फर्लांग (शेष एटा जिले में) ..	सिकन्द्राराऊ	१०,०००	..
१२—मऊ चिरायल नाला ..	सिकन्द्राराऊ	२५,२९५	..
१३—नंगला सरताज कट ..	सिकन्द्राराऊ	३,८७१	..
१४—दभां तथा करहला नाला ..	सिकन्द्राराऊ	३,११४	..
१५—बकायन नाला ..	सिकन्द्राराऊ	५,०००	..
१६—अलीगढ़ नाला की खास मरम्मत २३ मील ६ फर्लांग से ६० मील ६ फर्लांग तक (शेष बुलन्दशहर जिला में) ..	कोल हाथरस खैर	३६,९२४ १३,८४७ ६,१६०	.. ५६,९३१ ..
१७—गांव मेमरी, मुसफरा तथा छलेसर के पानी का निकास ..	कोल	८,०००	..
१८—रिमोडिलिंग बिजलपुर जमीन्दारी नाला	सिकन्द्राराऊ	५,०००	..
१९—पुराने नालों की उन्नति व पुनरुद्धार ..	इगलास	३५,०००	..
२०—नवीन नालों का निर्माण ..	खैर	२,७५,०००	..

२१—रहना नाला २ मील ६ फर्लांग २२—तोछीगढ़ नाला १५ मील ६ फर्लांग २३—पुनरुद्धार करवन नदी १४ मील ४ फर्लांग २४—पुनरोद्धार नाला, अलीगढ़ २५—जलालपुर नाला ३ मील ४ फर्लांग २६—एहबरनपुर ड्रेन २ मील ४ फर्लांग	हाथरस	६,८२,२४९	..
२७—बनजना नाले को बढ़ाना ..	अतरौली	३,७७२	..

विधान सभा सचिवालय उत्तर प्रदेश

नत्थी 'ग'

(देखिये तारांकित प्रश्न ३१ का उत्तर पीछे पृष्ठ १२१ पर)

सूची संख्या ३

हाथरस में बनने वाली ड्रेन्स, जिनको महत्व दिया गया है

१—रहना नाला।

२—तोछीगढ़ नाला।

३—पुनरुद्धार अलीगढ़ नाला।

४—जलालपुर नाला।

५—ऐहबरनपुर नाला।

६—पुनरुद्धार करबन नदी।

७—छोंक नाला १ मील ४ फर्लांग लम्बाई।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'घ'

(देखिये तारांकित प्रश्न ५५ का उत्तर पीछे पृष्ठ १३० पर)

जिला मुरादाबाद की विभिन्न अदालतों में बकाया मुकदमों की संख्या

क्रम-संख्या	अदालत का नाम	१९३५	१९३६	१९३७	१९३८	१९३९	१९४१	१९४५	१९४७	१९५०	१९५१	१९५२	१९५३	१९५४	१९५५	१९५६	कुल
१	डिस्ट्रिक्ट एन्ड सेशन्स जज	..	..	..	..	१	..	१	८	७	१८	२९	५०	६५	१९५	८३७	१,२११
२	सिविल एन्ड सेशन्स जज	..	..	..	..	..	..	..	..	..	२	३	१२	२३	१५५	११३	३०८
३	जज स्माल काज कोर्ट	..	..	..	..	..	..	४	१	३	३	१	१८	१२	१५८	१,०२०	१,२२०
४	सिविल जज ..	१	..	१	१	..	२	..	१०	६	७	१६	१८	३९	१७५	२२३	४९९
५	सिविल जज ..	..	..	..	..	..	..	..	..	..	२	७	८	२८	१०२	६१	२०८
६	मुन्सिफ, मुरादाबाद ..	..	१	..	१	..	३	..	२	१०	४	३	१४	१०१	२९४	४२५	८५८
७	मुन्सिफ, चन्दौसी ..	..	..	..	..	१	..	२	२	४	३	२	८	८४	२६२	३०२	६७०
८	मुन्सिफ, अमरोहा ..	..	..	..	..	१	३	२	२	४	४	१४	३१	६४	१२२	५१३	७६०
९	मुन्सिफ, संभल ..	..	..	..	..	१	१	..	१	१	४	१	१	६	६७	३०४	३८७
	कुल	१	१	१	२	४	९	९	२६	३५	४७	७६	१६०	४२२	१,५३०	३,७९८	६,१२१

पी० एस० यू० पी० ए०—पी० २३७ एल० ए०—१९५६—७९६ ।

अनुवाद विधान सभा